وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (سورة الحج 27)

हज और उमराह गाइड

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (سورة الحج 27)

हज और उमराह गाइड

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عَلٰى النَّبِىِّ الْكَرِيم وَعَلٰى آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके क़ुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की क़ुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पु न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में ख़ुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं। हज व उमरा

से मुतअल्लिक़ उर्दू में तीन किताबें (हज्जे मब्रूर, मुख्तसर हज्जे मब्रूर और उमरह का तरीक़ा) A Concise Hajj Guide अंग्रेज़ी में और मुख्तसर हज्जे मब्रूर हिन्दी में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। फिल हाल Hajj & Umrah Guide और How to perform Umrah? अंग्रेज़ी और हिन्दी में प्रकाशित की जा रही हैं। यह तमाम किताबें (हज और उमराह गाइड, मुख़्तसर हज्जे मबरूर और उमरह का तरीका) हाजियों के साथ दस साल के तजुर्बात की रौशनी में मौजूदा ज़माने में होने वाली तामीराती तब्दीलियों को सामने रख कर लिखी गई हैं। अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को कुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

مفتی ابو القاسم نعمانی
مہتمم دار العلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No.......... Date:..... ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔
ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۳/۶/۱۴۳۷ھ

18, South Avenue, New Delhi 110011
Ph.: 011-23795046 Telefax: 011-23795314

Date 19/03/2016

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات و جد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک-سبھا (انڈیا)
وصدر آل انڈیا تعلیمی وملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل و ابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق و فصل کے تمام تصورات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا انگیز مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو از ہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسرکار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک و تشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبۂ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

हज का मुख्तसर और आसान तरीका

हज की तीन किसमें है:

(1) **तमत्तो** (2) **क़िरान** (3) **इफराद**

हज्जे तमत्तो
मीकात से सिर्फ
उमरह का तवाफ और सई
बल मुंडवा कर या कटवा कर एहराम उतार दें
7 या 8
8 ज़िलहिज्जा को तलबिया पढ़ते हुए मिना चले जाएं

हज्जे किरान
उमरह का तवाफ और सई
एहराम
ममनूआत एहराम से बचते रहें
8 ज़िलहिज्जा को तलबिया पढ़ते हुए मिना चले जाएं

हज्जे इफराद
तवाफे कुदूम (सुन्नत)
ममनूआत एहराम से बचते रहें
8 ज़िलहिज्जा को तलबिया पढ़ते हुए मिना चले जाएं

हज का पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा

आज मिना में क़याम करके ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर नमाज़ अदा करें। (मिना में यह पांचों नमाज़ें अदा और आज की रात मिना में गुज़ारना सुन्नत है)

हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहिज्जा

आज सूबह तलबिया पढ़ते हुए मिना से अरफात के लिए रवाना हो जाएं

अरफात पहुंचकर ज़ुहर और असर की नमाज़ें वहाँ अदा करें।

गुरूबे गुरूबे आफताब तक क़िबला रूख खड़े हो कर खुब दुआएं करें।

गुरूबे आफताब के बाद तलबिया पढ़ते हुए अरफात से मुज़दलफा रवाना हो जाएं।

मुज़दलफा पहुंच कर मगरिब और इशा की नमाज़ें इशा के वक़्त में अदा करें।

रात मुज़दलफा में गुज़ारें। अलबत्ता औरतें और बीमार लोग आधी रात के बाद मुज़दलफा से मिना जा सकते हैं।

हज का तीसरा दिन 10 ज़िलहिज्जा

मुज़दलफा में नमाज़े फजर अदा करके दुआएं करें।

आफताब निकलने से पहले मिना के लिए रवाना हो जाएं।

मिना पहुंचकर बड़े और आखरी जमरा पर 7 कंकड़ियां मारें।

तलबिया पढ़ना बन्द कर दें।

क़ुर्बानी करें।

बाल मुंडवाएं या कटवाएं।

एहराम उतार दें।

तवाफे ज़ियारत यानी हज का तवाफ और हज की सई करें।

(क़ुर्बानी, बाल कटवाने, तवाफे ज़ियारत और हज की सई को 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक मुअख्खर कर सकते हैं)

हज का चैथा और पांचवां दिन 11 और 12 ज़िलहिज्जा

मिना में क़याम करके तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद सात सात कंकड़ियां मारें।

12 ज़िलहिज्जा को कंकड़ियां मारने के बाद मिना से जा सकते हैं

हज का छट्टा दिन 13 ज़िलहिज्जा

अगर आप 12 ज़िलहिज्जा को मिना से रवाना नहीं हुए तो तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद कंकड़ियां मारें।

हज के फराएज़

एहराम, वक़ूफ अरफा, तवाफे ज़ियारत करना बाज़ उलमा ने सई को भी हज के फराएज़ में शुमार किया है।

हज के वाजिबात

मीक़ात से एहराम के बेगैर न गुज़रना, अरफा के दिन गुरूबे आफताब तक मैदाने अरफात में रहना, मुज़दलफा में ठहरना, जमरात को कंकड़ियां मारना, क़ुर्बानी करना (हज्जे इफराद में वाजिब नहीं), सर के बाल मुंडवाना या कटवाना, सई करना, तवाफे विदा करना, हज के फराएज़ में से अगर कोई एक फर्ज़ छूट जाए तो हज सही

नहीं होगा जिसकी तलाफी दम से भी मुमकिन नहीं अगर वाजिबात में से कोई एक वाजिब छूट जाए तो हज सही हो जाएगा मगर बदला लाज़िम होगी।

ममनूआते एहराम

खुशबु लगाना, नाखुन काटना, जिस्म से बाल काटना, मीया बीवी वाले खास तअल्लुकात, चेहरे का छुपाना, सिले हुए कपड़े पहनना (सिर्फ मर्द के लिए), सर को ढांकना (सिर्फ मर्द के लिए)। मीकात से बाहर रहने वाले हजरात वापसी के वक़्त तवाफे विदा जरूर करें।

उमरह का तरीका

तलबिया

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हमदा वन्निमता लका वलमुल्का ला शरीका लका

उमरह में चार काम करने होते हैं

(1) मीक़ात से एहराम बांधना

(2) मस्जिदे हराम पहुंचकर तवाफ करना और दो रिकात नमाज़ पढ़ना

(3) सफा मरवा की सई करना

(4) सर के बाल मुंडवाना या कटवाना

(1) एहराम

मीक़ात पर या मीक़ात से पहले गुस्ल या वज़ू करके एहराम के कपड़े पहन लें (यानी एक सफेद तहबंद बांध लें और एक सफेद चादर ओढ़ लें) फिर दो रिकात नफल अदा करें और उमरह की नियत करके किसी क़दर बुलन्द आवाज से तीन मरतबा तलबिया पढ़ें। तलबिया पढ़ने के साथ ही आप का एहराम शुरू हो गया।

(वज़हात)

औरतों के एहराम के लिए कोई खास लिबास नहीं बस गुस्ल वगैरह करने के बाद आम लिबास पहन लें और चेहरा से कपड़ा हटा लें फिर नियत करके आहिस्ता से तलबिया पढ़ें।

ममनूआते एहराम मर्द और औरतों के लिए

खुशबू लगाना, नाखुन या बाल काटना, चेहरा का छुपाना, हमबिस्तरी करना या हमबिस्तरी के असबाब जैसे बोसा वगैरह लेना, जानवर का शिकार करना और ऐसा जूता पहनना जिससे पांव के दरमयान की हडडी छुप जाए।

ममनूआते एहराम सिर्फ मर्द के लिए

सिला हुआ कपड़ा पहनना और सर को टोपी या चादर वगैरह से ढांकना।

मकरूहाते एहराम

बदन से मैल दूर करना, साबुन का इस्तेमाल करना, कंघी करना, एहराम में पिन वगैरह लगाना या एहराम को धागे से बांधना। मस्जिदे हराम पहुंचने तक बार बार थोड़ी आवाज के साथ तलबिया पढ़ते रहें क्योंकि एहराम की हालत में तलबिया ही सबसे बेहतर ज़िक्र है। मक्का पहुंचकर सामान वगैरह अपने क़यामगाह पर रख कर वज़ू या गुस्ल करके उमरह करने के लिए मस्जिदे हराम की तरफ रवाना हो जाएं।

(2) तवाफ

मस्जिद में दाखिल होने वाली दुआ के साथ दायां पैर आगे बढ़ाएं और निहायत इतमिान के साथ मस्जिदे हराम में दाखिल हों। खाना काबा पर पहली निगाह पड़ने पर अल्लाह तआला की बड़ाई बयान

करके कोई भी दुआ मांगे। उसके बाद मताफ में काबा शरीफ के उस कोने के सामने आ जाएं जिसमें हजरे असवद लगा हुआ है और उमरह के तवाफ की नियत कर लें, मर्द हज़रात इज़तिबा भी कर लें (यानी एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं मूंढे के ऊपर डाल लें) फिर हजरे असवद का बोसा लेकर (अगर मुमकिन हो सके) वरना उसकी जानिब दोनों हाथों के ज़रिये इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें और काबा को बाएं जानिब रख कर तवाफ शुरू कर दें। तवाफ करते वक़्त निगाह सामने रखें। काबा की तरफ सीना या पीठ न करें। मर्द हज़रात पहले तीन चक्कर में (अगर मुमकिन हो) रमल करें यानी जरा मूंढे हिलाकर और अकड़के छोटे छोटे कदम के साथ किसी क़दर तेज़ चलें। जब काबा का तीसरा कोना आ जाए जिसे रूकने यमानी कहते हैं (अगर मुमकिन हो) तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरेंवरना उसकी तरफ इशारा किए बेगैर यूं ही गुज़र जाएं। रूकने यमानी और हजरे असवद के दरमयान यह दुआ "रब्बना आतिना फीद्दुनिया आखिर तक" तक पढ़ें। फिर हजरे असवद के सामने पहुंचकर उसकी तरफ हथेलियों का रूख करें और कहें "बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर" और हथेलियों को बोसा दें। अब आप का एक चक्कर हो गया, उसके बाद बाक़ी छः चक्कर बिल्कुल उसी तरह करें। तवाफ से फारिग हो कर तवाफ की दो रिकात नमाज़ मकामे इब्राहिम के पीछे अगर सहूलत से जगह मिल जाए वरना मस्जिद में किसी भी जगह पढ़ कर ज़मज़म का पानी पीयें और फिर एक बार हजरे असवद के सामने आकर बोसा दें या सिर्फ दोनों हाथों से इशारा करें और वहीं से सफा की तरफ चले जाएं।

(3) सई

सफा पहाड़ पर पहुंचकर बेहतर है कि ज़बान से कहें "इन्नस्सफा वलमरवता मिन शआएरिल्लाह" फिर अपना रूख काबा की तरफ करके अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, दरूद शरीफ पढ़ें, फिर हाथ उठाकर खूब दुआएं करें। उसके बाद मरवा की तरफ आम चाल से चलें। सब्ज़ सतूनों के दरमयान मर्द हज़रात जरा दौड़ कर चलें। मरवा पर पहुंचकर क़िबला रूख करके हाथ उठाकर दुआएं मांगे। यह सई का एक फेरा हो गया। इसी तरह मरवा से सफा की तरफ चलें यह दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह आखरी व सातवां चक्कर मरवा पर खत्म होगा। (हर मरतबा सफा और मरवा पर पहुंच कर दुआ करनी चाहिए)।

(वज़ाहत)

तवाफ से फरागत के बाद अगर सई करने में लेट हो जाए ता कोई हर्ज नहीं। सई के दौरान इस दुआ को भी पढ़ लें अगर याद हो तो "रब्बिगफिर वरहम आखिर तक"।

(4) बाल मुंडवाना या छोटा करवाना

सई से फरागत के बाद सर के बाल मुंडवा लें या कटवा लें, मर्द के लिए मुंडवाना अफज़ल है लेकिन औरतें चोटी के आखिर में से एक पोरे के बराबर बाल खुद काट लें या किसी महरम से कटवा लें।

(वज़ाहत)

बाज़ हज़रात सर के चंद बाल एक तरफ से और चंद बाल दूसरी

तरफ से काट कर एहराम खोल देते हैं, याद रखें कि ऐसा करना जाएज़ नहीं, ऐसी सूरत में दम वाजिब हो जाएगा बल्कि या तो सर के बाल मुंडवाएं या पूरे सर के बाल इस तरह कटवाएं के हर बाल कुछ न कुछ कट जाएं।

इस तरह आप का उमरह पूरा हो गया, अब आप अपने एहराम को खोल दें। जब तक मक्का में क़याम करें कसरत से नफली तवाफ करें, उमरे भी कर सकते हैं मगर तवाफ ज़्यादा करना अफज़ल व बेहतर है।

चंद अहम मसाइल

1) अगर आप बेगैर एहराम के मीक़ात से गुज़र गए तो आगे जा कर किसी भी जगह एहराम बांध लें लेकिन आप पर एक दम लाज़िम हो गया।

2) एहराम के ऊपर मज़ीद चादर या कम्बल डालकर और तकिया का इस्तेमाल करके सोना जाएज़ है।

3) एहराम की हालत में एहराम को उतार कर गुस्ल भी कर सकते हैं और एहराम को तबदील भी कर सकते हैं।

4) बेगैर वज़ू के तवाफ करना जाएज़ नहीं अलबत्ता सई के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है।

5) औरतें माहवारी की हालत में तवाफ नहीं कर सकती हैं।

6) तवाफ और सई के दौरान अरबी में या अपनी ज़बान में में जो दुआ चाहें मांगे या क़ुरआन की तिलावत करें। हर चक्कर की अलग अलग दुआ मसनून नहीं है।

7) नमाज़ की हालत में बाज़ुओं का ढांकना जरूरी नहीं है, इज़तिबा

सिर्फ तवाफ की हालत में सुन्नत है।

8) तवाफ या सई के दौरान जमात की नमाज़ शुरू होने लगे या थकन हो जाए तो तवाफ या सई को रोक दें फिर जहाँ से तवाफ या सई को बन्द किया था उसी जगह से शुरू कर दें।

9) तवाफ नफली हो या फ़र्ज़ काबा के सात चक्कर लगा कर दो रिकात नमाज़ अदा करना न भूलें।

10) नफली सई का कोई सबूत नहीं है।

11) तवाफ के दौरान बवक़्ते ज़रूरत बात करना जाएज़ है।

12) तवाफ में मर्द के लिए रमल और इज़तिबा करना सुन्नत है।

13) सिर्फ उमरह के सफर में तवाफे विदा नहीं है।

इस्लाम क़े पाँचवे रुकन यानी हज की अहमियत व फ़ज़ीलत

अश्हूर यानी हज क़े दिन शुरू हो चुके हैं, दुनिया क़े कोने कोने से हज़ारों आज़मीने हज, हज का तराना यानी लब्बैक पढ़ते हुए मक्का पहुँच रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं और कुछ जाने क़े लिए तैयार हैं, जल्दी है लाखों हुज्जाजे किराम इस्लाम क़े पाँचवे अहम रुकन की अदायगी के लिए दुनियावी ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत को छोड़ कर अल्लाह क़े साथ वालिहाना मोहब्बत में मशाइरे मुक़द्दसा (मिना, अरफ़ात और मुज़दलफा) पहुँच जायेंगे और वहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताये हुए तरीका पर हज की अदायगी करके अपना तअल्लुक़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुर्बानियों के साथ जोड़ेंगे। हज को इसीलिए आशिक़ाना इबादत कहते हैं क्योंकि हाजी के हर अमल से वारफ़्तगी और दीवानगी टपकती है, हज इस लिहाज़ से बड़ी नुमाया इबादत है कि बयक वक़्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलुओं पर मुश्तमिल है, यह खुसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है।

हज की फर्ज़ियत क़े बाद अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए

इस अहम इबादत की खुसूसी ताकीद अहादीस नबवी में लिखा हुआ है और उन लोगों के लिए जिन पर हज फ़र्ज़ हो गया है लेकिन दुनियावी अगराज या सुस्ती की वजह से बिला शरई मजबूरी क़े हज अदा नहीं करते, सख्त वईदें आई हैं इनमे से चंद हस्बे ज़ैल हैं।

1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते

हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फरिजए हज अदा करने में जल्दी करो क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसे क्या तकलीफ पेश आ जाये। (मुसनद अहमद)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स हज का इरादा रखता है (यानि जिसपर हज फ़र्ज़ हो गया है) उसको जल्दी करनी चाहिए। (अबु दाऊद)

3) हज़रत अबु उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाजत या ज़ालिम बादशाह या शदीद मर्ज़ ने हज से नहीं रोका और उसने हज नहीं किया और मर गया तो वह चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर मरे। (अद्दारमी) (यानि यह शख्स यहूद व नसारा क़े मुशाबेह है)

4) हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को शहर भेज कर तहक़ीक़ कराऊँ कि जिन लोगों को हज की ताक़त है और उन्होंने हज नहीं किया, ताकि उन पर जिज़ीया (टैक्स) मुक़र्रर कर दिया जाये, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया कि जिसने कुदरत के बावजूद हज नहीं किया, उसके लिए बराबर है कि वह यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। (सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया)

हज की अहमियत व फ़ज़ीलत

अहादीस नबवी में हज्जे बैतुल्लाह की खास अहमियत और बहुत से

फ़ज़ाएल अहादीस नबवी में वारिद हुए हैं, चंद अहादीस हस्बे ज़ैल हैं:

1) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफज़ल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर अर्ज़ किया गया कि उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना फिर अर्ज़ किया गया कि उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज्जे मक़बूल। (बुखारी व मुस्लिम)

2) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस शख्स ने महज़ अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए हज किया और उस दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह नहीं किया तो वह (पाक होकर) ऐसा लौटता है जैसा माँ के पेट से पैदा होने के रोज (पाक था) (बुखारी व मुस्लिम)

3) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक उमरह दूसरे उमरे तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दोनों उमरों के दरमयान सरज़द हों और हज मब्रूर का बदला तो जन्नत ही है। (बुखारी व मुस्लिम)

4) हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पै दर पै हज व उमरह किया करो, बेशक यह दोनों (हज व उमरह) फक्र यानी गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (इब्ने माजा)

5) हज़रत उमर बिन आस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया अपना दाहिना हाथ आगे कीजिये ताकि मैं आपसे बैत करूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ आगे किया तो मैं ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरयाफ्त किया उमर किया हुआ? मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह शर्त रखना चाहता हूँ आप ने इरशाद फ़रमाया तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया (गुज़श्ता) गुनाहों की मगफिरत की, तब आप ने फ़रमाया क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम (में दाखिल होना) गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है, हिजरत गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देती है और हज गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। (मुस्लिम)

6) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जो हाजी सवार होकर हज करता है उसकी सवारी के हर कदम पर सत्तर नेकियां लिखी जाती हैं और जो हज पैदल करता है उसेक हर कदम पर सात सौ नेकियां हरम की नेकियों में से लिखी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरयाफ्त किया गया कि हरम की नेकियां कितनी हैं तो आप ने फ़रमाया एक नेकी एक लाख नेकियों के बराबर होती है। (बज़्ज़ज़, कबीर, औसत)

औरतों के लिए उम्दा तरीन जिहाद हज मब्रूर

1) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! हमें मालूम है कि जिहाद सबसे

अफ़ज़ल अमल है, किया हम जिहाद न करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया नहीं (औरतों के लिए) उम्दा तरीन जिहाद हज मब्रूर है। (बुखारी)

2) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या औरतों पर भी जिहाद (फ़र्ज़) है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनपे ऐसा जिहाद फ़र्ज़ है जिसमे खून रेज़ी नहीं है और वह हज मब्रूर है। (इब्ने माजा)

हुज्जाजे किराम अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी दुआएं क़बूल की जाती हैं

1) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज और उमरह करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, अगर वह अल्लाह तआला से दुआएं करें तो वह क़बूल फरमाये, अगर वह उससे मगफिरत तलब करे तो वह उनकी मगफिरत फरमाये। (इब्ने माजा)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जब किसी हज करने वाले से तुम्हारी मुलाकात हो तो उसके अपने घर में पहुँचने से पहले उसको सलाम करो और मुसाफा करो और उससे अपनी मगफिरत की दुआ के लिए कहो क्योंकि वह इस हाल में है कि उसके गुनाहों की मगफिरत हो चुकी है। (मुसनद अहमद)

हज की नेकी लोगो को खाना खिलाना, नरम गुफ्तगू करना और सलाम करना

1) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हज मब्रूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हज की नेकी किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज की नेकी लोगों को खाना खिलाना हौर नरम गुफ्तगू करना है। (रवाहु अहमद) मुसनद अहमद और बैहक़ी की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज की नेकी खाना खिलाना और लोगों को कसरत से सलाम करना है।

हज व उमरह में खर्च करना अजर व सवाब का बाएस

1) हज़रत बुरैदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हज में खर्च करना जिहाद में खर्च की तरह है यानी हज में खर्च करने का सवाब सात सौ गुना तक बढ़ाया जाता है। (मुसनद अहमद)

2) हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तेरे उमरे का सवाब तेरे खर्च के बक़द्र है यानी जितना ज़्यादा इस पर खर्च किया जायेगा उतना ही सवाब होगा। (अल्हाकिम)

हज का तराना लब्बैक

हज़रत सहल बिन साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जब हाजी

लब्बैक कहता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं जानिब जो पत्थर, पेड़ और ढेले वगैरह होते हैं वह भी लब्बैक कहते हैं और इसी तरह ज़मीन की इंतिहा तक यह सिलसिला चलता रहता है (यानी हर चीज़ साथ में लब्बैक कहती है)। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

बैतुल्लाह का तवाफ़

1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अल्लाह तआला की एक सौ बीस रहमतें रोज़ाना इस घर (खाना काबा) पर नाज़िल होती हैं जिनमे से साठ तवाफ़ करने वालों पर, चालीस वहां नमाज़ पढ़ने वालों पर और बीस खाना काबा को देखने वालों पर। (तबरानी)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना जिसने खाना काबा का तवाफ़ किया और दो रिकात नमाज़ अदा की गोया कि उसने एक गुलाम आज़ाद किया। (इब्ने माजा)

हजरे असवद, मक़ामे इब्राहिम और रुकने यमानी

1) हुज़ूर अकरम सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हजरे असवद और मुकामे इब्राहिम कीमती पत्थरों में से दो पत्थर हैं, अल्लाह तआला ने दोनों पत्थरों की रौशनी खत्म करदी है, अल्लाह तआला ऐसा न करता तो यह दोनों पत्थर मशरिक़ और मग़रिब के दरमयान हर चीज़ को रौशन कर देते। (इब्ने ख़ुज़ैमा)

2) हुज़ूर अकरम सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हजरे असवद जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है जो कि दूध से ज़्यादा सफेद

था लेकिन लोगों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। (तिर्मिज़ी)

3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हजरे असवद को अल्लाह तआला क़यामत के दिन ऐसी हालत में उठाएंगे कि उसकी दो आँखे होंगी जिनसे वह देखेगा और ज़बान होगी जिनसे वह बोलेगा और गवाही देगा उस शख्स के हक़ में जिसने उसका हक़ के साथ बोसा लिया हो। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना उन दोनों पत्थरों (हजरे असवद और रुकने यमानी) को छूना गुनाहों को मिटाता है। (तिर्मिज़ी)

4) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया रुकने यमानी पर सत्तर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, जो शख्स वहां जा कर यह दुआ पढ़े (अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल अफवा आखिर तक) तो वह सब फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। (यानी या अल्लाह! उस शख्स की दुआ कबूल फरमा)। (इब्ने माजा)

हतीम बैतुल्लाह का ही हिस्सा है

1) हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि मैं काबा शरीफ में दाखिल हो कर नमाज़ पढ़ना चाहती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ कर ले गए और फ़रमाया जब तुम बैतुल्लाह (खाना काबा) के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहो तो यहाँ (हतीम में) खड़े हो कर नमाज़ पढ़ लो यह भी बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा है,

तेरी क़ौम ने बैतुल्लाह (खाना काबा) की तामीर के वक़्त (हलाल कमाई मुयस्सर न होने की वजह से) उसे (छत के बेगौर) थोड़ा सा तामीर कर दिया था। (नसई)

आबे ज़मज़म

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना ज़मज़म का पानी जिस नियत से पीया जाये वही फायदा इससे हासिल होता है। (इब्ने माजा)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया रूए ज़मीं पर सबसे बेहतर पानी ज़मज़म है जो भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए शिफ़ा है। (तबरानी)

3) हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ज़मज़म का पानी (मक्का से मदीना) ले जाया करती थीं और फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ले जाया करते थे। (तिर्मिज़ी)

अरफा का दिन

1) हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अरफा के दिन के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तआला कसरत से बन्दों को जहन्नम से निजात देते हों, उस दिन अल्लाह तआला (अपने बन्दों के) बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं और फरिश्तों के सामने उन (हाजियों) की वजह से फखर करते हैं और फरिश्तों से पूछते हैं (ज़रा

बताओ तो) यह लोग मुझसे किया चाहते हैं। (मुस्लिम)

हज या उमरह के सफर में इंतिक़ाल

1) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स हज को जाये और रास्ता में इंतिक़ाल कर जाये, उसके लिए क़यामत तक हज का स्वाब लिखा जायेगा और जो शख्स उमरह के लिए जाये और रास्ता में इंतिक़ाल कर जाये तो उसको क़यामत तक उमरह का सवाब मिलता रहेगा। (इब्ने माजा)

अल्लाह तबारक व तआला तमाम आज़मीने हज के हज को मक़बूल व मब्रूर बनाये, आमीन।

हज से मुतअल्लिक औरतों के खुसूसी मसाइल

मर्द हज़रात की तरह हज की अदाएगी औरतें भी करती हैं मगर उनकी चंद फितरी आदात की बिना पर कुछ मसाइल में मर्द हज़रात से फर्क मौजूद है, जिसकी वजह से उनके बाज़ मसाइल मर्द हज़रात से मुख्तलिफ हैं, जिनका जानना हज की अदाएगी करने वाली हर औरत के लिए ज़रूरी है। हज से मुतअल्लिक औरतों के चंद खुसूसी मसाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रौशनी में हस्बे ज़ैल हैं।

1) औरत अगर मालदार यानी साहिबे इस्तिआत है तो उस पर हज फ़र्ज़ है वरना नहीं।

2) औरत बेगैर महरम या शौहर के हज का सफर या कोई दूसरा सफर नहीं कर सकती अगर कोई औरत बेगैर महरम या शौहर के हज कर ले तो उसका हज अदा हो जाएगा लेकिन बेगैर महरम या शौहर के हज का सफर कोई दूसरा सफर करना बड़ा गुनाह है। महरम वह शख्स है जिसके साथ उसका निकाह हराम हो जैसे बाप, बेटा, भाई, हक़ीक़ी मामू और चाचा वगैरह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हरगिज़ कोई मर्द किसी (नामहरम) औरत के साथ तनहाई में न रहे और हरगिज़ कोई औरत सफर न करे मगर यह कि उसके साथ महरम हो। यह सुन कर एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मेरा नाम फलां जिहाद में शरीक होने के लिए आया है और मेरी बीवी हज करने के लिए निकली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ

अपनी बीवी के साथ हज करो। (बुखारी व मुस्लिम)

3) औरतों के लिए भी एहराम से पहले हर तरह की पाकीज़गी हासिल करना और गूसल करना मसनून है, खाह नापाकी की ही हालत में हों।

4) औरतों के एहराम के लिए कोई खास लिबास नहीं है, बस आम लिबास पहन कर दो रिकात नमाज़ पढ़ लें और नियत करके अहिस्ता से तलबिया पढ़ लें।

5) एहराम बांधने के वक़्त माहवारी आ रही हो तो एहराम बांधने का तरीका यह है कि गूसल करें या सिर्फ वूज़ करें, अलबत्ता गूसल करना अफज़ल है, नमाज़ न पढ़े बल्कि चेहरे से कपड़ा हटा कर नियत कर लें और तीन बार अहिस्ता से तलबिया पढ़ें।

6) औरतें एहराम में आम सिले हुए कपड़े पहने, उनके एहराम के लिए कोई खास रंग का कपड़ा ज़रूरी नहीं है, बस ज्यादा चमकीले कपड़े न पहने नीज़ कपड़ों को तबदील भी कर सकती हैं।

7) औरतें इस पूरे सफर के दौरान परदा का इहतिमाम करें। यह जो मशहूर है कि हज व उमरह में परदा नहीं है गलत है। हुकुम सिर्फ यह है कि औरत एहराम की हालत में चेहरा पर कपड़ा न लगने दें इससे यह कैसे लाज़िम आया कि वह नामहरमों के सामने चेहरा खोले। हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान फरमाती है कि हम हालते एहराम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, गुज़रने वाले जब अपनी सावारियों पर गुज़रते थे तो हम अपनी चादर को अपने सर से आगे बढ़ा कर चेहरा पर लटका लेते थे, जब वह आगे बढ़ जाते तो चेहरा खोल देते थे। (मिशकात) गरज़ ये कि एहराम की हालत में औरतें अपने चेहरा को खुला रखें, अगर मर्द

हज़रात सामने आ जाएें तो चेहरा पर निकाब डाल लें। अगर कुछ वक़्त के लिए चेहरा पर निकाब पड़ी रह जाए या कुछ वक़्त के लिए मर्द के सामने चेहरा खुल जाए तो कोई दम वगैरह लाज़िम नहीं और इंशाअल्लाह हज पूरा अदा होगा।

8) औरतों का सर पर सफेद रूमाल बांधने को एहराम समझना गलत है, सिर्फ बालों को टूटने से महफ़ूज़ रखने के लिए सर पर रूमाल बांध लें तो कोई हर्ज नहीं लेकिन पेशानी के ऊपर सर पर बांधें और इसको एहराम का हिस्सा न समझें, नीज़ वज़ू के वक़्त मसह करना फ़र्ज़ है लिहाजा वज़ू के वक़्त खास तौर पर इस सफेद रूमाल को खोल कर सर पर मसह जरूर करें।

9) अगर कोई औरत ऐसे वक़्त में मक्का पहुंची कि उसको माहवारी आ रही है तो वह पाक होने तक इंतिजार करे, पाक होने के बाद ही मस्जिदे हराम में जाए, अगर 8 ज़िलहिज्जा तक भी पाक न हो सकी तो एहराम ही की हालत में तवाफ किए बेगैर मिना जा कर हज के सारे आमाल करे।

10) अगर किसी औरत ने हज्जे किरान या हज्जे तमत्तो का एहराम बांधा मगर शरई उज्र की वजह से 8 ज़िलहिज्जा तक उमरह न कर सकी और 8 ज़िलहिज्जा को ही एहराम ही की हालत में मिना जा कर हाजियों की तरह सारे आमाल अदा कर लिए तो हज सही हो जाएगा लेकिन दम और उमरह की कजा वाजिब होने या न होने में उलमा की राय मुख्तलिफ हैं।

11) माहवारी की हालत में सिर्फ तवाफ करने की इजाजत नहीं है बाकी सारे आमाल अदा किए जाएंगे जैसा कि हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि हम लोग (हज्जतुल विदा वाले

सफर में) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से चले, हमारी ज़बानों पर बस हज ही का ज़िक्र था यहाँ तक कि जब (मक्का के बिल्कुल करीब) मक़ामे सरफ पर पहुंचे (जहाँ मक्का सिर्फ एक मंजिल रह जाता है) तो मेरे वह दिन शुरू हो गए जो औरतों के हर महीने आते हैं। रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (खेमा में) तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं बैठी रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद तुम्हारे माहवारी के दिन शुरू हो गए हैं। मैंने अर्ज़ किया हाँ, यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोने की किया बात है) यह तो ऐसी चीज है जो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों (यानी सब औरतों) के साथ लाज़िम कर दी है तुम वह सारे आमाल करती रहो जो हाजियों को करने हैं सिवाए इसके कि खाना काबा का तवाफ उस वक़्त तक न करो जब तक कि इससे पाक व साफ न हो जाओ। (सही बुखारी व मुस्लिम)

12) माहवारी की हालत में नमाज़ पढ़ना, मसिजद में दाखिल होना और तवाफ करना बिल्कुल नाजाएज़ है अलबत्ता सफा व मरवा की सई करना जाएज़ है। यानी अगर किसी औरत को तवाफ करने के बाद माहवारी आ जाए तो वह सई कर सकती है मगर उसको चाहिए कि सई के बाद मस्जिदे हराम के अंदर दाखिल न हो बल्कि मरवा से बाहर निकल जाए।

13) औरतें माहवारी की हालत में ज़िक्र व अज़कार जारी रख सकती है बल्कि उनके लिए मुस्तहब है कि वह अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में मशगुल रखें, नीज़ दुआऐं भी करती रहें, अलबत्ता माहवारी की हालत में क़ुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती हैं।

14) अगर किसी औरत को तवाफ के दौरान हैज़ आ जाए तो फौरन तवाफ बन्द कर दे और मस्जिद से बाहर चली जाए।

15) औरतें तवाफ में रमल (अकड़ कर चलना) न करें, यह सिर्फ र्द म के लिए है।

16) भीड होने की सूरत में औरतें हजरे असवद का बोसा लेने की कोशिश न करें, बस दूर से इशारा करने पर इकतिफा करें। इसी तरह भीड़ होने की सूरत में रूकने यमानी को भी न छूवें। सही बुखारी (किताबुल हज) की हदीस में है कि हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहुअन्हा) लोगों से बच बच कर तवाफ कर रही थीं कि एक औरत ने कहा कि चलये उम्मुल मोमेनीन बोसा ले लें तो हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने इंकार फरमा दिया। एक दूसरी हदीस मैं है कि एक औरत हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के साथ तवाफ कर रही थीं, हजरे असवद के पास पहुंच कर कहने लगीं अम्मा आईशा! क्या आप बोसा नहीं लेंगी? आप ने फरमाया औरतों के लिए कोई ज़रूरी नहीं चलो आगे बढ़ो। (अखबारि मक्का लिलफाकेही)

17) मक़ामे इब्राहिम में मर्द हज़रात का भीड़ हो तो औरतें वहाँ तवाफ की दो रिकात नमाज़ पढ़ने की कोशिश न करें बल्कि मस्जिेद हराम में किसी भी जगह पढ़ लें।

18) औरतें सई में सब्ज़ सतून (जहाँ हरी टूयब लाईटें लगी हुई हैं) के दरमयान मर्द हज़रात की तरह दौड़ कर न चलें।

19) तवाफ और सई के दौरान मर्द हज़रात से जहाँ तक मुमकिन हो दूर रहें और मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़नी हो तो अपने मखूस हिस्सा में ही अदा करें, मर्द हज़रात के साथ सफों में खड़ी न हों।

20) हज के दिनों बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, औरतें ऐसे वक़्त में

तवाफ करें कि जमाअत खड़ी होने से काफी पहले ही तवाफ से फारिग हो जाएं।

21) औरतें भी अपने माँ बाप और रिशतेदार की तरफ से नफली उमरे कर सकती हैं।

22) तलबिया हमेशा अहिस्ता आवाज से पढ़ें।

23) मिना, अरफात और मुज़दलफा के क़याम के दौरान हर नमाज़ को अपनी क़यामगाह ही में पढ़ें।

24) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अरफात का पूरा मैदान वकूफ की जगह है इस लिए अपने ही खेमों में रहें और खड़े हो कर क़िबला रुख हो कर खूब दुआऐं मांगे। थकने पर बैठ कर भी अपने आपको दुआओं और ज़िक्र व तिलावत में मशगूल रखें। दुनियावी बातें हरगिज न करें।

25) मुज़दलफा पहुंच कर मगरिब और ईशा दोनों नमाजें ईशा ही के वक़्त अदा करें।

26) औरतों के लिए इजाज़त है कि मुज़दलफा के मैदान से आधी रात के बाद मिना में अपने खेमा में चली जाऐं।

27) भीड़ के अवकात में कंकड़ियां मारने हरगिज़ न जाएं, औरतें रात में भी बेगैर कराहियत के कंकड़ियां मार सकती हैं।

28) मामूली, मामूली उज्र की वजह से दूसरों से रमी (कंकड़ियां मारना) न कराएं बल्कि भीड़ कम होने के बाद खुद कंकड़ियां मारें। बिला शरई उज्र के दूसरे से रमी कराने पर दम लाज़िम होगा। महज़ भीड़ के खौफ से औरत कंकड़ियां मारने के लिए दूसरे को नाइब नहीं बना सकती है।

29) तवाफे ज़ियारत हैज़ के दिनों हरगिज़ न करें वरना एक बुदना

यानी पूरा ऊंट या पूरी गाए (हुदूदे हरम के अंदर) ज़बह करना वाजिब होगा।

30) माहवारी की हालत में अगर तवाफे ज़ियारत किया मगर फिर पाक हो कर दोबारा कर लिया तो बुदना यानी पूरे ऊंट या पूरी गाए की कुर्बानी वाजिब नहीं।

31) तवाफे ज़ियारत (हज का तवाफ) का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा के गोरूबे आफताब तक है। बाज़ उलमा ने 13 ज़िलहिज्जा तक वक़्त तहरीर किया है। इन दिनों में अगर किसी औरत को माहवारी आती रही तो वह तवाफे ज़ियारत न करे बल्कि पाक होने के बाद ही करे, इस ताखीर की वजह से कोई दम वाजिब नही। अलबत्ता तवाफे ज़ियारत किए बेगैर कोई औरत अपने वतन वापस नहीं जा सकती है अगर वापस चली गई तो उ भर यह फ़र्ज़ लाज़िम रहेगा और शौहर के साथ सुहबत करना और बोस व किनार हराम रहेगा यहाँ तक कि दोबारह हाज़िर हो कर तवाफे ज़ियारत करे। लिहाज़ा तवाफे ज़ियारत किए बेगैर कोई औरत घर वापस न जाए। अगर तवाफे ज़ियारत से पहले किसी औरत को माहवारी आ जाए और उसके तैय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसकी गुंजाइश न हो कि वह पाक हो कर तवाफे ज़ियारत कर सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह हर तरह की कोशिश करे कि उसके सफर की तारीख आगे बढ़ सके ताकि वह पाक हो कर तवाफे ज़ियारत (हज का तवाफ) अदा करने के बाद अपने घर वापस जा सके (अमूमन मुअल्लिम हज़रात ऐसे मौका पर तारीख बढ़ा देते हैं) लेकिन अगर ऐसी सभी ही कोशिशें नाकाम हो जाएं और पाक होने से पहले इस का सफर ज़रूरी हो जाए तो ऐसी सूरत में नापाकी की हालत में वह तवाफे ज़ियारत

कर सकती है। यह तवाफे ज़ियारत शरअन मोतबर होगा और वह पूरे तौर पर हलाल हो जाएगी लेकिन उसपर एक बुदना (यानी पूरा ऊंट या पूरी गाए) की कुर्बानी बतौर हुदूदे हरम में लाज़िम होगी, यह दम उसी वक़्त देना ज़रूरी नहीं बल्कि ज़िन्दगी में जब चाहे दे दे।

32) तवाफे ज़ियारत और हज की सई करने तक शौहर के साथ खास जिनसी तअल्लुकात से बिल्कुल दूर रहें।

33) अगर कोई औरत अपनी आदत या आसार व अलामत से जानती है कि जल्द ही हैज़ शुरू होने वाला है और हैज़ आने में इतना वक़्त है कि वह मक्का जा कर तवाफे ज़ियारत (तवाफे ज़ियारत के वक़्त में) कर सकती है तो फौरन कर ले, ताखीर नकरे, और अगर इतना वक़्त भी नहीं कि तवाफ कर सके तो फिर पाक होने तक इंतिजार करे। तवाफे ज़ियारत, रमी (कंकड़ियां मारना), कुर्बानी और बाल कटवाने से पहले या बाद में किसी भी वक़्त किया जा सकता है।

34) मक्का से रवानगी के वक़्त अगर किसी औरत को माहवारी आने लगे तो तवाफे विदा उसपर वाजिब नहीं। तवाफे विदा किए बेगैर वह अपने वतन जा सकती है।

35) जो मसाइल माहवारी के बयान किए गए हैं वही बच्चा की पैदाइश के बाद आने वाले खून के हैं, यानी उस हालत में भी औरतें तवाफ नहीं कर सकती हैं, अलबत्ता तवाफ के अलावा सारे आमाल हाजियों की तरह अदा करें।

36) अगर किसी औरत को बीमारी का खून आ रहा है तो नमाज़ भी अदा करेगी और तवाफ भी कर सकती है। इसकी सूरत यह है कि एक नमाज़ के वक़्त में वज़ू करे और फिर उस वज़ू से उस नमाज़

के वक़्त जितने चाहें तवाफ करे और जितनी चाहे नमाजें पढ़ें। दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल होने पर दोबारा वज़ू करे। अगर तवाफ पूरा होने से पहले ही दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल हो जाए तो वज़ू करके तवाफ को पूरा करे।

37) बाज़ औरतों को हज या उमरह का एहराम बांधने के वक़्त या उनको अदा करने के दौरान माहवारी आ जाती है जिसकी वजह से हज या उमरह अदा करने मे रूकावट पैदा हो जाती है और बाज़ मरतबा क़याम की मुद्दत खत्म होने या मुख्तसर होने की वजह से सख्त दुशवारी लाहिक हो जाती है, इस लिए जिन औरतों को हज या उमरह अदा करने के दौरान माहवारी आने का डर हो और वह सिर्फ चंद दिनों के टूर पर हज की अदाएगी के लिए जा रही है जैसा कि सउदी अरब में रहने वाले हज़रात चंद दिनों के लिए जाते हैं तो उन के लिए यह मशविरा है कि वह किसी लेडी डाक्टर से अपनी सेहत के मुताबिक आरज़ी तौर पर माहवारी रोकने वाली दवा तजवीज़ करा लें और इस्तेमाल करें ताकि हज व उमरह के अरकान अदा करने में कोई उलझन पेश न आए। शरई लिहाज से ऐसी दवाऐं इस्तेमाल करने की गुंजाइश है।

38) हरमैन में तकरीबन हर नमाज़ के बाद जनाज़ह की नमाज़ होती है, औरतें भी इसमें शरीक हो सकती हैं।

तवाफ और सई के अहकाम व मसाइल

तवाफ की फज़ीलत

1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला की एक सौ बीस रहमतें रोज़ाना उस घर (बैतुल्लाह) पर नाज़िल होती हैं जिनमें से साठ तवाफ करने वालों पर, चालीस वहाँ नमाज़ पढ़ने वालों पर और बीस खाना काबा को देखने वालों पर नाज़िल होती हैं। (तबरानी)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना जिसने काबा का तवाफ किया और दो रिकात नमाज़ अदा की गोया उसने एक गुलाम आज़ाद किया। (इबने माजा)

3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरे असवद को अल्लाह तआला क़यामत के दिन ऐसी हालत में उठाएंगे कि उसके दो आंखें होंगी जिनसे देखेगा और ज़बान होगी जिनसे वह बोलेगा और गवाही देगा उस शख्स के हक में जिसने उसका हक के साथ बोसा लिया हो। (तिर्मीज़ी व इबने माजा)

4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना इन दोनों पत्थरों (हजरे असवद और रूकने यमानी) को छूना गुनाहों को मिटाता है। (तिर्मीज़ी)

5) हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुज़ूर

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रूकने यमानी पर सत्तर फरिशते मौजूद हैं जो शख्स वहाँ जाकर यह दुआ पढ़े (अल्लाहुम्मा इन्नी असअलूकल अफवा आखिर तक) तो वह सब फरिशते आमीन कहते हैं। (इबने माजा)

तवाफ- बैतुल्लाह के गिर्द सात चक्कर और दो रिकात नमाज़ पढ़ने का नाम तवाफ है और हर चक्कर हजरे असवद के इस्तिलाम (छूना) से शुरू हो कर उसी पर खत्म होता है। हजरे असवद का बोसा लेना या उसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है। तवाफ फ़र्ज़ हो या वाजिब या नफल इसमें सात ही चक्कर होते हैं और उसके बाद दो रिकात नमाज़ अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो सात चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं लेकिन दूर से करने पर तकरीबन एक से दो घंटे लग जाते हैं। 10 जिलहिज्जा को तवाफे ज़ियारत करेनमें कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है।

तवाफ की किसमें

1) तवाफ कुदूम "यानी **आने के वक्त का तवाफ"** यह उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मीक़ात के बाहर से आया हो और हज्जे इफराद या हज्जे क़िरान का इरादा रखता हो, हज्जे तमत्तो करने वालों के लिए सुन्नत नहीं।

2) तवाफे उमरह "यानी **उमरह का तवाफ**।"

3) तवाफे ज़ियारत "यानी **हज का तवाफ"** जिसको तवाफे इफाज़ा भी कहते है, यह हज का रुकन् है, इस तवाफ के बेगैर हज पूरा नहीं

होता।

4) तवाफे विदा "यानी **मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ**" (यह मीक़ात से बाहर रहने वाले आफाक़ी के लिए ज़रूरी है)।

हज में ज़रूरी तवाफ की तादाद

हज्जे तमत्तो में तीन अदद "तवाफे उमरह, तवाफे ज़ियारत और आफाक़ी के लिए तवाफे विदा।"
हज्जे क़िरान में तीन अदद "तवाफे उमरह, तवाफे ज़ियारत और आफाक़ी के लिए तवाफे विदा।"
हज्जे इफराद में दो अदद "तवाफे ज़ियारत और आफाक़ी के लिए तवाफे विदा"

आफाक़ी- पांच मीकातों से बाहर रहने वालों को आफाक़ी कहा जाता है यानी अहले हरम और अहले हिल के अलावा पूरी दुनिया के लोग आफाक़ी हैं। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफे विदा माफ है।

नफली तवाफ

नफली तवाफ की कोई तादाद नहीं, रात या दिन में जब चाहें और जितने चाहें करें। बाहर से आने वाले हज़रात मस्जिदे हराम में नफली नमाज़ पढ़ने के बजाए नफली तवाफ ज्यादा करें। अहले हरम और अहले हिल को हज्जे इफराद ही करना चाहिए ताकि आफाक़ी लोग ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कर सकें । याद रखें कि हर नफली तवाफ के बाद भी दो रिकात नमाज़ अदा करना जरूरी है।

(वजाहत)

दो तवाफ एक साथ करना मकरूह है कि तवाफ की दो रिकात दरमयान में अदा न करें, लिहाजा उस वक्त नमाज़ पढ़ना मकरूह हो तो दो तवाफों का इकटठा करना जाएज़ है। सउदी अरब में असरकी नमाज़ अव्वल वक्त में अदा की जाती है और असर और मगरिब के दरमयान अच्छा खासा वाक्त खास कर गर्मियों में तकरीबन तीन घंटे होते हैं, अगर तवाफ से असर की नमाज़ के बाद फरागत हुई और मगरिब तक काफी वक्त बाकी है तो तवाफ की दो रिकात उस वक्त अदा कर सकते हैं, अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त करीब आ गया है तो फिर आफताब डूबने के बाद ही अदा करें।

(अहम मसअला)

माज़ूर (जिसको बीमारी हो) शख्स जिसका वज़ू नहीं ठहरता (मसलन कोई जख्म जारी है या पेशाब के कतरात मुसलसल गिरते रहते हैं या औरत को बीमारी का खून आ रहा है) तो उसके लिए हुकुम यह है कि वह नमाज़ के एक वक्त में वज़ू करे फिर उस वज़ू से उस वक्त में जितने चाहे तवाफ करे, नमाजें पढ़े और क़ुरान की तिलावत करे, दूसरी नमाज़ का वक्त दाखिल होते ही वज़ू टूट जाएगा। अगर तवाफ पूरा होने से पहले ही दूसरी नमाज़ का वक्त दाखिल हो जाए तो वज़ू करके तवाफ पूरा करे।

तवाफ के दौरान जाएज़ काम

1) सलाम करना और बवक्ते जरूरत बात करना।

2) जरूरत के वक्त तवाफ को रोकना।

3) मसाइले शरईया बताना और दरयाफ्त करना।

4) किसी बीमारी की वजह से वहील कुर्सी पर तवाफ करना।

तवाफ करने का तरीका

मस्जिदे हराम में दाखिल हो कर काबा शरीफ के उस कोना के सामने आ जाऐं जिसमें हजरे असवद लगा हुआ है और तवाफ की नियत कर लें। अगर तवाफ के बाद उमरह की सई भी करनी है तो मर्द हज़रात इज़तिबा कर लें (यानी एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं मूँढे के ऊपर डाल लें) फिर ज़बान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर हजरे असवद का इस्तिलाम करें (यानी हजरे असवद का बोसा लें या अपनी जगह पर खड़े हो कर दोनों हाथों की हथेलियों को हजरे असवद की तरफ करके हाथ चूम लें) और फिर काबा को बाएं तरफ रख कर तवाफ शुरू कर दें। मर्द हज़रात पहले तीन चक्कर में (अगर मुमकिन हो) रमल करें यानी जरा मूँढे हिला के और अकड़के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज चलें। तवाफ करते वक्त निगाह सामने रखें। खाना काबा की तरफ सीना और पुश्त न करें यानी काबा शरीफ आप के बाएं जानिब रहे। तवाफ के दौरान बेगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआएं करते रहें। आगे आधे दायरे की शकल की चार या पांच फिट की एक दीवार आप के बाएं जानिब आएगी उसको हतीम कहते हैं, उसके बाद खाना काबा के पीठ वाली दीवार आएगी, इसके बाद जब खाना काबा का तीसरा कोना आ जाए जिसे रूकने यमानी कहते है (अगर मुमकिन हो) तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरें वरना इसकी तरफ इशारा किए बेगैर यूं ही गुजर जाएं। रूकने यमानी और हजरे

असवद के दरयमान चलते हुए यह दुआ पढ़ें **रब्बना अतिना फिद्दुनिया आखिर तक**) फिर हजरे असवद के सामने पहुंच कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर हजरे असवद का इस्तिलाम करें। इस तरह आप का एक चक्कर हो गया, इसके बाद बाकी छः चक्कर बिल्कुल इसी तरह करें। कुल सात चक्कर करने हैं।

तवाफ से मुतअल्लिक चंद मसाइल

1) तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ जरूरी नहीं है बल्कि जो चाहें और जिस ज़बान में चाहे दुआ मांगते रहें। याद रखें कि असल दुआ वह है जो ध्यान, तवज्जुह और इंकिसारी से मांगी जाए चाहे जिस ज़बान में हो। अगर तवाफ के दौरान कुछ भी न पढ़े बल्कि खामोश रहें तब भी तवाफ सही हो जाता है।

2) तवाफ के दौरान जमाअत की नमाज़ शुरू होने लगे या थकन हो जाए तो तवाफ रोक दें, फिर जहाँ से तवाफ बन्द किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें।

3) नफली तवाफ में रमल और इज़तिबा नहीं होता है।

4) अगर तवाफ के दौरान वज़ू टूट जाए तो तवाफ रोक दें और फिर वज़ू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें जहाँ से तवाफ बन्द किया था क्योंकि बेगैर वज़ू के तवाफ करना जाएज नहीं है।

5) अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ पूरा करें।

6) मस्जिदे हराम के अंदर ऊपर या नीचे या मताफ में किसी भी जगह तवाफ कर सकते हैं।

7) तवाफ हतीम के बाहर से ही करें, अगर हतीम में दाखिल हो कर

तवाफ करेंगे तो वह मुतबर नहीं होगा।

8) अगर किसी औरत को तवाफ के दौरान हैज़ आ जाए तो फौरन तवाफ बन्द कर दे और मस्जिद से बाहर चली जाऐ।

9) औरतें तवाफ में रमल (अकड़ कर चलना) न करें, यह सिर्फ ' मद के लिए है।

10) तवाफ ज़ियारत (हज का तवाफ) का वक्त 10 जिलहिज्जा के गुरूबे आफताब तक है। बाज़ उलमा ने 13 ज़िलहिज्जा तक वक्त लिखा है। इन दिनों में अगर किसी औरत को माहवारी आती रहीतो वह तवाफे ज़ियारत न करे बल्कि पाक होने के बाद ही करे।

दो रिकात नमाज़

तवाफ से फरागत के बाद मक़ामे इब्राहिम के पास आऐं। उस वक्त आप की ज़बान पर यह आयत हो तो बेहतर है "**और तुम मक़ामे इब्राहिम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ**" अगर सहुलत से मक़ामे इब्राहिम के पीछे जगह मिल जाए तो वहाँ, वरना मस्जिदे हराम में किसी भी जगह तवाफ की दो रिकात (वाजिब) अदा करें।

(वज़ाहत)

1) तवाफ की दो रिकात को तवाफ से फारिग होते ही अदा करें लेकिन अगर देर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं।

2) तवाफ की इन दो रिकात के मुतअल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि पहली रिकात में सूरह काफेरून और दूसरी रिकात में सूरह इखलास पढ़ी जाए।

3) भीड़ के दौरान मक़ामे इब्राहिम के पास तवाफ की दो रिकात नमाज़ पढ़ने की कोशिश न करें क्योंकि इससे तवाफ करने वालों को

तकलीफ होती है, बल्कि मस्जिदे हराम में किसी भी जगह अदाकर लें।

सई-

सफा मरवा के दरमयान सात चक्कर लगाने को सई कहा जाता है। सई की इब्तिदा सफा से और इंतिहा मरवा पर होती है। हजरे असवद के सामने से ही सफा के लिए रास्ता जाता है। तवाफ से फरागत के बाद जमजम का पानी पी कर सफा पहाड़ी पर चलें जाऐं। सफा व मरवा दो पहाड़ियां थीं जो इन दिनों हुज्जाजे किराम की सहूलत के लिए तकरीबन खत्म कर दी गई हैं। जिन के दरमयान हज़रत हाजरा अलैहस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सात चक्कर लगाए थे और मर्द हज़रात थोड़ा तेज चलते हैं यह उस जमाना में सफा मरवा पहाड़ियों के दरमयान एक वादी थी जहाँ से उनका बेटा नजर नहीं आता था, लिहाजा वह उस वादी में थोड़ा तेज़ दौड़ी थीं। हज़रत हाजरा अलैहस्सलाम की इस अज़ीम क़ुर्बानी को अल्लाह तआला ने क़ुबूल फरमा कर क़यामत तक आने वाले तमाम मर्द हाजियों को इस जगह थोड़ा तेज चलने की तालीम दी, लेकिन शरीअते इस्लामिया ने औरतों को कमजोर जानते हुए इसको सिर्फ मर्द हज़रात के लिए सुन्नत करार दिया। सई का हर चक्कर तकरीबन 395 मीटर लंबा है, यानी सात चक्कर की मसाफत तकरीबन पौने तीन किलो मीटर बनती है। नीचे की मंजिल के मुकाबले में ऊपर वाली मंजिल पर भीड़ कुछ कम रहती है।

हज में ज़रूरी सई की तादाद

हज्जे इफराद में एक अदद (सिर्फ हज की)।

हज्जे क़िरान में दो अदद (एक उमरह की और एक हज की। बाज़ उलमा ने कहा है कि हज्जे क़िरान में एक सई भी काफी है)।

हज्जे तमत्तो में दो अदद (एक उमरह की और एक हज की)।

नफली सई - नफली सई का कोई सबूत नहीं है।

सई के बाज़ अहकाम

1) सई से पहले तवाफ का होना।

2) सफा से सई की इब्तिदा करके मरवा पर सात चक्कर पूरे करना।

3) सफा पहाड़ी पर थोड़ा चढ़कर किबला रूख खड़े होकर दुआएं करना।

4) मर्द हज़रात का सब्ज सुतूनों के दरमयान थोड़ा तेज़ तेज़ चलना।

5) मरवा पहाड़ी पर पहुंच कर किबला रूख खड़े हो कर दुआएं मांगना।

6) सफा और मरवा के दरमयान चलते चलते कोई भी दुआ बेगैर हाथ उठाए मांगना या अल्लाह का ज़िक्र करना या क़ुरान करीम की तिलावत करना।

सई के दौरान जाएज़ काम

1) बिला वज़ू सई करना, इसी तरह औरतों का माहवारी की हालत में सई करना।

2) सलाम करना और बात करना।

3) ज़रूरत पड़ने पर सई का सिलसिला बन्द करना।

4) किसी बीमारी की वजह से व्हीलचेयर पर सई करना।

सई करने का तरीका

सफा पर पहुंच कर बेहतर है कि ज़बान से कहे **"अबदअु बिमा बदअल्लाहु बिहि आखिर तक**" फिर खाना काबा की तरफ रूख करके दुआ की तरह हाथ उठा लें और तीन मरतबा अल्लाहु अकबर कहें और अगर यह दुआ याद हो तो इसे भी तीन बार पढ़ें"**लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहु आखिर तक**" उसके बाद खड़े हो कर खुब दुआएं मांगे। यह दुआओं के कबूल होने का खास मक़ाम और खास वक्त है। दुआओं से फारिग हो कर नीचे उतर कर मरवा की तरफ आम चाल से चलें। बेगैर हाथ उठाऐं दुआएं मांगते रहें या क़ुरान करीम की तिलावत करते रहें। सई के दौरान भी कोई खास दुआ लाजिम नहीं अलबत्ता इस दुआ को खास तौर पर पढ़ते रहें **"रब्बिगफिर वरहम आखिर तक**" जब सब्ज सुतून (जहाँ हरी टूयब लाईटें लगी हुई हैं) के करीब पहुंचे तो मर्द हज़रात ज़रा दौड़ कर चलें उसके बाद फिर ऐसे ही हरे सुतून और नज़र आएंगे वहाँ पहुंच कर दौड़ना खत्म कर दें और आम चाल से चलें। मरवा पर पहुंच कर क़िबला की तरफ रूख करके हाथ उठा कर दुआएं मांगे, यह सई का एक चक्कर हो गया। इसी तरह मरवा से सफा की तरफ चलें। यह दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह आखरी व सातवाँ चक्कर मरवा पर खत्म होगा। हर मरतबा सफा और मरवा पर पहुंच कर खाना काबा की तरफ रूख करके दुआएं करनी चाहिए।

सई से मुतअल्लिक चंद मसाइल

1) सई के लिए वज़ू का होना जरूरी नहीं अलबत्ता अफ़ज़ल व बेहतर है। हैज़ (माहवारी) और निफास की हालत में भी सई कीजा सकती है यानी अगर किसी औरत को तवाफ से फरागत के बाद माहवारी आ जाए तो वह सई नापाकी की हालत में कर सकती है लेकिन उसको चाहिए कि वह सई से फरागत के बाद मरवा की जानिब से बाहर चली जाए, मस्जिदे हराम में दाखिल न हो। अलबत्ता तवाफ हैज़ या निफास की हालत में हरगिज़ न करे बल्कि मस्जिदे हराम में भी दाखिल न हो।

2) तवाफ से फारिग हो कर अगर सई करने में देरी हो जाए तोकोई हर्ज नहीं।

3) सई का तवाफ के बाद होना शर्त है, तवाफ के बेगैर कोई सई मुतबर नहीं चाहे उमरह की सई हो या हज की।

4) सई के दौरान नमाज़ शुरू होने लगे या थक जाऐं तो सई रोक दें फिर जहाँ से सई रोकी थी उसी जगह से दोबारह शुरू कर दें।

5) अगर सई के तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से सई पूरा करें।

6) औरतें सई में हरगिज सब्ज सुतूनों (जहाँ हरी टूयब लाईटें लगी हुई हैं) के दरमयान मर्द की तरह दौड़ कर न चलें।

हज्जे क़िरान में तवाफ और सई की तादाद

हज की तीन किसमें हैं- (1) तमत्तो (2) क़िरान (3) इफ़राद

हज्जे तमत्तो में मीक़ात से सिर्फ उमरह का एहराम बांधा जातौ।ह तवाफ, सई और हलक़ या क़स्र करके यानी उमरह की अदाएगी से फरागत के बाद एहराम उतार दिया जाता है फिर 7 या 8 ज़िलहिज्जा को मक्का ही से हज का एहराम बांध कर मिना जा कर दूसरे हाजियों की तरह हज के आमाल किए जाते हैं।

हज्जे क़िरान में मीक़ात से हज व उमरह का एक साथ एहराम बांधा जाता है। उमरह के तवाफ और सई से फरागत के बाद न बाल कटवाए जाते हैं और एहराम उतारा जाता है, फिर तवाफे कुदूम कर लिया जाता है जो हज्जे क़िरान वालों के लिए सुन्नत है। फिर मिना जा कर दूसरे हाजियों की तरह हज के आमाल किए जाते हैं।

हज्जे इफ़राद में मीक़ात से सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, कुदूम (जो कि सुन्नत है) करके मिना जा कर दूसरे हाजियों की तरह हज के आमाल किए जाते हैं। हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान में शुक्रुया हज की कुर्बानी करना वाजिब है जबकि इफ़राद में मुस्तहब है।

गरज़ ये कि हज्जे क़िरान और हज्जे तमत्तो में हज के साथ उमरह की अदाएगी की वजह से एक तवाफ उमरह का और एक तवाफ हज का इसी तरह एक सई उमरह की और एक सई हज की अदा करनी होती है, जबकि मीक़ात के बाहर से आने वालों के लिए तवाफे विदा भी ज़रूरी है। इस तरह हज में ज़रूरी तवाफ की तादाद अहादीसे नबविया की रौशनी में उलमा-ए-अहनाफ की राय में हस्बे ज़ैल हैं।

हज में ज़रूरी तवाफ की तादाद

हज्जे तमत्तो में तीन अदद- (तवाफे उमरह, तवाफे ज़ियारत ज़ियारत और आफाक़ी के लिए तवाफे विदा)।

हज्जे क़िरान में तीन अदद- (तवाफे उमरह, तवाफे ज़ियारत और आफाक़ी के लिए तवाफे विदा)।

हज्जे इफ़राद में दो अदद- (तवाफे ज़ियारत और आफाक़ी के लिए तवाफे विदा)।

हज्जे इफ़राद और हज्जे क़िरान में तवाफे कुदूम भी सुन्नत है, इस तरह उलमा-ए-अहनाफ के राय में हज्जे क़िरान करने वालों को चार तवाफ करने चाहिए, सबसे पहले तवाफे उमरह जिसके बाद उमरह की सई भी करनी होती है, दूसरे तवाफे कुदूम जो सुन्नत है, तीसरे तवाफे इफाज़ा या तवाफे ज़ियारत जिसको हज का तवाफ भी कहा जाता है, इसके बाद हज की सई भी होती है बर्शतेकि तवाफ कुदूम के साथ न की हो। चैथे तवाफे विदा जो आफाक़ी के लिए वाजिब है अलबत्ता तवाफे विदा ऐसी औरत के लिए माफ है जिसको रवानगी के वक़्त माहवारी आ जाए। गरज़ ये कि उलमा-ए-अहनाफ के नज़दीक हज्जे तमत्तो की तरह हज्जे क़िरान में भी उमरह का अलग अलग तवाफ करना ज़रूरी है। इस तरह उलमा-ए-अहनाफ के नज़दीक हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान में सिर्फ यह फर्क होगा कि हज्जे तमत्तो में उमरह करके एहराम उतार दिया जाता है और फिर मक्का ही से हज का एहराम बांधा जाता है जबकि हज्जे क़िरान में एकही एहराम से दोनों की अदाएगी की जाती है बाकी सारे आमाल एक जैसे हैं।

हिन्द व पाक के जमहूर उलमा (जो मुख्तलफ फी मसाइल में 80

हिजरी में पैदा हुए मशहूर व मारूफ फकीह व मुहद्दीस हज़रत हज़रत इमाम अबु हनीफा की राय को तरजीह देते हैं) की भी यही राय है कि हज्जे क़िरान में एक तवाफ उमरह और हज दोनों के लिए काफी नहीं होगा बल्कि दोनों के मुस्तकिल इबादत होने की वजह से दोनों के लिए अलग अलग तवाफ करने होंगे और जो हदीस में आया है कि हज्जे क़िरान में उमरह हज में शामिल हो गया, इसका यह मतलब नहीं कि एक ही तवाफ दोनों के लिए काफी है बल्कि मतलक यह है कि उमरह से फरागत के बाद एहराम नहीं उतराना है बल्कि उमरह और हज से फरागत के बाद एक ही मरतबा हलक़ हलक़ या क़स्र करके एहराम उतारना है। कुरान करीम की आयत से भी यही मालूम हो रहा है कि यह दो अलग अलग इबादतें हैं और दोनों की तकमील ज़रूरी है।

इसके बरखिलाफ दूसरे उलमा के नज़दीक क़ारिन को तीन तवाफ करने हैं, एक तवाफे कुदूम जो सुन्नत है दूसरा तवाफे ज़ियारत और आखरी तवाफे विदा। यानी उनकी राय में हज्जे क़िरान में उमरह का तवाफ करने की जरूरत नहीं है बल्कि हज का तवाफ यानी इफाज़ा उमरह के तवाफ के लिए काफी है। दोनों मकातिबे फिक्र के पास दलाएल मौजूद हैं लेकिन मशहूर व मारूफ फकीह व मुहद्दीस हज़रत इमाम अबु हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ की राय हमेशा की तरह इहतियात पर मबनी है और वह यह है कि हज्जे क़िरान में भी उमरह और हज का अलग अलग तवाफ किया जाए ताकि हज की अदाएगी के बाद कोई शक व शुबहा पैदा न हो क्योंकि इंसान को अपनी जिन्दगी में बार बार हज करने की तौफीक आम तौर पर नहीं मिलती है। सहाबा-ए-किराम में से हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली

मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत हसन बिन अली, हज़रत हुसैन बिन अली (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबेईन व तबेताबईन में से हज़रत मुजाहिद, हज़रत काजी शुरैह, हज़रत इमाम शाबी, हज़रत इब्ने शुबरूमा हज़रत इब्ने अबी लैला, इमाम नखई, हज़रत इमाम सौरी, हज़रत असवद बिन ज़ियाद, हज़रत हम्माद बिन सलमा, हज़रत हम्माद बिन सुलैमान, हज़रत ज़ियाद बिन मलिक, हज़रत हसन बसरी और हज़रत इमाम अबु हनीफा (रहमतुल्लाह अलैहिम) से यही मंकूल है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल का भी यही क़ौल है। तफसीलात के लिए अल्लामा बदरूद्दीन अैनी (762 हिजरी-885 हिजरी) की बुखारी की शरह उमदतुल क़ारी फी शरह अल बुखारी जिल्द 9 पेज 184 का मुतालआ फरमाएं।

(वज़ाहत) उलमा-ए-अहनाफ के दलाएल के ज़िक्र से पहले हज्जतुल विदा के मौका पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ के मुतअल्लिक एक वज़ाहत करना मुनासिब समझता हूँ जिस पर उम्मते मुस्लिमा का इत्तिाफ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज 10 हिजरी में किया जिसको हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है और इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तवाफ मक्का में दाखिल होने के दिन 4 ज़िलहिज्जा को किया था, दूसरा तवाफ (तवाफे इफाज़ा) 10 ज़िलहिज्जा को किया था और तवाफे विदा 14 ज़िलहिज्जा को किया था।

उलमा-ए-अहनाफ के बाज़ दलाएल

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उमरह और हज के लिए 2 (अलग अलग) तवाफ और 2 (अलग अलग) सई कीं। हज़रत अबु बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली मुर्तजा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने भी इसी तरह 2 (अलग अलग) तवाफ और 2 (अलग अलग) सई की थीं। (सूनने दारे क़ुतनी जिल्द 2 पेज 264)

हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (उमरह और हज के) दो अलग अलग तवाफ किए और (उमरह और हज की) दो अलग अलग सई कीं। । (सूनने दारे क़ुतनी जिल्द 2 पेज 264)

मशहूर ताबई हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने हज व उमरह को एक साथ जमा किया (यानी क़िरान किया) और उन्होंने (उमरह और हज के) दो अलग अलग तवाफ किए और (उमरह और हज की) दो अलग अलग सई कीं और उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैंने ऐसा ही करते देखा था जैसे मैंने किया है। (सूनने दारे क़ुतनी) (मआरिफुसूनन जिल्द 4 पेज 609)

हज़रत इब्राहिम बिन मोहम्मद इब्ने अलहनफीया फरमाते हैं कि उन्होंने अपने वालिद के साथ हज किया और उन्होंने हज व उमरह को एक साथ जमा किया (यानी हज्जे क़िरान का एहराम बांधा) और उन्होंने (उमरह और हज के) दो अलग अलग तवाफ किए और (उमरह और हज की) दो अलग अलग सई कीं और उन्होंने मुझसे बयान किया कि हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने भी ऐसा ही

किया था और उन्होंने (हज़रत अली) ने इन्हें (हज़रत इब्राहिम के वालिद) बताया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था। (सूनन कुबरा लिलनसाई- मसनद अली) (नसबुर राया-बाबुल क़ुरान जिल्द 3 पेज 110)
हज़रत हसन बिन अम्मारह हज़रत हकम से और वह हज़रत इब्ने अबी लैला से रिवायत करे हैं कि हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने हज में दो तवाफ किए और दो सई कीं और फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था। । (सूनने दारे क़ुतनी जिल्द 2 पेज 263)
हज़रत मंसूर बिन अलमोतमिर हज़रत इब्राहिम नखई से और वह हज़रत अबु नसर अस्सलमा से रिवयात करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब मैं हज व उमरह का एहराम बांधता हूं तो दो तवाफ और दो सई करता हूं। हज़रत मंसूर फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हज़रत मुजाहिद से हुई और उन्होंने फतवा दिया कि क़िरान करने वाले के लिए एक तवाफ है तो मैंने यह हदीस बयान की तो उन्होंने फरमाया अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं ऐसा फतवा नहीं देता बल्कि दो ही तावफ करने के फतवा `दता लेकिन आज के बाद (उमरह और हज के अलग अलग) दो ही तवाफ करने का फतवा दूंगा । (कितबुल आसार- किताबुल मनासिक- बाबुल क़िरान व फजलुल एहराम)
हज़रत ज़ियाद बिन मालिक से रिवयात है कि हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने फरमाया कि हज्जे क़िरान में (उमरह और हज के अलग अलग) दो ही तवाफ हैं। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा)

मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में ही हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का असर मरवी है कि जब तुम हज्जे क़िरान का एहराम बांधो तो (हज व उमरह के अलग अलग) दो तवाफ और दो सई करो।

मुजल्ला (जिल्द 7 पेज 175) में शैख इब्ने हज़म ने हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का असर नकल किया है कि जब तुम क़िरान का एहराम बांधो तो (हज व उमरह के अलग अलग) दो तवाफ और दो सई करो।

अईम्मा सलासा की दलील का जवाब

दूसरे उलमा की दलील हज़रत जाबिर, हज़रत आईशा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की वह रिवायत हैं जो सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिर्मीजी में मरवी हैं, जिसमें मज़कूर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जे क़िरान का एहराम बांधा और एक तवाफ किया। यह अहादीस मुअव्वल हैं यानी इनके मानी में तावील की गई है और इनका ज़ाहिरी मफहूम किसी के नज़दीक भी मुराद नहीं है क्योंकि इस पर इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक तवाफ नहीं बल्कि तीन तवाफ किए थे। अइम्मा सलासा इन रिवायात की यह तावील करते हैं कि तवाफे वाहिद से मुराद तवाफे ज़ियारत है जिसमें तवाफे उमरह का तदाखुल जबकि उलमा-ए-अहनाफ इसकी यह तौजीह बयान करते हैं कि इन अहादीस में तवाफे वाहिद से मुराद तवाफे उमरह है जिस में तवाफे कुदूम का तदाखुल हो गया है और यह भी मुमकिन है कि इन अहादीस से मुराद तवाफे तहल्लुल हो और मतलब यह है कि

ऐसा तवाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही किया है जो तहल्लुल का सबब बना हो और वह तवाफे ज़ियारत है क्यों कि तवाफ उमरह के बाद आप क़िरान का एहराम बांधने की वजह से हलात नहीं हुए। गरज़ ये कि इन अहादीस के बहुत से मफाहिम मुराद लिए जा सकते हैं।

हज्जे क़िरान में दो सई

सई के बारे में भी इखतिलाफ है। उलमा-ए-अहनाफ के नज़दीकहज्जे क़िरान में तवाफ की तरह हज व उमरह के लिए दो अलग अलग सई करनी होंगी, जबकि दूसरे उलमा के नज़दीक हज्जे क़िरान में एक ही सई हज व उमरह दोनों के लिए काफी है। अईम्मा सलासा का इस्तिदलाल इन अहादीस से है जिनमें तवाफे वाहिद के साथसई वाहिद का ज़िक्र आया है। उलमा-ए-अहनाफ का इस्तिदलाल इन अहादीस से है जिनमें हज्जे क़िरान में सराहत के साथ दो सई का ज़िक्र आया है। नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सई पैदल की या सवार हो कर दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं। इस ज़ाहिरी तआरूज़ को दूर करने की एक तौजीह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सई पैदल की और दूसरी सई सवार हो कर की थी।

हज में ज़रूरी सई की तादाद

अहादीसे नबविया की रौशनी में उलमा-ए-अहनाफ की राय है कि हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान में ज़रूरी सई की तादाद दो अदद जबकि इफ़राद में एक अदद है।

खुलासा कलाम

मौज़ू बहस मसअला में ज़माना ए क़दीम से इखतिलाफ चला आ रहा है, दोनों मकातिबे फिक्र के पास दलाएल मौजूद हैं। अइम्मा सलासा की राय जिन अहादीस पर मबनी है वह सनद के एतबार से तो मजबूत हैं लेकिन उनके ज़ाहिरी मफहूम किसी के नज़दीक मुराद नहीं है बल्कि उसके मानी में तावील की गई है और उसके कसीर इहतिमालात हैं, इस लिए इनसे कोई दावा साबित नहीं किया जा सकता। उलमा-ए-अहनाफ के दलाएल जिन अहादीस पर मबनी हैं उनकी सनद पर कुछ एतेराज़ात किए गए हैं, जिन के उलमा-ए-अहनाफ ने माकूल जवाबात भी दिए हैं। मगर उलमा-ए-अहनाफ के दलाएल मफहूम के एतेबार से बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हज्जे क़िरान में तवाफ विदा के अलावा दो तवाफ और दो सई ज़रूरी हैं। नीज़ उलमा-ए-अहनाफ का क़ौल एहतियात पर मबनी है कि अगर कोई शख्स हज्जे क़िरान में उमरह और हज का अलग अलग तवाफ और सई करता है तो पूरी दुनिया का कोई भी आलिम हज में किसी तरह की कमी का फतवा सादिर नहीं कर सकता है, मगर हज्जे क़िरान में उमरह व हज के लिए सिर्फ एक तवाफ या सिर्फ एक सई करता है तो उलमा-ए-अहनाफ जो दुनिया में एक हजार साल से ज्यादा के अरसा से बराबर अकसरियत में रह कर क़ुरान व हदीस की अज़ीम खिदमात पेश कर रहे हैं, दम के वाजिब होने का फतवा सादिर फरमाएंगे, लिहाज़ा एहतियात इसी में है कि हज्जे तमत्तो की तरह हज्जे क़िरान में भी उमरह और हज का अलग अलग तवाफ और अलग अलग सई करें।

हुज्जाजे किराम के लिए 10 ज़िलहिज्जा के आमाल में तरतीब

10 ज़िलहिज्जा का दिन हुज्जाजे किराम के लिए काफी मसरूफ दिन होता है, हुज्जाजे किराम के लिए दस ज़िलहिज्जा से मुतअल्लिक चार आमाल हैं -

1) रमी (आखरी जमरा पर सात कंकड़ियां मारना)

2) क़ुर्बानी

3) हलक़ या क़स्र (बाल मुंडवाना या छोटा कराना)

4) तवाफे ज़ियारत और हज की सई

(वज़ाहत) 10 ज़िलहिज्जा को रमी सुबह से मगरिब तक की जा सकती है और मगरिब तक कंकड़ियां न मार सके तो रात में भी कंकड़ियां मार सकते हैं। क़ुर्बानी, हलक़ या क़स्र और तवाफे ज़ियारत व हज की सई 10 ज़िलहिज्जा को करना ज़रूरी नहीं है बल्कि 12 ज़िलहिज्जा के आफताब डूबने तक दिन व रात में किसी भी वक़्त कर सकते हैं, बाज़ उलमा ने 13 ज़िलहिज्जा तक इजाज़त दी है लेकिन बेहतर यही है कि इन आमाल से 10 ज़िलहिज्जा को ही फारिग हो जाएं। 10 ज़िलहिज्जा के यह मज़कूरा आमाल क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा में जिस तरगीब से अंजाम दिए थे वह सही मुस्लिम की मज़कूरा हदीस में आया है।

हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिना आए तो पहले जमरा उक़बा पर गए और वहाँ कंकड़ियां मारीं फिर मिना में अपनी क़यामगाह पर तशरीफ लाए और फिर क़ुर्बानी की उसके बाद हज्जाम से कहा और

अपने सर के दाहिनी तरफ इशारा किया और फिर बाएं जानिब इशारा किया और अपने बाल लोगों के देने शुरू कर दिए।
नीज़ सही मुस्लिम में है कि हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसवीं ज़िलहिज्जा को जमरा उक़बा की कंकड़ियां मारते हुए इरशाद फरमा रहे थे कि मुझसे अपने मनासिके हज सिख लो, इस लिए कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इस हज के बाद फिर हज करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रोशनी में पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हुज्जाजे किराम को 10 ज़िलहिज्जा के आमाल उसी तरतीब से करने चाहिए जो सही मुस्लिम में जिक्र किए गए हैं और आज़मीने हज को यही तालीम देनी चाहिए कि यह चारों आमाल उसी तरतीब से करें जिस तरतीब से तमाम नबियों के सरदार मोहम्म्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले और आखरी हज में किए थे। लेकिन अगर कोई हाजी इन आमाल को तरतीब के खिलाफ कर ले मसलन रमी से पहले क़ुर्बानी कर ले या रमी से पहले बाल मुंडवाले तो क्या उसकी वजह से कोई दम वाजिब होगा या नहीं? इसमें फ़ुक़हा व उलमा के दरमयान इखतिलाफ है। तवाफे ज़ियारत और बाकी तमाम तीन आमाल (रमी, क़ुर्बानी और हलक़) के दरमयान बिलइत्तिफाक़ तरतीब वाजिब नहीं है, यानी तवाफे ज़ियारत , रमी, क़ुर्बानी और हलक़ या क़स्र से पहले या बाद में कभी भी किया जा सकता है। इन आमाल से फरागत `क बाद तवाफे ज़ियारत आम लिबास में वरना एहराम की हालत में अदा किया जाएगा। इस पर भी इत्तिफाक़ है कि हज इफराद अदा करने वाले के लिए चूंकि क़ुर्बानी वाजिब नहीं है इस लिए उसके हक़ में

क़ुर्बानी में भी तरतीब ज़रूरी नहीं है। हज़रत इमाम अबु हनीफा की राय में हज्जे क़िरान और हज्जे तमत्तो करने वाले के लिए रमी, क़ुर्बानी और हलक़ या क़स्र में तरतीब ज़रूरी है चुनांचे हज़रत इमाम अबु हनीफा की राय में रमी, क़ुर्बानी और हलक़ या क़स्र में तरतीब की खिलाफवरज़ी की सूरत में दम वाजिब होगा। लेकिन हज़रत इमाम अबु हनीफा के नुक़तए नजर की बाबत यह बात ज़रूर मलहूज रखें कि अगर कोई शख्स मसाइल के न मालूम होने की बिना पर तरतीब की खिलाफवरज़ी करे तो खुद हज़रत इमाम अबु हनीफा के नज़दीक भी दम वाजिब नहीं होगा, हज़रत इमाम अबु हनीफा के मशहूर शागिर्द हज़रत इमाम मोहम्मद ने खुद इसकी वज़ाहत फरमाई है। हज़रत इमाम अबु हनीफा की दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) का यह क़ौल है कि जिस शख्स ने हज के किसी (अहम) अमल को पहले या बाद में किया तो उस पर दम वाजिब होगा। नीज़ यह भी दलील है कि एहराम बांधने के बाद अगर किसी हाजी के सर में बहुत ज्यादा जुएं हो जाएं तो शरीअते इस्लामिया ने एहराम की हालत में सर मुंडवाने की इजाज़त दी है लेकिन फिदया वाजिब होगा यानी रोज़ा या सदका या क़ुर्बानी जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरह बक़रा आयत 196 में जिक्र किया है तो जब परेशानी की वजह से क़ब्ल अज़ वक़्त सर मुंडवाने पर रोजा या फिदया या दम वाजिब हुआ तो बेगैर परेशानी के अगर क़ुर्बानी और रमी से पहले हलक़ कर दे तो बदरजा ऊला दम वाजिब होना चाहिए। इसके अलावा अक़ली दलील भी है कि जिस तरह मीक़ाते मकानी में ताखीर हो जाए यानी कोई शख्स एहराम के बेगैर मीक़ात से आगे बढ़ जाए तो दम वाजिब होता है, इसी तरह 10 ज़िलहिज्जा को जिस

अमल के लिए जो वक़्त मुक़र्रर है मसलन पहले रमी फिर क़ुर्बानी और फिर हलक़ या क़स्र तो मुक़र्रर वक़्त से ताखीर यानी तरतीब के बदलने पर दम आना चाहिए।
हज़रत इमाम मालिक की राय है कि रमी से पहले हलक़ या क़स्र कराने वाले पर दम वाजिब होगा। (अलमदुनल कुबरा जिल्द 1 पेज 23)
हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल, हज़रत इमाम शाफई और हज़रत इमाम अबु हनीफा (रहमतुल्लाह अलैहिम) के दोनों मशहूर शागिर्द हज़रत इमाम यूसुफ और हज़रत इमाम मोहम्मद (रहमतुल्लाह अलैहिम) की राय है कि इन मज़कूरा आमाल में तरतीब वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। (रद्दुल मुखतार जिल्द 2 पेज 250, बदाए अस सनाए जिल्द 2 पेज 141) लेकिन सबने जानते बुझते तरतीब की खिलाफवरज़ी को बाइसे कराहत कहा है। इन हज़रात का इस्तिदलाल उन मशहूर रिवायात से है जो सिहाये सित्ता में लिखी हुईं हैं और जिन में हज से फरागत के बाद ज़बह से पहले हलक़ और रमी से पहले ज़बह के सवाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "**कोई हर्ज नहीं है**" फरमाया है।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अलआस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में मिना में लोगों के लिए तशरीफ फरमा हुए ताकि लोग सवाल करें, एक शख्स ने कहा कि मैने लाइलमी में ज़बह से पहले हलक़ किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़बह कर लो कोई हर्ज नहीं, दूसरे ने आ कर कहा मैंने रमी से पहले क़ुर्बानी करली, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हर्ज नहीं,

तकदीम और ताखीर से मुतअल्लिक जो भी सवाल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हर्ज नहीं। (सही बुखारी) अइम्मा सलासा और साहिबैन ने इस हदीस में हर्ज से हर्ज दुनियवी और हर्ज उखरवी दोनों ही मुराद लिए हैं, यानी न ऐसे शख्स पर दम जिनायत वाजिब होगा और न वह आखिरत में गुनाहगार होगा। हज़रत इमाम अबु हनीफा (रहमतुल्लाह अलैह) ने इस हदीस से हर्ज उखरवी मुराद लिया है यानी इन तीनों आमाल के आगे पीछे करने पर आखिरत में कोई गुनाहगार नहीं होगा। नीज़ गलती करने वाले सहाबा-ए-किराम को मसाइल से वाक़फियत ही नहीं थी जैसा कि अहादीस के अलफाज़ से वाजेज़ होता है और मसाइल से नावाक़फियत की वजह से इन आमाल को तरतीब से न करने पर हज़रत इमाम अबु हनीफा (रहमतुल्लाह अलैह) की राय में भी कोई दम लाज़िम नहीं। लेकिन जानबूझ कर इन आमाल को तरतीब के खिलाफ करने पर हज़रत इमाम अबु हनीफा (रहमतुल्लाह अलैह) की राय में दम लाज़िम होगा।

इस मौज़ू पर फिकहे इस्लामी हिन्द ने क़ाजी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी (रहमतुल्लाह अलैह) की सरपरस्ती में उलमा व फुक़हा का एक सेमीनार का इंइकाद किया था कि हज़रत इमाम अबु हनीफा की राय में 10 ज़िलहिज्जा के आमाल (रमी , क़ुर्बानी और हलक़ या क़स्र) में तरतीब बरकरार रखना ज़रूरी है लेकिन आज के हालातमें तरतीब बरकरार रखना इंतिजामी अमूर की वजह से मुश्किल हो गया है, नीज़ इन दिनों हूकूमते सउदी ने अपनी निगरानी में एदारे क़ायम किए हैं जो क़ुर्बानी कराते हैं और यह महसूस किया जाता है कि उनके यहां तरतीब वाजिब न होने की वजह से आम तौर पर तरतीब

का खयाल नहीं रखा जाता है तो क्या उसके हल के लिए अदमे वजूब के काएलीन और अहनाफ में साहिबैन के क़ौल को इखतियार किया जा सकता है? इस मौज़ू पर बहुत से मुफतियाने किराम ने अपने क़ीमती मक़ाले तहरीर किए हैं। अक्सर मुफतियाने किराम की राय पर यह फैसला किया गया कि जमहूर और साहिबैन की राय भी कवी दलील पर मबनी है और यह भी एक हकीकत है कि जिन मसाइल में हज़रत इमाम अबु हनीफा और सहिबैन के दरमयान इखतिलाफ हो उनमें साहिबैन की राय को तरजीह देना असहाबे इफता के यहाँ कोई नादिर नहीं है, चुनांचे फैसला किया गया कि हुज्जाजे किराम को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन तो तरतीब की रिआयत को मलहूज़ रखें और यही मतलूब व मकसूद है ताहम भीड़, मौसम की शिद्दत और मज़बह की दूरी वगैरह की वजह से साहिबैन और अइम्मा सलासा के क़ौल पर अमल करने की गुनजाइश है, लिहाज़ा अगर यह मनासिक तरतीब के खिलाफ हों तो दम वाजिब नहीं होगा।

इन दिनों बाज़ हज़रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के अमल के बरखिलाफ आज़मीने हज को इब्तिदा ही से यह दावत देते हैं कि 10 ज़िलहिज्जा के आमाल(रमी, क़ुर्बानी और हलक़ या क़स्र) अपनी सहूलत से जब चाहें करें। इन आमाल में तरतीब वाजिब न होने को अगर तसलीम भी कर लिया जाए तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि हम आज़मीने हज को हज की अदाएगी से पहले यह तरगीब दें कि वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक़ इन आमाल को करने की कोई कोशिश ही न करें बल्कि अपनी मर्ज़ी और सहूलत से

इन आमाल में से जो चाहें कर लें। यह यक़ीनन शरीअते इस्लामिया की रूह के खिलाफ है, उलमा-ए-किराम को चाहिए कि वह आज़मीने हज को यही तालीम दें कि 10 ज़िलहिज्जा के आमाल उसी तरतीब से करें जिस तरतीब से हुज़ूर अकरम सल्लललाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में गुज़रा, और हज्जतुल विदा में एक लाख से ज्यादा सहाबा-ए-किराम ने यह आमाल इसी तरतीब से किए थे। लेकिन अगर कोई हाजी गलती से, न जानते हुए, तकलीफ और दुशवारी की वजह से यह आमाल तरतीब से न कर सका तो इंशाअल्लाह दम वाजिब नहीं होगा, जैसा कि बाज़ सहाबा-ए-किराम ने मसाइल के न मालूम होने की वजह से गलती होने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "**कोई हर्ज नहीं** कह कर उनको मुतमइन किया मगर बाकी तमाम सहाबा-ए-किराम ने जिनकी तादाद एक लाख से ज्यादा थी, यह आमाल उसी तरतीब से किए थे जिस तरतीब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। नीज़ जिन हज़रात से गलती हुई उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल के वक़्त फरमाया था कि मसाइल की जानकारी न होने की वजह से यह गलती हुई है, जिसपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "**कोई हर्ज नहीं**"।

गरज़ ये कि वह आमाल जो हमारे इखतियार मे हैं इस में हम तरतीब को जहाँ तक हो सके बाकी रखें मसलन अगर क़ुर्बानी का हमें इल्म नहीं हो पा रहा है कि किस वक़्त क़ुर्बानी हुई तो हमें यह तो मालूम है कि हमने कंकड़ियां मारी या नहीं नीज़ सर के बाल मुंडवाना या कटवाना हमारे इखतियार में है। लिहाजा हम सर के

बाल उसी वक़्त मुंडवाएं या कटवाएं जब हम कंकड़ियां मार चुके हों और काफी हद तक यह यक़ीन हो जाए कि हमारी क़ुर्बानी हो गई होगी।

अल्लाह तआला तमाम आज़मीने हज के लिए आसानी व खैर का मामला फरमा कर उनके हज को मकबूल व मबरूर बनाए।

जमरात पर कंकड़ियां मारने के अहम मसाइल

रमी- जमरात पर कंकड़ियां मारने को कहते हैं।

जमरात- यह मिना में तीन मशहुर मक़ाम है जहाँ अब दीवार की शकल में बड़े बड़े सुतून बने हुए हैं। अल्लाह तआला के हुकुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में इन तीनों जगहों पर कंकड़ियां मारी जाती हैं। इनमें से जो मस्जिदे ख़ैफ के करीब है जमरा उला उसके बाद बीच वाले जमरा को जमरा वुस्ता और उसके बाद मक्का की तरफ आखरी जमरा को जमरा उक्बा या जमरा कुबरा कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन तीनों मक़ामात पर बहकाने की कोशिश की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मक़ामात पर शैतान को कंकड़ियां मारी थीं और अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल को क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाज़िम करार दिया। हुज्जाजे किराम बज़ाहिर जमरात पर कंकड़ियां मारते हैं लेकिन हकीकत में शैतान को इस अमल के जरिया धुतकारा जाता है जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) का फरमान है-

रमी का हुकुम- रमी जमरात पर कंकड़ियां मारना, हज के वाजिबात में से है यानी उसके छोड़ने पर दम लाज़िम होगा। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं ज़िलहिज्जा को रमी करना (यानी 49 कंकड़ियां मारना) हर हाजी के लिए ज़रूरी है। तेरहवीं ज़िलहिज्जा की रमी

(यानी 21 कंकड़ियां मारना) इखतियारी है, अगर 12 ज़िलहिज्जा के बाद आने वाली रात में मिना में क़याम किया तो फिर 13 जिलहिजा का रमी (21 कंकड़िया मारना) जरूरी होगी, इस तरह 13 ज़िलहिज्जा तक 70 कंकड़ियां इस्तेमाल में आएंगी।

रमी की फज़ीलत - हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**इजा रमैयतल जिमार आखिर तक**" (रवाहुल बज्जाज, सहीहुत तरगीब 1157) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि "**जिसने जमरात पर कंकड़िया मरीं उसके लिए कल क़यामत के दिन एक नूर होगा**।"
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**व अम्मा रमयुकल जिमार आखिर तक**" (रवाहुत तबरानी फ़िल कबीर वलबज़्ज़ाज़ व इबने हिब्बान फी सही) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि "**जमरा पर हर कंकड़ी मारने से एक बड़े गुनाह की माफी होती है**।"
कंकड़ियां चुनना- मुज़दलफा से मिना जाने के वक़्त बड़े चने के बराबर कंकड़ियां चुन लें लेकिन कंकड़ियों का मुज़दलफा ही से उठाना जरूरी नहीं बल्कि मिना से भी उठा सकते हैं।

10 जिलहिजा- 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ जमरा उक़बा पर सात कंकड़ियां मारना जरूरी है।

रमी का वक़्त-10 ज़िलहिज्जा को कंकड़ी मारने का मसनून वक़्त

आफताब निकलने से ज़वाल तक है, अलबत्ता आफताब डूबने तक भी बेगैर किसी कराहियत के कंकड़ियां मारी जा सकती हैं। अगर आफताब डूबने तक भी रमी न कर सके तो सुबह तक भी रमी की जा सकती है। बाज़ उलमा-ए-किराम ने 10 ज़िलहिज्जा को आफताब निकलने के बजाए सुबह सादिक से ही कंकड़ियां मारने की इजाज़त दी है। गरज़ ये कि 10 ज़िलहिज्जा को तकरीबन 24 घंटे रमी की जा सकती है।

रमी का तरीका- मिना पहुंच कर सबसे पहले बड़े और आखरी जमरा को सात कंकड़ियां मारें, कंकड़ियां मारने का तरीका यहहै कि बड़े जमरे से थोड़े दूरी पर खड़े हों और सात दफा में दाहिने हाथ से सात कंकड़ियां मारें, हर मरतबा बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहें।

दूसरे की तरफ से रमी करने का तरीका- दसवीं तारीख को दूसरे की तरफ से रमी करने (कंकड़ियां मारने) का तरीका यह है कि पहले अपनी तरफ से अपनी सात कंकड़ियां मारें फिर दूसरे की तरफ से सात कंकड़िया मारें।

11 और 12 ज़िलहिज्जा- 11 और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर कंकड़ियां मारना वाजिब है।

रमी का वक़्त- दोनों दिन तीनों जमरात को कंकड़ियां मारने का मसनून वक़्त आफताब निकलने के वक़्त से आफताब डूबने के वक़्त तक है। अगर आफताब डूबने के वक़्त तक रमी नहीं कर सके तो रात में भी सुबह से पहले तक कंकड़ियां मारी जा सकती हैं।

रमी का तरीका- सबसे पहले छोटे जमरा (जो मस्जिदे ख़ैफ की तरफ है) सात कंकड़ियां सात दफा में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर

कह कर मारें। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ कर दाएं या बाएं जानिब हो जाएं और क़िबला रूख हो कर हाथ उठा कर खुब दुआएं करें। उसके बाद बीच वाले जमरा पर सात कंकड़ियां मारें और बाएं या दांए जानिब हो कर खुब दुआएं करें फिर तीसरे और बड़े जमरा पर सात कंकड़ियां मारें और बेगैर दुआ के चले जाएं।

(नोट) ग्यारहवीं और बारहवीं ज़िलहिज्जा को जवाल से पहले कंकड़ियां मारना जाएज़ नहीं। ज़वाल से पहले मारने की सूरत में दोबारह ज़वाल के बाद कंकड़ियां मारनी ज़रूरी होगी वरना दम लाज़िम होगा। किसी भी मकतबा ए फिक्र ने 11 और 12 ज़िलहिज्जा से पहले रमी करने की इजाज़त नहीं दी है। जब ज़वाले आफताब से सुबह तक यानी तक़रीबन 17 घंटे तक रमी की जा सकती है नीज़ रात में जमरात पर कोई भीड़ भी नहीं होती तो ज़वाल से पहले रमी की गुनजाईश की बात करना सही नहीं है।

दूसरे की तरफ से कंकड़ियां मारना- ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं को दूसरे की तरफ से कंकडियां मारने का तरीका यह है कि हर एक जमरा पर अपनी सात कंकडियां मारने के बाद दूसरे की तरफ से कंकड़ियां मारें।

मक्का को वापसी- 12 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर कंकड़ियां मारने के बाद मिना से जा सकते हैं लेकिन सूरज ग़ुरूब होने से पहले रवाना हो जाएं।

(वज़ाहत) अगर बारहवीं को मिना से जाने का इरादा हो तो सूरज ग़ुरूब होने से पहले मिना से रवाना हो जाएं। ग़ुरूबे आफताब के बाद तेरहवीं को कंकड़ियां मारे बेगैर जाना मकरूह है, गोकि तेरहवीं की

कंकड़ियां मारना हजरत इमाम अबु हनीफा की राय के मुताबिक वाजिब न हो गी लेकिन अगर तेरहवीं की सुबहे सादिक मिना में हो गई तो तेरहवीं की रमी (कंकड़ियां मारना) ज़रूरी हो जाएगी। अब अगर कंकड़ियां मारे बेगैर जाएंगे तो दम लाज़िमम होगा। दूसरे उलमा की राय के मुताबिक अगर 12 ज़िलहिज्जा को ग़ुरूबे आफताब मिना में हो गया तो 13 ज़िलहिज्जा की कंकड़ियां मारना वाजिब हो गया। लेकिन अगर कोई शख्स 12 ज़िलहिज्जा को मिना से रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है मगर भीड़ की वजह से लेट हो गई और सूरज डूब गया तो वह बेगैर किसी कराहियत के मिना से जा सकता है, उसके लिए 13 ज़िलहिज्जा को कंकड़िया मारना जरूरी नहीं है।

13 ज़िलहिज्जा- अगर आप 12 ज़िलहिज्जा को कंकड़ियां मारने के बाद मिना से चले गए तो आज के दिन की रमी जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप 13 ज़िलहिज्जा को कंकड़ियां मार कर ही वापस होना चाहते हैं जैसा कि अफज़ल है तो 12 ज़िलहिज्जा के बाद आने वाली रात को मिना में क़याम करें और 13 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद 11 और 12 ज़िलहिज्जा की तरह सात सात कंकड़ियां मारें फिर चले जाएं। बाज़ उलमा-ए-किराम की राय के मुताबिक सिर्फ तेरहवीं ज़िलहिज्जा से पहले भी कंकड़ियां मारी जा सकती हैं क्योंकि तेरहवीं ज़िलहिज्जा को सिर्फ सूरज के ग़ुरूब होने तक कंकड़ियां मार सकते है मगर बेहतर यही है कि तेरहवीं ज़िलहिज्जा को भी ज़वाल के बाद ही कंकड़ियां मारें।

चंद वज़ाहतें

तलबिया जो एहराम बांधने से बराबर पढ़ रहे थे दसवीं ज़िलहिज्जा को बड़े जमरा पर पहली कंकड़ी मारने के साथ ही बन्द कर दें।

दसवीं ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े जमरा (जो मक्का की तरफ है)को कंकड़ियां मारी जाती हैं।

एक दफा में सातों कंकड़ियां मारने पर एक ही शुमार होगी, लिहाज़ा छः कंकड़ियां मारें वरना दम लाज़िम होगा।

कंकड़ी का जमरा पर लगना जरूरी नहीं बल्कि हौज में गिर जाएतब भी काफी है क्योंकि असल हौज में ही गिरना है।

कंकड़ियां चने के बराबर या उससे कुछ बड़ी होनी चाहिए।

कंकड़ियां मारते वक़्त अगर मक्का आपके बाएं जानिब और मिना दाएं जानिब हो तो बेहतर है।

कंकड़ियां मारते के वक़्त किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो उस पर सबर करें, लड़ाई झगड़ा हरगिज़ न करें।

औरतें और कमजोर लोग भीड़ के अवकात में कंकड़ियां न मारें बल्कि ज़वाल के बाद भीड़ कम होने पर या रात को कंकड़िया मारें, क्योंकि अपनी जान को खतरे में डालना मुनासिब नहीं, नीज़ अल्लाह तआला की अता करदा सहूलत और रूख्सत पर भी खुश दिली से अमल करना चाहिए।

रमी के वक़्त मखसूस हैयत या हालत लाज़िम नहीं है, लिहाज़ा चलते हुए खड़े हुए या किसी चीज़ पर बैठे हुए, पाकी या बेगैर पाकी, क़िबला की तरफ मुतवज्जा हों या बेगैर क़िबला की तरफ मुतवज्जा हों हर तरह से रमी करना जाएज़ है।

अगर कंकड़ी को हौज़ में गिरने पर शक पैदा हो गया या कंकड़ियें

की तादाद में शक हो गया तो बेहतर है कि शक वाली कंकड़ी के दोबारह मार दें।

अगर तमाम दिनों की रमी (कंकड़ियां मारना) बिल्कुल तर्क कर दें या एक दिन की सारी या अक्सर कंकड़िया तर्क कर दें तो दम वाजिब होगा। और अगर एक दिन की रमी से थोड़ी कंकड़ियां मसलन पहले दिन की तीन और बाकी दिन की दस कंकड़ियां छोड़ दें तो हर कंकड़ी के बदला में सदका फितर या उसकी कीमत अदा करना वाजिब होगी।

(तम्बीह)

आज कल बाज़ औरतें खुद जा कर कंकड़ियां नहीं मारतीं बल्कि उनके महरम या शौहर उनकी तरफ से भी कंकड़ियां मार देते हैं। याद रखें कि बेगैर किसी परेशानी के किसी दूसरे से रमी कराना जाएज नहीं, इससे दम वाजिब होगा। हाँ वह लोग जो जमरात तक पैदल चलकर जाने की ताकत नहीं रखते या बहुत बीमार या कमजोर हैं तो ऐसे लोगों की जानिब से कंकड़ियां मारी जा सकती हैं।

हुज्जाजे किराम की बाज़ गलतियां

हज ऐसी इबादत है जो ज़िन्दगी में एक मर्तबा साहबे इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, अगरचे एक से ज़्यादा मर्तबा हज की अदायगी की तरग़ीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वाज़ेह तौर पर मिलती है चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: पै दर पै हज व उमरे किया करो, बेशक यह दोनों (हज व उमरह) फक्र यानि गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (इब्ने माजा)

इंसान को अपनी ज़िन्दगी में बार बार हज करने की तौफ़ीक़ आम तौर पर नहीं मिलती है, हज के मसाएल कुछ इस किस्म के हैं कि हज की अदायगी क़े बगैर उनका समझना बज़ाहिर मुश्किल है, नीज़ पहले से ज़रूरी तैयारी न होने की वजह से भी आम हाजी अपने हज की अदायगी में गलतियां करता है, बाज़ गलतियां हज क़े सही न होने या दम वाजिब होने का सबब बनती हैं, लिहाज़ा आज़मीने हज को चाहिए कि वह हुज्जाजे किराम से सरज़द होने वाली गलतियों को अच्छी तरह याद कर लें ताकि हज की अदायगी सही तरीका पर हे और उनका हज हज्जे मब्रूर बने जिस का बदला जन्नतुल फ़िरदौस है जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया एक उमरह दूसरे उमरह तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दोनों उमरों के दरम्यान सरज़द हों और हज्जे मब्रूर का बदला तो जन्नत ही है। (बुखारी व मुस्लिम)

1) हज के अख़राजात में हराम माल का इस्तेमाल करना- हज और उमरह के लिए सिर्फ पाकीज़ा हलाल कमाई में से खर्च करना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल्लाह तआला पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज़ों को ही क़बूल करता है। हज़रात अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब आदमी हज के लिए रिज़्क़े हलाल लेकर निकलता है और अपना पैर सवारी के रकाब में रख कर (यानि सवारी पर सवार होकर) लब्बैक कहता है तो उसको आसमान से पुकारने वाले जवाब देते हैं तेरी लब्बैक क़बूल हो और रहमते इलाही तुझ पर नाज़िल हो, तेरा सफर खर्च हलाल और तेरी सवारी हलाल और तेरा हज मक़बूल है और तू गुनाहों से पाक है और जब आदमी हराम कमाई के साथ हज के लिए निकलता है और सवारी के रकाब पर पैर रख कर लब्बैक कहता है तो आसमान के मुनादी जवाब देते हैं तेरी लब्बैक क़बूल नहीं, न तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तेरा सफर खर्च हराम, तेरी कमाई हराम और तेरा हजगैर मक़बूल है। (तबरानी)

हमेशा हमें हलाल रिज़्क़ पर ही इक्तिफ़ा करना चाहिए चाहे बज़ाहिर कम ही क्यों न हो, हराम रिज़्क़ के तमाम तरीके से बचना चाहिए जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हराम माल से जिस्म की बढ़ोतरी ना करो क्योंकि इससे बेहतर आग है। (तिर्मिज़ी)

2) हज के सफर से पहले हज के मसाएल को दरयाफ्त न करना, लिहाज़ा आज़मीने हज को चाहिए कि वह हज की अदायगी पर जाने से पहले उलमा किराम से मसाएल हज को अच्छी तरह याद कर लें

3) बाज़ लोगों ने मशहूर कर रखा है कि अगर किसी ने उमरह किया तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया, यह गलत है। अगर वह साहबे इस्तिताअत नहीं है यानि अगर उसके पास इतना माल नहीं है कि वह हज अदा कर सके तो उस पर उमरह की अदायगी की वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होता है अगरचे वह उमरह हज के महीनों में अदा किया जाये फिर भी उमरह की अदायगी की वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होगा।

4) अपनी तरफ से हज किये बगैर दूसरे की जानिब से हज्जे बदल करना।

5) सफर हज के दौरान इन नमाज़ों का एहतिमाम न करना, याद रखें कि अगर ग़फ़लत की वजह से एक वक़्त की नमाज़ भी छूट गई तो मस्जिदे हराम की सौ नफलों से भी इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती है, नीज़ जो लोग नमाज़ का एहतिमाम नहीं करते वह हज की बरकात से महरूम रहते हैं और उनका हज मक़बूल नहीं होता है।

6) हज के इस अज़ीम सफर के दौरान लड़ना झगड़ना यहाँ तक कि किसी पर गुस्सा होना भी गलत है। अल्लाह तआला फ़रमाता है हज के चंद महीने मुक़र्रर हैं इसलिए जो इन में हज को लाज़िम कर ले वह अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। (सूरह अलबक़रा आयत 197) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जिसने हज किया हौर शहवानी बातों और फिस्क व फुज़ूर से बचा वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उस दिन पाक था जब उसकी माँ ने उसे जना (पैदा किया) था। (बुखारी व मुस्लिम)

7) बड़ी गलतियों में से एक बगैर एहराम के मीक़ात से आगे बढ़

जाना है, लिहाज़ा हवाई जहाज़ पर सवार होने वाले हज़रात एयरपोर्ट पर ही एहराम बांध लें या एहराम लेकर हवाई जहाज़ में सवार हो जाए और मीक़ात से पहले पहले बांध लें।

8) बाज़ हज़रात शुरू ही से इज़तिबा (यानि दाहिनी बग़ल के नीचे से एहराम की चादर निकाल कर बाएं कंधे पर डालना) करते हैं, यह गलत है बल्कि सिर्फ तवाफ़ के दौरान इज़तिबा करना सुन्नत है, लिहाज़ा दोनों बाज़ू ढांक कर ही नमाज़ पढ़ें।

9) बाज़ हुज्जाजे किराम हजरे असवद का बोसा लेने के लिए दूसरे हज़रात को तकलीफ देते हैं हालाँकि बोसा लेना सिर्फ सुन्नत है जबकि दूसरों को तकलीफ पहुचाना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) को खास तौर से ताकीद फ़रमाई थी कि देखो तुम ताक़तवर आदमी हो हजरे असवद के इस्तिलाम के वक़्त लोगों से मुज़ाहमत न करना, अगर जगह हो तो बोसा लेना वरना सिर्फ इस्तिक़बाल करके तकबीर व तहलील कह लेना।

10) हजरे असवद का इस्तिलाम करने के अलावा तवाफ़ करते हुए खाना क़ाबा की तरफ चेहरा या पुश्त करना गलत है, लिहाज़ा तवाफ़ के वक़्त आप का चेहरा सामने हो और क़ाबा आप के बाएं जानिब हो, अगर तवाफ़ के दौरान आप का चेहरा क़ाबा की तरफ हो जाये तो उस पर दम लाज़िम नहीं होगा लेकिन जानबूझ कर ऐसा न करें।

11) बाज़ हज़रात हजरे असवद के अलावा खाना क़ाबा के दूसरे हिस्से का भी बोसा लेते हैं और छूते हैं जो गलत है, बल्कि बोसा सिर्फ हजरे असवद या खाना क़ाबा के दरवाज़े का लिया जाता है रुक्ने यामनी और हजरे असवद के अलावा क़ाबा के किसी हिस्सा को

भी तवाफ़ के दौरान न छुएं, अलबत्ता तवाफ़ और नमाज़ से फ़राग़त के बाद मुल्ताज़िम पर जा कर उससे चिमट कर दुआ मांगना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है।

12) रुक्ने यमानी का बोसा लेना या दूर से उसकी तरफ हाथ से इशारा करना गलत है, बल्कि तवाफ़ के दौरान उसको सिर्फ हाथ लगाने का हुक्म है वह भी अगर सहूलत से किसी को तकलीफ दिए बगैर मुमकिन हो।

13) बाज़ हज़रात मकामे इब्राहीम का इस्तिलाम करते हैं और उसका बोसा लेते हैं, अल्लामा नौवी (रहमतुल्लाह अलैह) ने इज़ाह और इब्ने हजर मक्की (रहमतुल्लाह अलैह) ने तौज़ीह में फ़रमाया है कि मकामे इब्राहीम का न इस्तिलाम किया जाये और न उसका बोसा लिया जाये यह मकरूह है।

14) बाज़ हज़रात तवाफ़ के दौरान हजरे असवद के सामने देर तक खड़े रहते हैं, ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे तवाफ़ करने वालें को परेशनी होती है सिर्फ थोड़ा रुक कर इशारा करें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर आगे बढ़ जाएं।

15) बाज़ हुज्जाजे किराम तवाफ़ के दौरान अगर गलती से हजरे असवद के सामने से इशारा किये बगैर गुज़र जाऐं तो वह हजरे असवद के सामने दुबारा वापस आने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे तवाफ़ करने वालों को बेहद परेशानी होती है, इसलिए अगर ऐसा हो जाये और भीड़ ज़्यादा हो तो दुबारा वापस आने की कोशिश न करें, क्योंकि तवाफ़ के दौरान हजरे असवद का बोसालेना या उसकी तरफ इशारा करना सुन्नत है वाजिब नहीं।

16) तवाफ़ के दौरान रुक्ने यमानी को छूने के बाद (हजरे असवद

की तरह) हाथ का बोसा देना गलत है।

17) तवाफ़ और सई के हर चक्कर के लिए मख़्सूस दुआ को ज़रूरी समझना गलत है, बल्कि जो चाहें और जिस ज़बान में चाहें आद करें।

18) भीड़ के वक़्त हुज्जाजे किराम को तकलीफ देकर मक़ामे इब्राहीम के क़रीब ही तवाफ़ की दो रिकात अदा करने की कोशिश करना गलत है बल्कि मस्जिदे हराम में जहाँ जगह मिल जाये यह दो रिकात अदा कर लें।

19) तवाफ़ और सई के दौरान चंद हज़रात का आवाज़ के साथ दुआ करना सही नहीं है क्योंकि इससे दूसरे तवाफ़ और सई करने वालों की दुआओं में खलल पड़ता है।

20) बाज़ हज़रात को जब तवाफ़ या सई के चक्करों में शक हो जाता है तो वह दुबारा तवाफ़ या सई करते हैं, यह गलत है बल्कि कम अदद तसलीम करके बाकी तवाफ़ या सई के चक्कर पूरे करें।

21) बाज़ हज़रात सफा और मरवा पर पहुंच कर खाना काबा की तरफ हाथ से इशारा करते हैं, ऐसा करना गलत है बल्कि दुआ की तरह दोनों हाथ उठा कर दुआएं करें, हाथ से इशारा न करें।

22) बाज़ हज़रात नफ्ली सई करते हैं जबकि नफ्ली सई का कोई सबूत नहीं है।

23) बाज़ हुज्जाजे किराम अरफ़ात में जबले रहमत पर चढ़ कर दुआएं मांगते हैं, हालांके पहाड़ पर पढ़ने की कोई फ़ज़ीलत नहीं है बल्कि उसके नीचे या अरफ़ात के मैदान में किसी भी जगह खड़े होकर काबा की तरफ रुख करके हाथ उठा कर दुआएं करें।

24) अरफ़ात में जबले रहमत की तरफ रुख करके और काबा की

तरफ पीठ करके दुआ मांगना गलत है, बल्कि दुआ के वक़्त काबा की तरफ रुख करें खाह जबले रहमत पीछे हो या सामने।

25) अरफ़ात से मुज़दलफा जाते हुये रास्ता में सिर्फ मगरिब या मगरिब और इशा दोनों का पढ़ना सही नहीं है, बल्कि मुज़दलफा पहुंच कर ही इशा के वक़्त में दोनों नमाज़ें अदा करें।

26) बाज़ हज़रात अरफ़ात से निकल कर मुज़दलफा के मैदान आने से पहले ही मुज़दलफा समझ कर रात को रुक जाते हैं जिससे उन पर दम भी वाजिब हो सकता है, लिहाज़ा मुज़दलफा के हुदूद में दाखिल होकर ही ठहरें।

27) मुज़दलफा पहुंच कर मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले ही कंकरियाँ उठाना सही नहीं है, बल्कि मुज़दलफा पहुंच कर सबसे पहले इशा के वक़्त में दोनों नमाज़ें अदा करें।

28) बहुत से हुज्जाजे किराम मुज़दलफा में 10 ज़िलहिज्जा की फज्र की नमाज़ पढ़ने में जल्द बाज़ी से काम लेते हैं और क़िबला रुख होने में इहतियात से काम नहीं लेते जिससे फज्र की नमाज़ नहीं होती, लिहाज़ा फज्र की वक़्त दाखिल होने के बाद ही पढे नीज़ क़िबला का रुख वाक़िफ़ हज़रात से मालूम करें।

29) मुज़दलफा में फज्र की नमाज़ के बाद अरफ़ात के मैदान की तरफ हाथ उठा कर क़िबला रुख हो कर खूब दुआएं मांगी जाती हैं, मगर अक्सर हुज्जाजे किराम इस अहम वक़्त के वक़ूफ़ को छोड़ देते हैं।

30) बाज़ हज़रात वक़्त से पहले ही कंकरियाँ मारना शुरू कर देते हैं हालांके रमी के औक़ात से पहले कंकरियाँ मारना जाएज़ नहीं है, पहले दिन यानि 10 ज़िलहिज्जा को आफ़ताब निकलने के बाद से

कंकरियाँ मारी जा सकती हैं, बाज़ फुक़हा ने सुबह सादिक़ के बाद से कंकरियाँ मारने की इजाज़त दी है मगर 11 और 12 ज़िलहिज्जा को आफ़ताब यानि ज़ूहर की अज़ान के बाद ही कंकरियाँ मारी जा सकती हैं, हां अगर कोई शख्स ग़ुरूब आफताब से पहले कंकरियाँ न मार सका तो हर दिन की कंकरियाँ उस दिन के बाद आने वाली रात में भी मार सकता है।

31) बाज़ लोग कंकरियाँ मारते वक़्त यह समझते हैं कि इस जगह शैतान है इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि वह उसको गाली बकते हैं और जूता वगैरह भी मार देते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं बल्कि छोटी छोटी कंकरियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में मारी जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह क़े हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले जा रहे थे तो शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्ही तीन मुक़ामात पर बहकाने की कोशिश की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मुक़ामात पर शैतान को कंकरियाँ मारी थीं।

32) बाज़ ख़वातीन सिर्फ भीड़ की वजह से ख़ुद रमी नहीं करतीं बल्कि उनके महरम उनकी तरफ से भी कंकरियाँ मार देते हैं, उस पर दम वाजिब होगा क्योंकि सिर्फ भीड़ उज़्रे शरई नहीं है औरबिला उज़्रे शरई किसी दूसरे से रमी कराना जाएज़ नहीं है, औरतें अगर दिन में कंकरियाँ मारने नहीं जा सकती हैं तो वह रात में जा कर कंकरियाँ मारें, हाँ अगर कोई औरत बीमार या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि वह जमरात जा ही नहीं सकती है तो उसकी जानिब से कोई दूसरा शख्स रमी कर सकता है।

33) बाज़ हज़रात 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा को पहले जमरह और बीच वाले जमरह पर कंकरियाँ मारने क़े बाद दुआएं नहीं करते, यह सुन्नत क़े खिलाफ है, लिहाज़ा पहले और बीच वाले जमरह पर कंकरियां मार कर थोड़ा दायें या बाएं जानिब हट कर ख़ूब दुआएं करें, यह दुआओं क़े क़बूल होने क़े खास औकात हैं।

34) बाज़ लोग 12 ज़िलहिज्जा की सुबह को मिना से मक्का तवाफ़ विदा करने के लिए जाते हैं और फिर मिना वापस आकर आज की कंकरियाँ ज़वाल क़े बाद मारते हैं और यहीं से अपने शहर को सफर कर जाते हैं। यह गलत है, क्योंकि आज की कंकरियाँ मारने क़े बाद ही तवाफ़ विदा करना चाहिए।

रियाज़ से जद्दह जाते हुए
उमरह करने वालों के लिए ज़रूरी व अहम हिदायात

अगर कोई शख्स रियाज़ से जद्दह किसी काम से या किसी शख्स से मुलाक़ात के लिए जा रहा है और साथ में यह भी नियत है कि काम या मुलाक़ात से फरागत के बाद मक्का मुकर्रमा उमरह की अदाएगी के लिए जाना है तो इस शख्स के लिए जद्दा से एहराम बांधना काफी नहीं होगा। बल्कि इस शख्स के लिए तीन शक्लें हैं, किसी एक को इखतियार करे।

1) रियाज़ से जद्दा जाते हुए मीक़ात (यानी अस्सैलुल कबीर) में एहराम बांध कर नियत करके तलबिया पढ़े। जद्दा में काम से फारिग हो कर उमरा की अदाएगी के लिए मक्का चला जाए, लेकिन इस शक्ल में इस शख्स को जद्दा में एहराम ही की हालत में रहना होगा। याद रखो! एहराम बांधने के जल्द ही उमरा करना ज़रूरी नहीं है बल्कि जब तक चाहो एहराम की हालत में रह सकते हो मगर एहराम की पाबंदियां लाज़िम रहेंगी, मसलन सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, खुशबू इस्तिमाल नहीं कर सकते वगैरह।

2) रियाज़ से बेगैर एहराम बांधे जद्दा चला जाए। काम पूरा होने के बाद ताइफ के करीब अस्सैलुल कबीर यानी मीक़ात जा कर एहराम बांधे और फिर मक्का जा कर उमरह करे। इस शख्स के लिए तनयीम यानी मस्जिदे आईशा से एहराम बांधना काफी नहीं होगा। इसी तरह शमीसिया से भी एहराम बांधना काफी नहीं होगा, शमीसिया जद्दा मक्का शाहराह पर वाके एक इलाका का नाम है जहाँ से मिंतक़ ए हरम शुरू होता है और आज कल वहाँ हदूदे हरम की

अलामत के तौर पर हिल बनी हुई है।

(वज़ाहत) इस मौज़ू पर मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं या जिन उलमा से सवाल किया है चाहे अरब हों या गैर अरब। सबकी एक ही राय मालूम हुई कि उमरह की नियत के साथ रियाज़ से रवाना होने वाला शख्स जद्दा से एहराम नहीं बांध सकता है।

(नोट)

1) रियाज़ से जद्दा जाने वाला अगर कोई शख्स जद्दा में काम की मशगूलियत या किसी और वजह से मीक़ात (अस्सैलुल कबीर) से एहराम बांधने की दुशवारी बर्दाशत नहीं कर सकता है तो बराय मेहरबानी इस सफर में उमरह न करें।

2) अगर किसी शख्स ने ऐसा कर लिया यानी रियाज़ से जद्दा के लिए चलते वक़्त उमरह की अदाएगी का भी इरादा था और फिर जद्दा में काम पूरा होने के बाद ही से उमरह का एहराम बांध लिया तो इस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वह उमरह की अदाएगी से पहले मीक़ात यानी अस्सैलुल कबीर जा कर दोबारा नियत करके तलबिया पढ़े और फिर मक्का पहुंच कर उमरह की अदाएगी करे वरना (रियाज़ से रवांगी के वक़्त उमरह की नियत थी, फिर जद्दा से एहराम बांध कर उमरह अदा कर लिया तो) उस पर एक दम लाज़िम हो जाएगा, अलबत्ता यह दम जिन्दगी में किसी भी वक़्त दिया ज सकता है।

3) अगर कोई शख्स रियाज़ से जद्दा किसी काम से जा रहा है और उमरह की अदाएगी का कोई इरादा नहीं है। जद्दा में जा कर अचानक उमरह की अदाएगी का इरादा बन गया तो ऐसी सूरत में इस शख्स के लिए जद्दा से एहराम बांधना जाएज़ है।

4) अगर रियाज़ से किसी काम के लिए जद्दा रवांगी के वक़्त उमरह की अदाएगी की नियत तो है लेकिन सफर का प्रोग्राम वाज़ेह न होने की वजह से उमरह की अदाएगी गैर यकीनी है यानी उमरह करे या न करे तो गालिब इमकान को सामने रख कर फैसला किया जाएगा। यानी रियाज़ से रवांगी के वक़्त अगर ज्यादा इमकान उमरह करने का है तो फिर जद्दा से एहराम बांधने की इजाजत नहीं होगी। और अगर बहुत कम इमकान उमरह की अदाएगी का था मगर जद्दा जा कर उमरह का मुकम्मल इरादा हो गया तो फिर एहराम बांधने की गुनजाइश है।

5) सिर्फ इरादा करने या एहराम के कपड़े पहनने से उमरह की अदाएगी लाज़िम नहीं होती, बल्कि नियत करके तलबिया पढ़ने के बाद उमरह की अदाएगी लाज़िम हो जाती है। लिहाज़ा अगर किसी शख्स का रियाज़ से रवांगी के वक़्त उमरह का इरादा था मगर तलबिया पढ़ने से पहले ही उमरह की अदाएगी का इरादा खत्म हो गया तो कोई हर्ज नहीं। उमरह की अदाएगी उस पर लाज़िम नहीं और किसी तरह का काई सदका या दम लाज़िम नहीं।

6) जो हुकुम हुकुम रियाज़ शहर में रहने वाले का बयान किया गया, वही हुकुम मीक़ात के बाहर रहने वाले हर शख्स के लिए चाहे वह किसी भी शहर और किसी भी मुल्क में रह रहा हो मसलन दम्माम, क़तर, क़ाहिरा वगैरह। यानी मीक़ात के बाहर रहने वाला यह शख्स अगर अपने इलाके से उमरह की नियत के साथ मक्का रवाना हो रहा है चाहे किसी भी शहर से गुजरे तो उसके लिए पांच मीक़ातों में से किसी एक मीक़ात या उसके मुहाज़ी एहराम बांधना ज़रूरी है।

उमरह में तवाफे विदा जरूरी नहीं है

जमहूर उलमा की राय है कि उमरह की अदाएगी करने वालों पर अपने शहर या वतन वापसी के वक्त तवाफे विदा वाजिब नहीं है। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बहुत से उलमा (जो मुख्तलफफी मसाइल में कुरान व सुन्नत की रोशनी में हजरत इमाम अबु हनीफा रहमतुल्लाह अलैह) की राय को बेहतर करार देते हैं) की भी यही राय है। सउदी अरब के साबिक मुफती शैख अब्दुल अजीज बिन बाज़ ने भी मुतमेरीन के लिए तवाफे विदा के वाजिब न होने का फतवा दिया है।

उमरह की अदाएगी की सूरत में तवाफे विदा के वाजिब न होने के अमूमन नीचे मज़मून में दलाइल पेश किए जाते हैं।

1) किसी भी एक सही हदीस में उमरह की अदाएगी के बाद तवाफे विदा के वाजिब होने का ज़िक्र मौजूद नहीं है।

2) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम ने बहुत उमरह किए मगर किसी एक की अदाएगी के बाद भी तवाफे विदा नहीं किया।

3) उमरह में तवाफे विदा के वुजूब के मुतअल्लिक किसी सहाबी का कोई कौल अहादीस की किताबों में मौजूद नहीं है।

4) हजरत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने हज्जतुल विदा के सफर में हज की अदाएगी के बाद उमरह की अदाएगी की थी मगर किसी भी हदीस में उमरह की अदाएगी के बाद हजरत आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा) का तवाफे विदा करना साबित नहीं है।

हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान "**कोई शख्स तवाफ के बेगैर मक्का से रवाना न हो**"

उमरह की अदाएगी में तवाफे विदा के वाजिब होने के लिए दलील नहीं बन सकता है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का "**कोई भी हाजी तवाफे विदा के बेगैर मक्का से रवाना न हो, हाँ हाईजा औरत बेगैर तवाफे विदा के अपने घर जा सकती है**" हज्जतुल विदा के मौका पर हुज्जाजे किराम से था, जैसा कि जलीलुल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से इस हदीस की तशरीह मरवी है कि इस में खिताब हुज्जाजे किराम से है। शैख अब्दुल अजीज बिन बाज़ ने अपने मज़कूरा फतवा में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) का बयान लिखा है। नीज़ बाज़ अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़कूरा फरमान इन अलफाज़ के साथ आया है "**जिन हजरात ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है वह अपना आखरी अमल तवाफ को बनाऐं**" जिससे वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि यह हुकुम हज अदा करने वालों के लिए है। रही सही मुस्लिम की हदीस "**यानी उमरह में वह करो जो हज में किया है**" तो यह हदीस उमरह में तवाफे विदा के वाजिब होने की दलील नहींबन सकती क्योंकि इस हदीस में उमरह में तवाफे विदा के वाजिब होने का कोई ज़िक्र नहीं है और अगर इस हदीस को आम मान लिया जाए तो फिर उमरह में भी मिना, मुज़दलफा और अरफात में जाना जरूरी हो जाएगा जिसका कोई काइल नहीं है। नीज़ तवाफे विदा के वाजिब करार देने में उमरह को हज पर क़यास करना सही नहीं है क्योंकि उमरह के आमाल घंटों में जबकि हज के आमाल दिनों में पूरा होते हैं।

बाज़ हजरात ने तिर्मीज़ी में लिखी हुई हदीस "**मन हज्ज अव इतमर**

आखिर तक" को उमरह में तवाफे विदा के वुजूब की दलील बनाई है हालाँकि यह हदीस कमज़ोर है खुद इमाम तिर्मीज़ी ने इस हदीस को रिवायत करने के बाद हदीस गरीब कहा है। शैख नासिरूद्दीन अलबानी (रहमतुल्लाह अलैह) ने फरमाया कि यह हदीस इस लफ्ज़ के साथ मुंकिर है यानी अवितमर का लफ्ज इस हदीस में सही नहीं है।

(वजाहत)

अगर कोई शख्स उमरह की अदाएगी के बाद जल्दी ही मक्का से रवाना हो रहा है जैसा कि सउदी अरब के रहने वाले हजरात आम तौर पर महदूद प्रोग्राम के तहत उमरह की अदाएगी के लिए मक्का जाते हैं तो उन हज़रात के लिए उम्मते मुस्लिम तवाफे विदा के वाजिब न होने पर मुत्तफिक है। इखतिलाफ सिर्फ इस सूरत में है जब कोई शख्स उमरह की अदाएगी के बाद मक्का में मुक़ीम रहे जैसा कि आम तौर पर सउदी अरब के बाहर से आने वाले मुतमेरीन। इन हजरात के लिए भी ऊपर ज़िक्र किए हुए दलाइल की रोशनी में जमहूर उलमा की राय है कि तवाफे विदा वाजिब और जरूरी नहीं है। गरज़ ये कि उमरह में तवाफे विदा नहीं है।

हज / उमरह में बाल मुंडवाना या छोटा करवाना

हज/उमरह में अल्लाह तआला के साथ वालिहना मोहब्बत और इस मोहब्बत में सब कुछ भुला देने का इज़्हार होता है। सिले हुए कपड़े उतार कर एक कफ़न नुमा लिबास पहन लिया जाता है, अब जिस्म की ज़ीनत का होश है न कपड़ों के हुस्न का, ज़्यादा सफाई का ख्याल है, न बाल काटने का, बस लब्बैक लब्बैक की रट है, नीज़ अल्लाह तआला के घर पहुंच कर दीवानों की तरह काबा और सफा मरवा के चक्कर लगाना और सर की ज़ीनत बालों को कटवाना है। हलक़ के मानी सर के बाल मुंडवाना और क़सर के मनी बालों का कटवाना है।

हज/उमरह में हलक़ या क़सर ज़रूरी है, उसके छोड़ने पर एक दम लाज़िम होगा बल्कि हज़रत इमाम शाफई (रहमतुल्लाहि अलैह) के नुक़्तए नज़र में तो हलक़ या क़सर हज/उमरह के अरकान में से है यानि इसके बगैर हज या उमरह अदा हो ही नहीं सकता चाहे कितने ही दम दे दिये जाएं।

पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि मर्द हज़रात के लिए सर मुंडवाना अफज़ल है इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक़ कराने वालों यानी बाल मुंडवाने वालों के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ तीन मर्तबा फ़रमाई है और बाल छोटा कराने वालों के लिए सिर्फ एक बार दुआ फ़रमाई है।

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ए अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मगफिरत फरमाइये, सहाबा ने अर्ज़ किया कि बाल

कटवाने वालों के लिए (भी दुआ फरमा दीजिये) लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही फ़रमाया ए अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मगफिरत फरमाइये, सहाबा ने अर्ज़ किया कि बाल कटवाने वालों के लिए (भी दुआ फरमा दीजिये) तीसरी मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया और बाल कटवाने वालों की भी मगफिरत फरमाइये। (बुखारी व मुस्लिम)
नीज़ अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में बाल मुंडवाने वालों का ज़िक्र बाल कटवाने वालों से पहले किया है। (सूरह अल फतह 27) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बाल ही मुंडवाए। (मुस्लिम)
औरतों के लिए चूँकि सर के बाल मुंडवाना नाजायज़ है, लिहाज़ा उनके लिए सिर्फ क़सर ही है, यानी वह अपनी चोटी के आखिर से उंगली के एक पूरे के बराबर बाल काट दें। (तिर्मिज़ी)
सर मुंडवाने के लिए ज़रूरी है कि पूरे सर के बाल मूंडे जाएं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे या चौथाई सर के बाल मूंडने से मना फ़रमाया है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत बुखारी व मुस्लिम में है।
सर मुंडवाने की तरह बालों की कटिंग भी पुरे सर की होनी चाहिए इसलिए कि मज़कूरा आयात में क़सर को हलक़ के साथ ज़िक्र किया है, जब हलक़ पूरे सर का है तो क़सर यानी बालों की कटिंग भी पूरे सर की ही होनी चाहिए, नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म और सहाबाए किराम से किसी भी वक़्त चंद बाल सर के एक तरफ से और चंद बाल दूसरी तरफ से कैं ची से काट कर एहराम खोलना साबित नहीं है, सिर्फ इमाम अूबहनीफा (रहमतुल्लाहि अलैह)

ने वुज़ू के मसह पर क़यास करके कम से कम चौथाई सर के बाल काटने की शकल में वुजूब के अदा होने का फैसला दिया है- लिहाज़ा मालूम हुआ कि चंद बाल सर के एक तरफ से और चंद बाल दूसरी तरफ से कैं ची से काट कर एहराम खोल देना जायज नहीं है,ऐसी सूरत में दम वाजिब हो जायेगा, लिहाज़ा या तो सर के बाल मुंड़वाएं या मशीन फिरवाये या इस तरह बालों को कटवाएं कि पूरे सर के बाल कुछ न कुछ कट जाएं। क़ुरान की आयत:
“अपने सर के बाल मुंड़वाओ और छोटा करो” से भी मालूम होता है कि सर पर कटिंग का असर ज़रूर ज़ाहिर होना चाहिए, चंद बालों की कटिंग से यह मकसद हासिल नहीं होता है।
औरतें अपनी चोटी का सर पकड़ कर एक पूरे के बराबर बाल खुद काट लें या किसी महरम या शौहर से कटवा लें।
सर के बाल हदूदे हरम के अंदर किसी भी जगह कटवा सकते हैं चाहे हज अदा कर रहे हों या उमरह।
बाल मुंडवाने या कटवाने से पहले नह एहराम खोले और न ही नाख़ून वगैरह काटें वरना दम लाज़िम हो जायेगा।
अगर किसी शख्स के सर पर बाल ही नहीं हैं तो वह ऐसे ही सर पर उस्तरा फिरवादे और एहराम उतार दे।
जब हाजी या मोतमिर हज या उमरह के तमाम आमाल से फारिग़ हो जाये और सिर्फ हलक़ या क़सर का अमल बाकी रह गया है तो हाजी या मोतमिर एक दूसरे के बाल कट सकता है।
बाज़ ने अक़ली दलाएल की रौशनी में जो लिखा है कि चंद बाल क़सर के लिए काफी हैं, उनका मतलूब सिर्फ ऐसे शख्स को दम से बचना है जो ऐसी गलती कर चुका हो, लेकिन उनका पूरा अमल पूरे

सर के बाल मुंडवाने या कटवाने का ही है, लिहाज़ा जो मर्द हज़रात अपने बालों की इतनी भी क़ुरबानी नहीं दे सकते कि छोटे करालें तो उनसे मेरी दरखास्त है कि वह ज़िन्दगी में बार बार हज/उमरह न करें।

हज्जे बदल या उमरह बदल

(दूसरे की जानिब से हज या उमरह की अदायगी के अहम मसाइल)

सऊदी अरब में मुक़ीम हज़रात को दूसरे की जानिब से हज या उमरह करने के मसाइल से वाक़फियत की बहुत सख्त जरुरत पड़ती है, इसलिए इस मौज़ू से मुताल्लिक़ चंद अहदीसे नबवी और फिर इन अहादीस की रौशनी में उलमा-ए-किराम की रायें तहरीर कर रहा हूँ। अल्लाह तआला हम सब को मसाइल की जानकारी के साथ हज व उमरह की अदायगी करने वाला बनाये। (आमीन)

1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) फरमाते हैं कि एक औरत ने हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ किया है- मेरा बाप बूढा है, सवारी पर सवार नहीं हो सकता, क्या मैं उनकी तरफ से हज अदा कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ! कर सकती हो। (मुस्लिम- किताबुल हज)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शबरमा की तरफ से लब्बैक कहते हुए सुना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने उस शख्स से पूछा शबरमा कौन है? उस शख्स ने अर्ज़ किया मेरा भाई, या कहा मेरा रिश्तेदार- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने अपना हज अदा कर लिया है? उस शख्स ने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पहले अपना हज अदा करो फिर शबरमा की

तरफ से हज अदा करना। (अबु दाऊद-किताबुल मनासिक, इबने माजा, सही इबने हिब्बान)

3) हज़रत अबु रज़ीन अल उक़ैली (रज़ियल्लाहु अन्हु) (लक़ीत बिन आमिर) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया मेरा बाप बूढा है, हज की ताक़त नहीं रखता है, न उमरह की और न ही ऊँट पर सवार होने की- (उन के लिए क्या हुकुम है?) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फ़रमाया अपने बाप की तरफ से हज और उमरह अदा करो। (नसई-किताबुल हज, तिर्मिज़ी)

4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि क़बीला जोहैना की एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी लेकिन मरने से पहले हज नहीं कर सकी क्या मैं माँ की तरफ से हज करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हाँ! उनकी तरफ से हज करो, हाँ देखो अगर तुम्हारी माँ पर क़र्ज़ा होता तो क्या तुम अदा नहीं करतीं? पस अल्लाह का क़र्ज़ अदा करो, अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसका क़र्ज़ अदा किया जाये। (बुखारी- अल हज वन नज़र)

5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और सवाल किया के मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया है और उन्होंने ज़िन्दगी में कोई हज अदा नहीं किया- क्यामैं उनकी तरफ से हज अदा कर लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया हाँ! अपनी माँ की तरफ से हज अदा

करो। (तिर्मिज़ी)

6) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अल्लाह तआला (हज्जे बदल में) एक हज की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाते हैं, एक मरहूम (जिसकी तरफ से हज्जे बदल किया जा रहा है) दूसरा हज करने वाला और तीसरा वह शख्स जो हज को भेज रहा हो (यानी जो रक़म खर्च कर रहा है)। (अततरग़ीब वत्तरहीब)

मज़कूरा बाला व दीगर अहादीस की रौशनी में उल्मा-ए-किराम की रिवायतें

1) जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो चुका है और अदा करने का वक़्त भी मिला लेकिन अदा नहीं किया तो हज की अदायगी उसके ज़िम्मा है- ज़िन्दगी में हज की अदायगी न करने पर मौत से पहले हज्जे बदल कराने की वसीयत करना वाजिब है, अगर बिला वसीयत करे मर जायेगा तो गुनहग़ार होगा।

2) अगर कोई शख्स, किसी इंतिक़ाल कर गए शख्स की जानिब से हज्जे बदल या उमरह बदल करना चाहे तो यह बिल इत्तिफ़ाक़ जाएज़ है, चाहे इंतिक़ाल कर गए शख्स ने अपनी ज़िन्दगी में हज या उमरह किया हो या नहीं, अलबत्ता हज्जे बदल या उमरह बदल करने वाला अपना हज या उमरह कर चुका हो।

3) अगर कोई शख्स, किसी ऐसे ज़िंदा शख्स की जानिब से हज या उमरह करना चाहे जो इन्तेहाई बूढा और कमज़ोर हो चुका है या दायमी मरीज़ है जिसका सफर करना मुश्किल है तो यह भी बिल

इत्तिफ़ाक़ जाएज़ है चाहे वह माज़ूर शख्स पहले हज या उमरह अदा कर चुका हो या नहीं अलबत्ता हज या उमरह बदल करने वाला अपना हज या उमरह अदा कर चुका हो।

4) अगर कोई शख्स, किसी ज़िंदा, सेहतमंद व तंदरुस्त शख्स की जानिब से हज या उमरह करना चाहे तो इस सिलसिला में उलमाका इख्तिलाफ है मगर इहतियात इसी में है कि ज़िंदा, सेहतमंद व तंदरुस्त शख्स की जानिब से हज या उमरह न किया जाये।

5) औरत, मर्द की तरफ से और मर्द, औरत की तरफ से हज या उमरह बदल कर सकता है।

6) हज्जे बदल की अदायगी का तरीका वही है जो अपनी तरफ से हज की अदायगी का है सिवाए नियत करते वक़्त कम से कम यह ज़ेहन में रहे कि किसकी जानिब से हज्जे बदल किया जा रहा है जिसकी जानिब से हज की अदायगी की जा रही है एहराम के वक़्त उसकी जानिब से ज़बान से नियत करना बेहतर है।

7) हज्जे बदल में क़ुर्बानी उस शख्स की जानिब से होगी जिसकी जानिब से हज की अदायगी की जा रही है।

8) हज के तीनो अक़्साम (तमत्तो, क़िरान और इफराद) से हज्जे बदल किया जा सकता है अलबत्ता बाज़ इख्तिलाफ़ी मसाइल से बचने के लिए हज्जे बदल में हज्जे इफराद करने में इहतियात ज़्यादा है, अगरचे हज्जे तमत्तो या हज्जे क़िरान भी हज्जे बदल में जाएज़ है।

9) हज्जे बदल या उमरह बदल की अदायगी की उजरत (यानी खर्च के अलावा) का मुतालबा करना जाएज़ नहीं, अलबत्ता हज्जे बदल कराने वाला हज्जे बदल करने वाले शख्स को खर्च के अलावा अपनी

मर्ज़ी से हदियतन कुछ पेश करे तो उसका लेना जाएज़ है।

10) एक हज या उमरह में एक है शख्स की जानिब से नियत की जा सकती है यानि कई लोगों की तरफ से एक हज या उमरह नहीं किया जा सकता है।

11) हज्जे बदल (फ़र्ज़) की अदायगी के लिए चंद शर्तें हैं जो आम तौर पर किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन हज्जे बदल (नफल) के लिए वह शराइत ज़रूरी नहीं है- मसलन अगर कोई शख्स अपने वफ़ात पागये वालिद की जानिब से हज्जे बदल करना चाहता है और वालिद पर उनकी ज़िन्दगी में हज फ़र्ज़ नहीं था तो यह शख्स जब चाहे अपने वालिद की जानिब से हज्जे बदल (नफल) कर सकता है खाह वालिद ने वसीयत की थी या नहीं।

12) हज या उमरह बदल में एहराम किस मीक़ात से बांधा जाये? हज या उमरह बदल करने वाला अपनी मीक़ात से एहराम बांधे या फिर जिस शख्स की जानिब से हज या उमरह किया जा रहा है, उसकी मीक़ात से एहराम बांधे? मसलन कोई शख्स सऊदी अरबी में रहता है अपने बूढ़े वालिद जो हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में हैं उनकी तरफ से हज या उमरह करना चाहता है तो क्या हज या उमरह बदल करने वाले के लिए हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में रहने वालों की मीक़ात यानी यलमलम से एहराम बांधना ज़रूरी है या वह अपनी मीक़ात से भी एहराम बांध सकता है- यह मसअला मुख्तलफ फ़ी है- (यानी इसमें इख्तिलाफ है) मगर इख्तिलाफ़ात और एक मीक़ात से दूसरी मीक़ात पर जाने की मशक्कत को सामने रख कर उलमा-ए-किराम ने इजाज़त दी है कि हज या उमरह बदल करने वाला अपनी मीक़ात से भी एहराम बांध सकता है।

हज / उमरह से रोक दिया जाना

रियाज़, बुरैदा और जद्दा से चंद हज़रात ने मसला पूछा। जिससे मालूम हुआ कि इस बुध और जुमेरात को उमरह की अदाएगी के लिए जाने वाले तकरीबन तमाम हज़रात को Check Post पर Swine Flue की बीमारी के इंतिशार होने के डर की वजह से मक्का जाने से रोक दिया गया। चुनांचे बेशुमार हज़रात एहराम खोल कर उमरह की अदाएगी के बेगैर घर वापस चले गए। लिहाज़ा आप हजरात से दरखास्त है कि मनासिके हज की अदाएगी तक, उमरह करने के लिए मक्का न जाएं।

(मसअला) हज या उमरह का एहराम बांधने के बाद अगर किसी शख्स को हज या उमरह की अदाएगी से रोक दिया जाए तो एहराम बांधने वाले शख्स पर एक दम लाज़िम हो जाएगा, नीज़ कज़ा (बाद में अदा) करनी जरूरी होगी जो जिन्दगी में कभी भी की जा सकती है। जैसा 6 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत के साथ उमरह की अदाएगी के लिए मदीना से मक्का रवाना हुए। हुदैबिया के मक़ाम पर कुफ्फारे मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम को उमरह की अदाएगी से रोक दिया और सुलह हुदैबिया हुई। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम ने एक एक क़ुर्बानी दी और फिर एहराम उतार कर उमरह की अदाएगी किए बेगैर मदीना वापस हुए। अगले साल 7 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम ने उमरह की कज़ा की।

अल्लाह तआला फरमाता है “हज या उमरह को अल्लाह तआला के लिए पूरा करो” (सूरह अलबकरा 196) यानी हज या उमरह का एहराम बांध लो तो फिर उसका पूरा करना जरूरी है, चाहे नफली हज व उमरह हो। हाँ अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो क़ुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो। अगर रास्ते में कोई रूकावट आ जाए तो एक जानवर यानी एक बकरी और गाए या ऊंट का सातवाँ हिस्सा जो भी मुयस्सर हो ज़बह कर लो।

(मसअला) अगर मुहरिम को बीमारी या दुशमन या किसी दूसरी वजह से हज या उमरह की अदमे अदाएगी का खौफ हो तो उसको चाहिए कि एहराम बांधते वक्त यूं कहे कि अगर मुझे कोई परेशानी आ जाए तो मैं वहीं हलाल हो जाऊंगा। इस शर्त के साथ मुहरिम को अगर कोई रूकावट पेश आ जाए तो उसके लिए हलाल होना जाएज़ है और उस पर कोई दम वाजिब नहीं होगा। (अलशैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़)

(वजाहत) जिन हज़रात पर हज या उमरह में कोई दम वाजिब हो जाए तो वह उसको अपने लिए कोई सज़ा न समझें, बल्कि यह एक अल्लाह का हुकुम है, इसको खुशी से अंजाम दें। इसकी अदाएगी पर अल्लाह तआला की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, दम का फौरी तौर पर अदा करना जरूरी नहीं होता है।

पांच सवालात के जवाबात

आप के पांच सवालात के जवाबात अपनी मालूमात के मुताबिक़ लिख रहा हूँ, अल्लाह तआला सही बात लिखने की तौफ़ीक़ अता फरमाये। (आमीन)

1- किसी शख्स के इंतिकाल के बाद उसकी जानिब से उमरह की अदायगी की जा सकती है। औरत मर्द की तरफ से और मर्द औरत की तरफ से उमरह बदल कर सकता है, लेकिन किसी ज़िंदा की जानिब से उमरह की अदायगी नहीं की जा सकती है।

2- एक मर्तबा एहराम बांध कर एक ही उमरह की अदायगी की जा सकती है, अलबत्ता एक उमरह से फराग़त के बाद अगर दूसरा उमरह अदा करना चाहते हैं तो हिल में किसी भी जगह (मसलन तनयीम जहाँ मस्जिदे आयशा बनी हुई है) जाएँ, उमरह की नियत करके तल्बिया पढ़ लें और फिर उमरह की अदायगी कर लें। दूसरे उमरह की अदायगी के लिये एहराम की चादरों को बदलना या पलटना या धोना ज़रूरी नहीं है। यानि एहराम की चादरों को एक से ज़्यादा उमरह की अदायगी के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं, मगरहर उमरह की अदायगी के बाद बालों का कटवाना या मुंडवाना ज़रूरी है। याद रखें कि एक सफर में बार बार उमरह करने के बजाये तवाफ़ ज़्यादा करना अफज़ल और बेहतर है।

3- नियत असल में दिल के इरादा का नाम है, यानि जिस वक़्त आप घर से उमरह की अदायगी के लिये रवाना हुए तो नियत हो गई, मगर बेहतर यह है कि एहराम के कपड़े पहनने के बाद तल्बिया पढ़ने से पहले ज़बान से नियत कर लें और नियत के लिए अरबी ज़बान के अलफ़ाज़ ही इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप

उर्दू ज़बान में भी नियत कर सकते हैं। किसी दूसरे शख्स की जानिब से उमरह की अदायगी की सूरत में जिस की जानिब से उमरह अदा कर रहे हैं तो उसकी जानिब से उमरह की नियत करें, मसलन् य कहें कि मैं अपने वालिद की जानिब से उमरह अदा करने की नियत करता हूँ।

4- हर तवाफ़ के बाद दो रिकात नमाज़ अदा की जाती है (चाहे हज का तवाफ़ हो, उमरह का या नफ्ली तवाफ़) तवाफ़ की यह दो रिकात नमाज़ तवाफ़ के बाद मस्जिदे हराम में किसी भी जगह अदा कर सकते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा न हो तो मक़ामे इब्राहिम के पीछेअदा करना अफज़ल व बेहतर है।

5- तवाफ़ और सई के दौरान कोई भी दुआ लाज़िम और ज़रूरी नहीं है, जो चाहें, जिस ज़बान में चाहें दुआद मांगे। फिर भी आप की खाहिश के मुताबिक़ उमरह के दौरान जिन दुआओं का ज़िक्र अहादीस में आया है उनको मुख़्तसर लिख देता हूँ:

“रब्बना आतिना आखिर तक” अगर याद हो तो ज़मज़म का पानी पी कर अल्हम्दु लिल्लाह कहकर यह दुआ पढ़े:

“अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका आखिर तक” सफा पर पहुंच कर बेहतर है कि ज़बान से कहें:

“अबदउ बिमा बदअल्लाहु बिहि आखिर तक” फिर काबा की तरफ रुख कर के दुआ की तरह हाथ उठा लें और तीन मर्तबा अल्लाह अकबर कहें और यह दुआ याद हो तो इसे भी पढ़े:

“ला इलाहा इल्लाहु वह्दहू ला शारिका लहु आखिर तक” सई के दौरान भी कोई खास दुआ लाज़िम नहीं अलबत्ता इस दुआ को खास तौर पर पढ़ते रहें:

“रब्बिग्फिर वरहम व तजवाज़ अम्मा तालम आखिर तक”।

सफरे मदीना मुनव्वरा

(ज़ियारत मस्जिदे नबवी व रौज़ए अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)

मदीना तैयबा के फज़ाएल

मदीना मुनव्वरा के फज़ाएल व मनाक़िब बेशुमार हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इसका बुलंद मकाम व मरतबा है। मदीना की फज़ीलत के लिए यही काफी है कि वह तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारूल हुजरा और मसकन व मदफन है। इसी पाक व मुबारक सर जमीन से दीन इस्लाम कोने कोने तक फैला। इस शहर को तैबा और ताबा (यानी पाकिजगी का मरकज़) भी कहते हैं। इस में आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से मदीना के चंद फज़ाएल पेशे खिदमत हैं।

1) हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाय ऐ अल्लाह! मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत से भी बढ़ा दे। (सही बुखारी)

2) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अल्लाह! मक्का को तूने जितनी बरकत अता फरमाई है मदीना को इससे दुगुनी बरकत अता फरमा। (सही बुखारी)

3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना जिसने (मदीना के क़याम के दौरान आने वाली) मुशिकलात व

मसाएब पर सब्र किया, क़यामत के रोज उसकी शिफरिश करूंगा या फरमाया मैं उसकी गवाही दूंगा। (सही मुस्लिम)

4) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का जो भी शख्स मदीना में सख्ती व भूक पर और वहां की तकलीफ व मशक्कत पर सब्र करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शिफाअत करूंगा। (सही मुस्लिम)

5) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुक़र्रर हैं इसमें न कभी ताऊन फैल सकता है न दज्जाल दाखिल हो सकता है। (सही बुखारी)

6) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मदीना में मर सकता है (यानी यहां आा कर मौत तक क़याम कर सकता है) उसे जरूर मदीना में मरना चाहिए क्योंकि मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूंगा जो मदीना में मरेगा। (तिर्मीजी)

7) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान (क़ुर्बे क़यामत) मदीना में सिमट कर इस तरह वापस आ जाएगा जिस तरह सांप घूम फिर कर अपने बिल में वापस आ जाता है। (सही बुखारी)

8) हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो भी मदीना के रहने के साथ मकर करेगा वह ऐसा घुल जाएगा जैसा कि पानी

नमक में घुल जाता है (यानी उसका वजूद बाकी न रहेगा) (सही बुखारी व मुस्लिम)

9) हज़रत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मौका पर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मदीना बुरे लोगों को यूं अलग कर देता है जिस तरह आग चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (सही बुखारी)

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के फज़ाएल

1) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीन मसाजिद के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का सफर इख्तियार न किया जाए मस्जिदे नबवी, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्सा । (सही बुखारी)

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी इस मस्जिद में नमाज का सवाब दूसरे मसाजिद के मुकाबले में हजार गुना ज्यादा है सिवाए मस्जिदे हराम के। (सही मुस्लिम) इबने माजा की रिवायत में पचास हजार नमाजों के सवाब का ज़िक्र है जिस खुलूस के साथ वहां नमाज पढ़ी जाएगी उसी मुताबिक अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह।

3) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने मेरी इस मस्जिद (यानी मस्जिदे नबवी) में फौत किए बगैर (मुसलसल) चालीस नमाजें अदा कीं उसके लिए आग से छुटकारा, अज़ाब से

निजात और निफाक़ से छुटकारा लिखी गई। (तिर्मीजी तिबरानी, मसनद अहमद) बाज़ उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है लेकिन मुहद्देसीन व उलमा ने सही कहा है लिहाजा मदीना के क़याम के दौरान तमाम नमाजें मस्जिदे नबवी ही में पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि एक नमाज का सवाब हजार गुना या इबने माजा की रिवायत के मुताबिक पचास हजार गुना ज्यादा है, नीज़ हदीस में यह मज़कूर फजीलत भी हासिल हो जाएगी। (इंशाअल्लाह)

(वज़ाहत) हुजुर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत और आप की कब्रे अतहर पर जा कर दरूद व सलाम पढ़ना न हज के वाजिबात में से है न मुस्तहब में से है, बल्कि मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और वहां पहुंच कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रे अतहर पर दरूरद व सलाम पढ़ना हर वक्त मुस्तहब है और बड़ी खुश नसीबी है बल्कि बाज़ उलमा ने अहले वुसअत के लिए वाजिब के करीब लिखा है।

कब्रे अतहर की ज़ियारत के फज़ाएल

1) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी कब्र के पास खड़े हो कर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है मैं उसको खुद सुनता हूँ और जो किसी जगह दरूद पढ़ता है तो उसकी दुनिया व आखिरत की जरूरतें पूरी की जाती हैं और क़यामत के दिन उसका गवाह और उसका सिफारिशी हूँगा। (बैहक़ी)

2) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स

मेरी कब्र के पास आ कर मुझ पर सलाम पढ़े तो अल्लाह तआला मुझ तक पहुंचा देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। (मसनद अहमद, अबूदाउद)

3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो गई। (दारे कुतनी, बज्जाज)

4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरी ज़ियारत को आए और उसके सिवा कोई और नियत उसकी न हो तो मुझ पर हक हो गया कि मैं उसकी शिफाअत करूँ। (तबरानी)

5) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मदीना आ कर सवाब की नियत से मेरी (कब्र की) ज़ियारत की वह मेरे पड़ोस में होगा और क़यामत के दिन मैं उसका शिफारशी हूँगा। (बैहक़ी)

6) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अल्लाह! मेरी कब्र को बुत न बनाना। अल्लाह तआला ने उन लोगों पर लानत फरमाई है जिन्होंने अम्बिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। (मुसनद अहमद)

सफरे मदीना मुनव्वरा

मदीना मुनव्वरा के पूरे सफर के दौरान कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह तआला फरमाता है बेशक अल्लाह तआला और उसके फरिश्ते

नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों! तुम भी दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। (सूरह अलअहजाब 56) अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह तआला उसके बदले उस पर दस रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके लिए दस नेकियां लिख देता है। (तिर्मीजी)

मस्जिदे नबवी में हाज़िरी

शहर में दाखिल होने के बाद सामान वगैरह अपनी रिहाईश गाहमें रख कर गूसल या वज़ू करके मस्जिदे नबवी की तरफ साफ सुथरा लिबास पहन कर अदब व एहतेराम के साथ रवाना हों। दायां कदम अंदर रख कर दखूले मस्जिद की दुआ पढ़ते हुए मस्जिदे नबवी में दाखिल हो जाऐं। मस्जिदे नबवी में दाखिल हो कर सबसे पहले इस हिस्सा में आऐं जो हुजरा-ए-मुबारका और मिम्बर के दरमयान है, जिसके मुअतिल्लक खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमया “यह हिस्सा जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है“ और दो रिकात तहयतुल मस्जिद पढ़ें। अगर उस हिस्सा में जगह न मिल सके तो जिस जगह चाहें दो रिकात पढ़ लें। अगर फर्ज नमाज शुरू हो गई है तो फिर जमाअत में शरीक हो जाएं।

दरूद व सलाम

दो रिकात तहयतुल मस्जिद पढ़ कर बड़े अदब व एहतेराम के साथ हुजरा-ए-मुबारका (जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं) की तरफ चलें। जब आप सुनहरी जाली के सामने पहुंच जाऐं तो आप को तीन सूराख नजर आऐंगे, पहले और बड़े गोलाई

वाले सूराख के सामने आने का मतलब है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रे अतहर के सामने है, लिहाजा जालियों की तरफ रूख करके अदब से खड़े हो जाएं, नजरे नीचे रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व जलाल का लिहाज करते हुए सलाम पढ़ें।

नमाज में जो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है वह भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जालियों में दूसरा सूराख है उसके सामने खड़े हो कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में इस तरह सलाम अर्ज करें।

फिर उसके बाद तीसरे गोल सूराख के सामने खड़े हो कर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह सलाम अर्ज़ करें।

(वजाहत) बस इसी को सलाम कहते हैं जब भी सलाम अर्ज़ करना हो इसी तरह अर्ज़ किया करें।

(अहम हिदायत) बाज़ औकात भीड़ की वजह से हुजरा-ए-मुबारका के सामने एक मिनट भी खड़े होने का मौका नहीं मिलता। सलाम पेश करने वालों को बस हुजरा-ए-मुबारका के सामने से गुजार दिया जाता है। लिहाजा जब ऐसी सूरत हो और आप लाइन में खड़े हों तो इंतिहाई सुकून और इतमिनान के साथ दरूद शरीफ पढ़ते रहें और हुजरा-ए-मुबारका के सामने पहुंच कर दूसरी जाली में बड़े सूराख के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते चलते मुख्तसर दरूद व सलाम पढ़ें, फिर तीसरे सूराखों के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में चलते चलते सलाम अर्ज़ करें।

रियाज़ुल जन्नत

क़दीम मस्जिदे नबवी में मिम्बर और रोज़ाये अक़दस के दरमयान जो जगह है वह रियाजुल जन्नत कहलाती है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मिम्बर और रोज़ाये अक़दस के दरमयान की जगह जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है. रियाजुल जन्नत की पहचान के लिए यहाँ सफेद पत्थर के सतून हैं इन सूतों को इस्तिवाना कहते हैं, इस सुतूनो पर इनके नाम भी लिखे हुए हैं, रियाजुल जन्नत के पुरे हिस्से में जहाँ सफेद और हरी कालीनों का फर्श है नमाज़ें अदा करना ज़्यादा सवाब िक बाईस है, निज कोबूलियते दुआ के लिए भी खास मकाम है-

असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा

मस्जिदे नबवी में हुजरा के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है यह वह जगह है जहाँ वह मिस्कीन व गरीब सहाबा किराम क़ियाम फरमाते थे जिनका न घर था न दर और जो दिन व रात ज़िक्र व तिलावत करते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत से फायदा उठाते थे- हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसी दरसगाह के मुमताज़ शागिर्दों में हैं। असहाबे सुफ्फा की तादाद कम और ज्यादा होती रहती थीं- कभी कभी उनकी तादाद 80 तक पहुंच जाती थी- सूरह असकहफ कप आयत नं॰ 128 उन्हीं असहाबे सुफ्फा के हक में नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बैठने का हूकुम दिया।

जन्नतुल बक़ी (बक़ीउल गरक़द)

यह मदीना मुनव्वरा का कर्बिस्तान है जो मस्जिदे नबवी से बहुत थोड़े फासले पर है, इसमें बेशुमार सहाबा (तकरीबन 10 हज़ार) और अवलिया अल्लाह मदफून हैं। तीसरे खलीफा हज़रत उसमान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार साहब जादियां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहहिरात आप के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं।

जबले उहद (उहद का पहाड़)

मस्जिदे नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलो मीटर के दूरी पर यह मुकद्दस पहाड़ है। जिसके मुतअल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया (उहद का पहाड़ हम से मोहब्बत रखता है और हम उहद से मोहब्बत रखते हैं) इसी पहाड़ के दामनमें 3 हिजरी में जंगे उहद हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जख्मी हुए और तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए थे। यह सब शुहदा इसी जगह मदफून हैं जिसका इहाता कर दिया गया है। इसी इहाता के बीच में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मदफून हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बराबर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदफून हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास इहतिमाम से यहां तशरीफ लाते थे और शुहदा को सलाम व दुआ से नवाजते थे।

मस्जिदे क़ुबा

मस्जिदे कुबा मस्जिदे नबवी से तकरीबन चार किलो मीटर की दूरी पर है। मुसलमानों की यह सबसे पहली मस्जिद है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो कबीला बिन औफ के पास क़याम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ खुद अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद के मुतअल्लिक अल्लाह तआला फरमाता है (यानी वह मस्जिद जिसकी बुनियाद इखलास व तकवा पर रखी गई है) मस्जिदे हरामए मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अकसा, दुनिया भर की तमाम मसाजिद में सबसे अफजल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार हो कर तो कभी पैदल चल कर मस्जिदे कुबा तशरीफ लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स (अपने घर से) निकले और मस्जिदे कुबा में आकर (दो रिकात) नमाज पढ़े तो उसे उमरह के बराबर सवाब मिलेगा।

मदीना तैयीबा के क़याम के दौरान क्या करें?

जब तक मदीना में क़याम रहे उसको बहुत ही गनीमत जानें और जहां तक हो सके अपने औकात को इबादत में लगाने की कोशिश करें। ज्यादा वक्त मस्जिदे नबवी में गुजारें क्योंकि मालूम नहीं कि यह मौका दूबारा मुयस्सर हो या न हो। पांचों वक्त की नमाजें जमाअत के साथ मस्जिदे नबवी में अदा करें क्योंकि मस्जिदे नबवी में एक नमाज का सवाब दूसरे मसाजिद के मुकाबले में एक हजार या पचास हजार गुना ज्यादा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम की कब्रे अतहर पर हाजिर होकर कसरत से सलाम पढ़ें। रियाज़ुल जन्नत (जन्नत का बागिचा) में जितना मौका मिले नवाफिल पढ़ते रहें और दुआऐं करते रहें। मेहराबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खास खास सतूनों के पास भी नफल नमाज और दुआओं का सिलसिला रखें। फजर या असर की नमाज से फरागत के बाद जन्नतुल बकी चले जाया करें। कभी कभी हस्बे सहूलत मस्जिदे कुबा जा कर दो रिकात नमाज पढ़ आया करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। तमाम गुनाहों से खुसूसन फज़ूल बातें और लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचें। खरीद व खरोख्त में अपना ज्यादा वक्त बरबाद न करें क्योंकि मालूम नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक शहर में दोबारह आने की सआदत जिन्दगी में कभी मिले या नहीं।

औरतों के खुसूसी मसाइल

मदीना के लिए किसी तरह का कोई एहराम नहीं बांधा जाता है, इस लिए औरतों मुकम्मल पर्दा के साथ रहें यानी चेहरे पर भी नकाब डालें। अगर किसी औरत को माहवारी आ रही हो तो वह सलाम अर्ज़ करने के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल न हों, अलबत्ता मस्जिद के बाहर बाबे जिबरईल या बाबुन निसा या बाबुल बकी के पास खड़े हो कर सलाम अर्ज़ करना चाहें तो कर सकती हैं और जब पाक हो जाएं तो कब्रे अतहर के सामने सलाम अर्ज़ करने के लिए चली जाएं। मस्जिदे नबवी में औरतों को मर्द के हिस्सा में और मर्द को औरतों के हिस्सा में जाने की इजाजत नहीं है इस लिए बाहर निकलने क

वक्त और मिलने की जगह पहले मुतअैयन कर लें।

मदीना से वापसी

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर (मदीना मुनव्वरा) से वापसी पर यकीनन आपका दिल गमगीन और आंखें अश्कबार होंगी मगर दिल गमगीन को तसल्ली दें कि जिस्मानी दूरी के बावजूद हजारों मील से भी हमारा दरूद अल्लाह के फरिश्तों के ज़रिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा करेगा। इस मुबारक सफर से वापसी पर इस बात का इरादा करें कि जिन्दगी के जितने दिन बाकी हैं इसमें अल्लाह तआला के अहकाम की खिलाफवरज़ी नहीं करेंगे बल्कि अपने मौला को राज़ी और खुश रखेंगे नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही अपनी ज़िन्दगी के बाकी दिन गुज़ारेंगे और अल्लाह के दीन को अल्लाह के बन्दों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।

मदीना मनव्वरा के तारीखी मक़ामात

मस्जिदे नबवी

जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहजरी में मस्जिदे क़ुबा की तामीर के बाद सहाबा-ए-किराम के साथ मस्जिदे नबवी की तामीर फ़रमाई, उस वक़्त मस्जिदे नबवी 150 फिट लम्बी और 90 फिट चौड़ी थी- हिजरत के सातवीं साल फत्हे खैबर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदे नबवी की तौसी फ़रमाई- इस तौसी के बाद मस्जिदे नबवी की लम्बाई और चौड़ाई 150 फिट हो गई- हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहदे खिलाफत में मुसलमानो की तादाद में जब गैर मामूली इज़ाफ़ा हो गया और मस्जिद नाकाफी साबित हुई तो 17 हिजरी में मस्जिदे नबवी की तौसी की गई- 29 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में मस्जिदे नबवी की तौसी की गई- उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने 88 हिजरी से 91 हिजरी में मस्जिद नबवी की गैर मामूली तौसी की- हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) उस वक़्त मदीना के गवर्नर थे- उमवी और अब्बासी दौर में मस्जिद नबवी की बहुत सी तौसियात हुईं- तुर्कों ने मस्जिदे नबवी की नए सिरे से तामीर की, उसमे सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया, मज़बूती और खूबसूरती के एतबार से तुर्कों की अकीदतमंदी की नाक़ाबिले फरामोश यादगार आज भी बरक़रार है- हज और उमरह करने वालों और ज़ायरीन की कसरत की वजह से जब यह तौसियात भी नाकाफी रहीं

तो मौजूदा सऊदी हुकूमत ने कुर्ब व जवार की इमारतों को खरीद कर और उन्हें मुन्हदिम करके अज़ीमुश्शान तौसी की जो अब तक सब से बड़ी तौसी मानी जाती है- हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया तीन मसजिद के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का सफर इख़्तियार न किया जाये मस्जिदे नबवी, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़सा- हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया मेरी इस मस्जिद में नमाज़ का सवाब दूसरी मसजिद के मुकाबले में हज़ार गुना ज़्यादा है सिवाए मस्जिदे हराम के- दूसरी रिवायत में पचास हज़ार नमाज़ों के सवाब का ज़िक्र है- जिस ख़ुलूस के साथ वहां नमाज़ पढ़ी जाएगी उसी के मुताबिक़ अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह-

हुजरा ए मुबारका

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िन्दगी के आखरी दस ग्यारह साल मदीना में गुज़ारे- 8 हिजरी में फत्हे मक्का के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुबारक शहर को अपना मस्कन बनाया- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिक़ाल के बाद हुज़ूर की तालीमात के मुताबिक़ हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ़न कर दिया गया, इसी हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिक़ाल भी हुआ था- हज़रत अबु बकर और हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) भी इसी हुजरे में मदफ़ून हैं- इसी हुजरा ए मुबारका के पास खड़े हो कर सलाम पढ़ा जाता है- हुजरा ए मुबारका के क़िबला रुख तीन जालियां हैं जिसमें दूसरी जाली में तीन

सुराख़ हैं, पहले और बड़े गोलाई वाले सुराख़ के सामने आने का मतलब है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की क़ब्रे अतहर सामने है- दूसरे सुराख़ के सामने आने का मतलब है कि हज़रत अबु बकर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की क़ब्र सामने है और तीसरे सुराख़ के सामने आने का मतलब है कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की क़ब्र सामने है-

रियाज़ुल जन्नह

क़दीम मस्जिदे नबवी में मिम्बर और रोज़ए अक़दस के दरमयान जो जगह है वह रियाज़ुल जन्नह कहलाती है- हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है "मिम्बर और रोज़ए अक़दस के दरमयान की जगह जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है-" रियाज़ुल जन्नह की पहचान के लिए यहाँ सफेद पत्थर के सुतून हैं- इन सुतूनों को इस्तिवाना कहते हैं, इन सुतूनो पर इनके नाम भी लिखे हुए हैं- रियाज़ुल जन्नह के पूरे हिस्से में जहाँ सफेद और हरी कालीनों का फर्श है नमाज़ अदा करना ज़्यादा सवाब का बाइस नीज़ क़ुबूलियते दुआ के लिए भी खास मकाम है-

असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा

मस्जिदे नबवी में हुजरा के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है- यह वह जगह है जहाँ वह मिस्कीन व गरीब सहाबा किराम क़याम फरमाते थे जिनका न घर था न दर, और जो दिन व रात जिक्र व तिलावत करते, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत से फायदा उठाते थे- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) इसी दरसगाह

के मुमताज़ शागिर्दों में हैं। असहाबे सुफ्फा की तादाद कम और ज्यादा होती रहती थीं, कभी कभी उनकी तादाद 80 तक पहुंच जाती थी, सूरह कहफ आयत नं॰ (128) उन्हीं असहाबे सुफ्फा के हक में नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बैठने का हुकुम दिया।

जन्नतुल बक़ी (बक़ीउल गरक़द)

यह मदीना मनव्वरा का कर्बिस्तान है जो मस्जिदे नबवी से बहुत थोड़े फासले पर है, इसमें बेशुमार सहाबा (तकरीबन 10 हज़ार) और औलिया अल्लाह मदफून हैं। तीसरे खलीफा हजरत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार साहब जादियां, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, आप के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं।

जबले उहद (उहद का पहाड़)

मस्जिदे नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलो मीटर के दूरी पर यह मुकद्दस पहाड़ है। जिसके मुतअल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "उहद का पहाड़ हम से मोहब्बत रखता है और हम उहद से मोहब्बत रखते हैं" इसी पहाड़ के दामन में 3 हिजरी में जंगे उहद हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जख्मी हुए और तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए थे। यह सब शुहदा इसी जगह मदफून हैं जिसका इहाता कर दिया गया है। इसी इहाता के बीच में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

के चचा हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मदफून हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बराबर में हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदफून हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास इहतिमाम से यहां तशरीफ लाते थे और शुहदा को सलाम व दुआ से नवाजते थे।

मस्जिदे क़ुबा

मस्जिदे क़ुबा मस्जिदे नबवी से तकरीबन चार किलो मीटर की दूरी पर है। मुस्लमानों की यह सबसे पहली मस्जिद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो कबीला बिन औफ के पास कियाम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ खुद अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद के मुतअल्लिक अल्लाह तआला फरमाता है "यानी वह मस्जिद जिसकी बुनियाद इखलास व तकवा पर रखी गई है" मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अकसा, दुनिया भर की तमाम मसाजिद में सबसे अफजल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार हो कर तो कभी पैदल चल कर मस्जिदे क़ुबा तशरीफ लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स (अपने घर से) निकले और मस्जिदे क़ुबा में आ कर (दो रिकात) नमाज पढ़े तो उसे उमरह के बराबर सवाब मिलेगा।

मस्जिदे जुमा

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसी मस्जिद में जुमा अदा फरमाया था, यह मस्जिदे क़ुबा के करीब ही बनी है।

मस्जिदे फतह (मस्जिदे अहज़ाब)

यह मस्जिद जबले सिला के गरबी किनारे पर ऊचाई पर बनी हुई थी। गज़वए खंदक (अहजाब) में जब तमाम कुफ्फार मदीना पर मुजतमा हो कर चढ़ आए थे और खंदक खोदी गई थीं, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह दुआ फरमाई थी, चुनांचे आप की दुआ कबूल हुई और मुस्लमानों को फतह हुई। इस मस्जिद के करीब कई छोटी छोटी मस्जिदे बनी हुई थीं जो मस्जिदे सलमान फारसी, मस्जिदे अबु बकर, मस्जिदे उमर और मस्जिदे अली के नाम से मशहूर हैं। दरअसल गज़वए खंदक के मौका पर यह उन हजरात के ठहरने की जगह थे जिनको महफूज और मुतअयन करने के लिए गालिबन सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मसजिद की शकल दी। यह मकाम मसाजिदे खमसा के नाम से मशहूर है। अब सउदी हुकूमत ने इस जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद (मस्जिदे खंदक) के नाम से तामीर की है।

मस्जिदे क़िबलतैन

तहवील किबला का हुकुम असर की नमाज में हुआ, एक सहाबी ने असर की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, फिर अंसार की जमाअत पर उनका गुजर हुआ वह अंसार

सहाबा (मस्जिदे किबलतैन) में बैतुल मुकद्दस की जानिब नमाज अदा कर रहे थे, उन सहाबी ने अंसार सहाबा को खबर दी कि अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह को दोबारह किबला बना दिया है, इस खबर को सुनते ही सहाबा ए किराम ने नमाज ही की हालत में खाना काबाकी तरफ रूख कर लिया। क्योंकि इस मस्जिद (किबलतैन) में एक नमाज दो किबलों की तरफ अदा की गई इस लिए इसे मस्जिदे किबलतैन कहते हैं। बाज़ रिवायात में है कि तहवीले किबला कि आयत इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त नाज़िल हुई थी।

मस्जिद ओबय बिन काब

यह मस्जिद जन्नतुल बकी के मुत्तसिल है, इस जगह जमाना नबूवत के मशहुर कारी हजरत ओबय बिन काब रजी अल्लाहु अन्हु का मकान था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां अक्सर तशरीफ लाते और नमाज पढ़ते थे, नीज़ हजरत ओबय बिन काब से कुरान सुनते और सुनाते थे।

मक्का मुकर्रमा के तारीखी मक़ामात

बैतुल्लाह

बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह तआला का घर है जिसका हज और तवाफ किया जाता है। इसको काबा भी कहते हैं। यह पहला घर है जो अल्लाह तआला ने बनी नौए इंसान के लिए जमीन पर बनाया जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है "**अल्लाह तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुक़र्रर किया गया है वही है जो मक्का में है जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है**।" (सूरह आले इमरान) बैतुल्लाह मस्जिदे हराम के कल्ब में वाके है और क़यामत तक यही मुसलमानों का किबला है। 24 घंटों में सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों के वक्त खाना काबा का तवाफ रूकता है बाकी दिन रात में एकघड़ी के लिए भी बैतुल्लाह का तवाफ बंद नहीं होता है। बैतुल्लाह की ऊचाई 14 मीटर है जबकि चैडाई हर तरफ से कम व बेश 12 मीटर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला की एक सौ बीस रहमतें रोजाना उस घर (खाना काबा) पर नाज़िल होती हैं जिनमें से साठ तवाफ करने वालों पर, चालीस वहां नमाज पढ़ने वालों पर और बीस खाना काबा को देखने वालों पर। अगर बैतुल्लाह का करीब से तवाफ किया जाए तो सात चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं लेकिन दूर से करने पर तकरीबन एक से दो घंटे लग जाते हैं। तवाफे ज़ियारत (हज का तवाफ) करने में कभी कभी इससे भी ज्यादा लग जाता है। हदीस में है कि बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ने पर जो दुआ मांगी जाती है वह

अल्लाह तआला कबूल फरमाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ को हर साल गूसल भी दिया जाता है।

बैतुल्लाह की तामीर

बैतुल्लाह की मुख्तिलफ तामीरें हुईं हैं, चंद मशहूर तामीरें हस्बे जैल हैं -

1) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश से सबसे पहले उसकी तामीर फरिश्तों ने की।

2) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर।

3) हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की तामीर।

4) हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साबहजादे हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की अज़ सरे नौ तामीर की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तामीर को खुसूसी अहिमयत हासिल हुई, चुनांचे अल्लाह तआला ने भी क़ुरान करीम में इस वाक़या को ज़िक्र किया है "**उस वक्त का तसव्वुर करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इसमाइल अलैहिस्सलाम भी (उनके साथ शरीक थे और दोनों यह कहते जाते थे कि) ऐ हमारे परवरदिगार! हम से (यह खिदमत) कबूल फरमाले, बेशक तु और सिर्फ तुही हर एक की सुनने वाला हर एक को जानने वाला है**।" (सूरह अलबकरा 127)

5) अमालिका की तामीर

6) जुरहम की तामीर (यह अरब के दो मशहूर क क़बीले हैं)

7) क़ुसइ की तामीर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवीं पुश्त में दादा हैं।

8) कुरैश की तामीर, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उ 35 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दस्ते मुबारक से हजरे असवद को बैतुल्लाह की दीवार में लगाया था।

9) 64 हिजरी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हतीम के हिस्से को काबा में शामिल करके दोबारह तामीर कीऔर दरवाज़ा को जमीन के करीब कर दिया, नीज़ दूसरा दरवाज़ा उसके मुकाबिल दीवार में कायम कर दिया ताकि हर शख्स सहूलत से एक दरवाज़ा से दाखिल हो और दूसरे दरवाज़ा से निकल जाए। हुज़ूर की भी यही ख्वाहिश थी।

10) 73 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा को दोबारा क़दीम तर्ज़ के मुवाफिक कर दिया, यानी हतीम की जानिब से दीवार पीछे को हटा दी और दरवाज़ा ऊंचा कर दिया, दूसरा दरवाज़ा बंद कर दिया।

11) 1021 हिजरी में सुल्तान अहमद तुर्की ने छत बदलवाई और दीवारों की मरम्मत की।

12) 1039 हिजरी में सुलतान मुराद के जमाने में सैलाब के पानी से बैतुल्लाह की बाज़ दीवारें गिर गई थीं तो सुलतान मुराद ने उनकी तामीर कराई।

13) 1417 हिजरी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने बैतुल्लाह की तरमीम की।

गिलाफे काबा

बैतुल्लाह शरीफ जो बेहद वाजिबुत्ताजीम इबादत गाह और मुतबर्रक घर है, उसे जाहिरी ज़ेब व जीनत की गरज़ से गिलाफ पहनाया जाता है। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि सबसे पहले हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम ने पहला गिलाफ चढ़ाया था। उसके बाद में अदनानने काबा पर गिलाफ चढ़ाया था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीसवें पुश्त में दादा हैं। यमन के बादशाह (तबउल हमीरी) ने ज़ुहूरे इस्लाम से सात सौ साल पहले काबा पर गिलाफ चढ़ाया था। ज़माना ए जाहिलियत में भी यह सिलसिला जारी रहा। हूज़ुर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतहे मक्का के दिन यमन का बना हुआ काले रंग का गिलाफ काबा शरीफ पर चढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबु बकर सिद्दीक ने सफेद कपड़ा चढ़ाया। हज़रत उमर फारूक और हज़रत उसमान गनी (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने अपनी अपनी खिलाफत के जमाने में नए नए गिलाफ बैतुल्लाह (काबा) पर चढ़ाए। खिलाफते बनू उमैया के 91 सालों के इकतिदार के जमाने में और फिर बनु अब्बास के पांच सौ साल के जमाने में भी यह सिलसिला बकाइदा जारी रहा, कभीसफेद रंग का कभी सियाह रंग का मगर 575 हिजरी से आज तक गिलाफ काले ही रंग का चढ़ाया जाता है। 761 हिजरी से क़ुरान करीम की आयात भी गिलाफ पर लिखी जाने लगीं। मौजूदा जमाने में आम तौर पर 9 जिलहिज्जा को हर साल काले रंग का गिलाफ तबदील किया जाता है। गुजशता जमानों में मुख्तलिफ तारीखों में गिलाफ तबदील किया जाता था, कभी 10 मुहररम, कभी 27 रमजान और कभी 8 या 9 या 10 जिलहिज्जा।

हतीम

यह दरअसल बैतुल्लाह ही का हिस्सा है लेकिन कुरैशे मक्का के पास हलाल माल नही रहने की वजह से उन्होंने तामीरे काबा के वक्त यह हिस्सा छोड़कर बैतुल्लाह की तामीर की थी। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं काबा शरीफ में दाखिल हो कर नमाज पढ़ना चाहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ कर हतीम में ले गए और फरमाया तुम बैतुल्लाह (काबा) के अंदर नमाज पढना चाहो तो यहां (हतीम में) खड़े होकर नमाजपढ़ लो। यह भी बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा है। तेरी कौम ने बैतुल्लाह (काबा) की तामीर के वक्त (हलाल कमाई मुयस्सर न होने की वजह से) उसे (छत के बेगैर) थोड़ा सा तामीर करा दिया था। चूंकि हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, लिहाजा तवाफ हतीम के बाहर से ही करें, अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ करेंगे तो वह मोतबर नहीं होगा। बैतुल्लाह की छत से हतीम की तरफ बारिश के पानी के गिरने की जगह (पर नाला) मीज़ाबे रहमत कही जाती है।

हजरे असवद

हजरे असवद कीमती पत्थरों में एक पत्थर है, अल्लाह तआला ने इसकी रौशनी खत्म कर दी अगर अल्लाह तआला ऐसा न करता तो यह पत्थर मशरिक और मगरिब के दरमयान हर चीज को रौशन कर देता। हजरे असवद जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है जो कि दूध से ज्यादा सफेद था लेकिन लोगों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया है। हजरे असवद को अल्लाह तआला क़यामत के दिन ऐसी हालत में उठाऐंगे कि उसकी दो आंखे होंगी जिनसे वह देखेगा और जबान होगी

जिनसे वह बोलेगा और गवाही देगा उस शख्स के हक में जिसने उसका हक के साथ बोसा लिया हो। हजरे असवद के इस्तिलाम से ही तवाफ शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म किया जाता है। हजरे असवद का बोसा लेना या उसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है।

मुलतजिम

मुलतजिम के मानी है चिमटने की जगह, हजरे असवद और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमयान ढाई गज के करीब काबा की दीवार का जो हिस्सा है वह मुलतजिम कहलाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह चिमट कर दुआऐं मांगी थी, यह दुआओं के कबूल होने की खास जगह है।

रूकने यमानी

बैतुल्लाह के तीसरे कोना को रूकने यमानी कहते हैं। रूकने यमानी को छूना गुनाहों को मिटाता है। रूकने यमानी पर सत्तर फरिश्ते मौजूद रहते हैं जो शख्स वहां जा कर यह दुआ पढ़े (रब्बना अतिना आखिर तक) तो वह सब फरिश्ते आमीन कहते हैं, यानी या अल्लाह उस शख्स की दुआ कबूल फरमा।

मक़ामे इब्राहिम

यह एक पत्थर है जिस पर खड़े हो कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया था, इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। यह काबा के

सामने एक जालीदार शीशे के छोटे से कुबा में महफ़ूज़ है जिसके अतराफ में पीतल की ख़ानुमा जाली नसब है। हजरे असवद की तरह यह पत्थर भी जन्नत से लाया गया है, अल्लाह तआला ने इसकी रौशनी खत्म कर दी अगर अल्लाह तआला ऐसा न करता तो यह मशरिक और मगरिब के दरमयान हर चीज को रौशन कर देता। तवाफ से फरागत के बाद तवाफ की दो रिकात अगर सहुलत से मकामे इब्राहिम के पीछे जगह मिल जाए तो मकामे इब्राहिम के पीछे ही पढ़ना बेहतर है। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "**मकामे इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ**"।

बिरे ज़मज़म

ज़मज़म का पानी अल्लाह तआला ने अपनी क़ुदरत से हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए तकरीबन 4000 साल पहले बैतुल्लाह के करीब बे आब व ग्याह रेगिस्तान में जारी फरमाया था। यह एक मुजजा है कि लाखों हुज्जाजे किराम और जायरीन लाखों टन ज़मज़म का पानी पीते हैं या अपने मुल्कों और शहरों को ले कर जाते हैं लेकिन ज़मज़म का कुआं आज तक सूखा नहीं हुआ। मस्जिदे हराम के साथ मस्जिदे नबवी में भी हर वक्त ज़मज़म का पानी मुहैया रहता है। आबे ज़मज़म में ऐसे अजज़ा ए मादनियात और नमकिनियात मौजूद हैं जो इंसान की गिज़ाई और तिब्बी जरूरीयात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। तवाफ करने वालों की सहूलत के लिए आबे ज़मज़म का कुआं ऊपर से पाट दिया गया है। अलबत्ता मस्जिदे हराम में हर जगह ज़मज़म का पानी बआसानी मिल जाता है, लिहाजा सुन्नते नबवी की इत्तिबा में

मस्जिद में किसी भी जगह ज़मज़म का पानी पी लें और अलहमदु लिल्लाह कह कर यह दुआ पढ़े ‘‘**ऐ अल्लाह! मैं आपसे नफा देने वाले इल्म का और कुशादा रिज़्क़ का और हर मर्ज़ से शिफायाबी का सवाल करता हूं**।‘‘ ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म पीलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हो कर पीया। ज़मज़म का पानी पी कर उसका कुछ हिस्सा सर और बदन पर बहाना मुस्तहब है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मज़म का पानी जिस नियत से पीया जाए वही फायदा उससे हासिल होता है। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है रूए जमीन पर सबसे बेहतर पानी ज़मज़म है जो भूके के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा जमजम का पानी (मक्का से मदीना) ले जाया करती थीं और फरमातीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ले जाया करते थे।

मस्जिदे हराम

मुस्लमानों की सबसे बड़ी मस्जिद (मस्जिद हराम) मुकद्दस शहर मक्का के बीच में वाके है। मस्जिदे हराम के दरमयान में बैतुल्लाह है जिसकी तरफ रूख करके दुनिया भर के मुसलमान ईमान के बाद सबसे अहम रुकन् यानी नमाज की अदाएगी करते हैं। दुनिया में सबसे पहली मस्जिद मस्जिदे हराम है जैसा कि हदीस में है कि हज़रत अबुजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जमीन में सबसे पहली कौन-

सी मस्जिद बनाई गई? हुजूर ने इरशाद फरमाया मस्जिदे हराम। फिर मैंने पूछा कि उसके बाद कौन-सी? आप ने इरशाद फरमाया मस्जिदे अकसा। फिर मैंने सवाल किया कि दोनों के दरमयान कितने वक्त का फर्क है? हुजूर ने इरशाद फरमाया चालीस साल का। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तीन मसाजिद के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का सफर इखतियार न किया जाए मस्जिदे नबवी, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अकसा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी इस मस्जिद में नमाज का सवाब दूसरे मसाजिद के मुबाले में हजार गुना ज्यादा है सिवाए मस्जिदे हराम के और मस्जिदे हराम में एकनमाज का सवाब एक लाख नमाजों के सवाब के बराबर है।

सफा व मरवा

सफा व मरवा दो पहाड़ियां थीं जो इन दिनों हुज्जाजे किराम की सहूलत के लिए तकरीबन खत्म कर दी गई हैं। सफा व मरवा और उसके दरमयान का मुकम्मल हिस्सा अब इयर कंडिशन है। सफा व मरवा के दरमयान हज़रत हाजरह अलैहस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इसमाइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सात चक्कर लगाए थे और जहां मर्द हजरात थोड़ा तेज चलते हैं यह उस जमाना में सफा व मरवा पहाड़ियों के दरमयान एक वादी थी जहां से उनका बेटा नजर नहीं आता था, लिहाजा वह इस वादी में थोड़ातेज दौड़ी थीं। हज़रत हाजरा की इस अज़ीम क़ुर्बानी को अल्लाह तआला ने कबूल फरमा कर क़यामत तक आने वाले तमाम मर्द हाजियों को इस जगह थोड़ा तेज चलने की तालीम दी, लेकिन शरीअते इस्लामिया ने औरतों को कमजोर जानते हुए इसको सिर्फ मर्द के

लिए सुन्नत करार दिया है। सई का हर चक्कर तकरीबन 395 मीटर लम्बा है यानी सात चक्कर की मुसाफत पौने तीन किलो मीटर बनती है। नीचे की मंजिल के मुकाबले में ऊपर वाली मंजिल पर भीड़ कुछ कम रहता है। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि इस पहाड़ी से एक ऐसा लम्बा जानवर निकलेगा जो इंसानी ज़बान में बात करेगा।

मिना

मिना मक्का से 4 या 5 किलो मीटर के फासला पर दो तरफा पहाड़ों के दरमयान एक बहुत बड़ा मैदान है। हुज्जाजे किराम 8 जिलहिज्जा को और इसी तरह 11, 12 और 13 जिलहिज्जा को मिना में क़याम फरमाते हैं। मिना में एक मस्जिद है जिसे मस्जिदे खैफ कहा जाता है। इसी मस्जिद के करीब जमरात हैं जहां हुज्जाजे किराम कंकड़ियां मारते हैं। मिना में कुर्बानगाह है जहां हुज्जाजे किराम की कुर्बानी की जाती हैं।

अरफात

अरफात मिना से तकरीबन 10 किलो मीटर की दूरी पर वाके है। मैदाने अरफात के शुरू में मस्जिदे नमरा नामी एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें ज़वाल के फौरन बाद खुतबा होता है फिर एक अज़ान और दो इकामत से जुहर और असर की नमाजें जमाअत से अदा होती हैं। इसी जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था जो खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है। मस्जिदे नमरा का अगला हिस्सा अरफात की हुदूद से बाहर है। मिना

व मुजदलफा हुदूदे हरम के अंदर, जबकि अरफात हदूद हुदूदे हरम से बाहर है। यही वह जगह है जहां हज का सबसे अहम रूकन अदा होता है, जिसके मुतअल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वकूफ अरफा ही हज है। वकूफ अरफा का वक्त जवाल आफताब से गुरूबे आफताब तक है लेकिन अगर कोई शख्स किसी वजह से गुरूबे आफताब तक न पहुंच सका लेकिन सुबहे सादिक से पहले तक एक लमहा के लिए भी इस मैदान में पहुंच गया तो हज सही होगा लेकिन एक दम देना जरूरी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरफा के दिन के अलावा काई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तआला कसरत से बन्दों को जहन्नम से निजात देते हों, उस दिन अल्लाह तआला (अपने बन्दों के) बहुत ज्यादा करीब होते हैं और फरिश्तों के सामने उन (हाजियों) की वजह से फखर करते हैं और फरिश्तों से पूछते हैं (जरा बताओ तो) यह लोग मुझ से क्या चाहते हैं। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमया गजवाए बदर का दिन तो मुसतस्ना है उसको छोड़ कर कोई दिन अरफा के दिन के अलावा ऐसा नहीं जिसमें शैतान बहुत जलील हो रहा हो, बहुत रांदह फिर रहा हो, बहुत हकीर हो रहा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा में हो, यह सब कुछ इस वजह से कि वह अरफा के दिन अल्लाह तआला की रहमतों का कसरत से नाज़िल होना और बन्दों के बड़े बड़े गुनाहों का माफ होना देखता है। अरफात के मैदान में एक पहाड़ है जिसे जबले रहमत कहते हैं, उसके करीब किबला रूख खड़े हो कर हुजूर ने वकूफे अरफा किया था। पहाड़ों पर चढ़ने की कोई फजीलत अहादीस में नहीं लिखी हुई है बल्कि उसके नीचे या अरफात के मैदान में

किसी भी जगह खड़े हो कर काबा की तरफ रूख करके हाथ उठा कर दुआऐं करनी चाहिए।

मुज़दलफा

9 जिलहिज्जा को गुरूबे आफताब के बाद हुज्जाजे किराम अरफात से मुजदलफा आ कर इशा के वक्त में मगरिब और इशा की नमाजें अदा करते हैं। यहां रात को क़याम फरमाते हैं और नमाजे फजर के बाद किबला रूख खड़े हो कर दुआऐं करते हैं। अल्लाह तआला फरमाता है "**जब तुम अरफात से वापस होकर मुजदलफा आओ तो यहां मशअरे हराम के पास अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो**।" इस जगह एक मस्जिद बनी हुई है जिसको मशअरे हराम कहते हैं। मुजदलफा मिना से 3 या 4 किलो मीटर के फासले पर है।

वादीये मुहस्सर

मिना और मुजदलिफा के दरमयान एक वादी है जिसको वादीये मुहस्सर कहते हैं, यहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुज़रते वक्त थोड़ा तेज चल कर गुज़रा जाता है। यह वह जगह है जहां अल्लाह तआला ने अबरहा बादशाह के लशकर को हलाक व तबाह किया था जो बैतुल्लाह को ढ़ाने के इरादा से आ रहा था।

जमरात

यह मिना में तीन मशहूर मकान हैं जहां अब दीवार की शकल में बड़े बड़े सतून बने हुए हैं। अल्लाह तआला के हुक्म, नबी अकरम के

तरीका और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईत्तिबा में इन तीनों जगहों पर कंकड़ियां मारी जाती हैं। इनमें से जो मस्जिदे खैफ के करीब है उसे जमरा ऊला उसके बाद बीच वाले जमरा को जमरा वुस्ता और उसके बाद मक्का मुक़र्रमा की तरफ आखिरी जमरा को जमरा ऊकबा या जमरा कुबरा कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन तीनों मकामात पर बहकाने की कोशिश की थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन तीन मकामात पर शैतान को कंकड़ियां मारी थीं और अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल को क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया। हुज्जाजे किराम बजाहिर जमरात पर कंकड़ियां मारते हैं लेकिन दर हकीकत शैतान को इस अमल के ज़रिया धुतकारा जाता है। रमी यानी जमरात पर कंकडियां मारना हज के वाजिबात में से है। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जिलहिज्जा को रमी करना (यानी 49 कंकड़ियां मारना) हर हाजी के लिए जरूरी है। तेरहवीं जिलहिज्जा की रमी (यानी 21 कंकड़ियां मारना) इंख्तियारी है।

मौलूदुननबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

मरवा के करीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है। यह वह जगह है जहां 9 या 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलिमीन बन कर तशरीफ लाए थे। इस जगह पर इन दिनों मकतबा (लाइब्रेरी) कायम है।

गारे सौर

यह गार जबले सौर की छोटी के पास है। यह पहाड़ मक्का से चार किलो मीटर के दूरी पर है और गार एक मील की चढ़ाई पर वाके है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करते वक्त इसी गार में हज़रत अबुबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तीन दिन ठहरे थे।

गारे हिरा

यहां क़ुरान करीम नाज़िल होना शुरू हुआ था, सूरह इकरा की इब्तिदाई चंद आयात इसी गार में नाज़िल हुई थीं, यह गार जबलेनूर (पहाड़) पर वाके है। यह पहाड़ मक्का से मिना जाने वाले रास्ता पर मस्जिदे हराम से तकरीबन 4 किलो मीटर की दूरी पर वाके है। इस की ऊचाई तकरीबन 2 हजार फिट है।

जन्नतुल ऊला

यह मक्का का कब्रिस्तान है। यहां पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा (रज़ियल्लाहु अन्हा), सहाबा-ए-किराम, ताबेईन, तबेताबईन और अवलिया अल्लाह मदफून हैं।

मस्जिदे आइशा

मीक़ात और हरम के दरमयान की सरजमीन को हिल कहा जाता है जिसमें खुद ऊगे हुए दरख्त को काटना और जानवर का शिकार करना हलाल है। मस्जिदे हराम से सबसे ज्यादा करीब हिल की जगह तनयीम है जो मस्जिदे हराम से तकरीबन साढ़े सात किलो मीटर के

फासले पर है, जहां से हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) हज से फरागत के बाद उमरह का एहराम बांध कर आई थीं, इस जगह पर एक आलीशान मस्जिद (मस्जिदे आइशा) बनी हुई है, अब उर्फे आम में इस इलाका को ही मस्जिदे आइशा कहा जाता है। मक्का में रहते हुए अगर किसी शख्स को उमरह की अदाएगी करनी होती है तो हरम से बाहर हिल में किसी जगह मसलन मस्जिदे आइशा से एहराम बांधा जाता है।

एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह की अदायगी

साहबे इस्तिताअत के लिए ज़िन्दगी में एक मर्तबा उमरह अदा करना सुन्नत है और एक से ज़्यादा करना मुस्तहब है, मदीना मुनव्वरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़रीबन चार उमरे की अदायगी फ़रमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरह के बहुत से फ़ज़ाएल बयान किये हैं, जिनमें दो अहादीस नीचे लिखे हुए हैं:

(1) एक उमरह दूसरे उमरह तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दोनों उमरों के दरम्यान सरज़द हों और हज मब्रूर का बदला तो जन्नत ही है- (बुखारी व मुस्लिम)

(2) पै दर पै हज व उमरे किया करो, बेशक यह दोनों (हज व उमरह) गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे और सोने व चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हिन्द व पाक या रियाज़ वगैरह से मक्का जाने वाले हज़रात वक़्त से फायदा उठा कर एक सफर में एक उमरह की अदायगी के बाद हस्बे सहूलत दूसरे या तीसरे उमरह की अदायगी भी करते हैं, मगर बाज़ हज़रात एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह करने को यह कह कर मना करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह नहीं किया, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उमरह करने की तर्ग़ीब दी है जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ज़िक्र किये गए हैं, नीज़ उमरह की अदायगी का कोई वक़्त नहीं, साल में पांच दिन जिनमें हज अदा होता है यानि 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक उमरह

करना मकरूह है जैसा कि हदीस की मशहूर किताब (बैहिक़ी) में लिखा है कि हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि इन पांच दिनों के अलावा साल भर में जब चाहें (रात या दिन में) और जितने चाहें उमरह करें, एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह की अदायगी से रोकने के लिए शरई दलील मतलूब है, जो ज़ाहिर है पूरे ज़ख़ीरए हदीस में मौजूद नहीं है, सिर्फ यह कहना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित नहीं है काफी नहीं होगा, मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में उमरह की अदायगी नहीं की, सिर्फ एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया की खास मजबूरी सुन कर रमज़ान में उमरह की फ़ज़ीलत बयान की थी, जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में लिखा है, मगर जमहूर फुक़हा व उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि एक औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया बयान की गई फ़ज़ीलत क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों (मर्द व औरत) के लिये है अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में कोई उमरह अदा नहीं किया।

(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत (उम्मे सनान रज़ियल्लाहु अन्हा) से फ़रमाया तुम हमारे साथ हज करने क्यों नहीं जाती? उन्होंने अर्ज़ किया हमारे पानी लानेके दो ही ऊँट थे, एक पर मेरा शौहर और बेटा हज के लिये गया है और एक ऊँट हमारे पानी लाने के लिये छोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा रमज़ान आये तो उमरह कर लेना, इसलिए कि इसका सवाब भी हज के बराबर है। (सही बुखारी-

अब्वाबुल उमरह- उमरह फि रमज़ान) सही मुस्लिम में इस तरह लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरे साथ हज के बराबर है यानि रमज़ान में उमरह की अदायगी हुज़ूर अकरम सल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की अदायगी के बराबर है। (सही मुस्लिम- किताबुल हज - बाब फज़लुल उमरह फि रमज़ान)

(वज़ाहत) जिस तरह कोई शख्स हर साल रमज़ान में उमरह की अदायगी का एहतिमाम कर सकता है इसी तरह एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह भी कर सकता है, हाँ उमरह ज़्यादा करने के बजाये तवाफ़ ज़्यादा करना अफज़ल और बेहतर है, जो हज़रात एक से ज़्यादा उमरह करते हैं हर बार सर पर उस्तरा या मशीन फिरवाले या बालों को कटवाले, एक से ज़्यादा उमरह करने के लिये एहराम के कपड़ों को धोना या तब्दील करना ज़रूरी नहीं है, एक मर्तबा उमरह की अदायगी के बाद दूसरे उमरह की अदायगी के लिये मक्का वालों की तरह हरम से बाहर जाना होगा, हिल में मस्जिदे हराम सेसब से ज़्यादा करीब जगह तनयीम है जहाँ से हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक़ अपने हज की अदायगी के बाद उमरह का एहराम बांधने के लिये गई थीं, अब इस जगह मस्जिदे आयशा बनी हुई है।

हज में वकूफे मुजदल्फा से मुतअल्लिक एक तम्बीह

वकूफे मुजदल्फा हज के वाजिबात में से एक वाजिब है, इसके छोड़ने पर दम वाजिब होगा। वकूफे मुजदल्फा का मतलब 9 जिलहिज्जा के बाद आने वाली रात मुजदल्फा में गुजार कर नमाजे फजर मुजदल्फा में अदा करके कुछ देर किबला की तरफ रूख करके दुआऐं करना। अगर कोई शख्स मुजदल्फा में सुबह सादिक के करीब पहुंचा और नमाजे फजर मुजदल्फा में अदा करली तो वकूफे मुजदल्फा का वजूब अदा हो जाएगा और उस पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं होगा। लेकिन जानबूझ कर देर से मुजदल्फा पहुंचना सुन्नत के खिलाफ है। औरतें, बीमार और कमजोर लोग आधी रात मुजदल्फा में गुजारने के बाद मिना जा सकते हैं उन पर कोई दम वाजिब नहीं होगा।

9 जिलहिज्जा को गोरूबे आफताब के बाद अरफात से मुजदल्फा पैदल जाने वाले हुज्जाज-ए-कराम इस बात का खास ख्याल रखें कि अरफात की हदूद से निकलते ही मुजदल्फा शुरू नहीं होता है बल्कि 6 या 7 किलोमीटर का रास्ता तैय करने के बाद मुजदल्फा की हदूद शुरू होती हैं। मुजदल्फा, अरफात और मिना की हदूद की निशान्दही के लिए अलग अलग रंग के बोर्ड लगा दिए गए हैं कि कहां पर हदूद शुरू और कहां पर खत्म हैं, लिहाजा उनकी रिआयत करते हुए कियाम फरमायें। मगर बहुत सालों से देखा जा रहा है कि हुज्जाज-ए-कराम की काबिले कदर तादाद मुजदल्फा से पहले ही मुजदल्फा समझ कर रात गुजार देती है यहां तक कि हजारों हुज्जाज-ए-किराम रास्तों में ही कयाम करते हैं, जिससे जहां उन हुज्जाज का वकूफ मुजदल्फा सही नहीं होता वहीं दूसरे हुज्जाज को रास्ता न मिलने की वजह से वह भी मुजदल्फा की हदूद से पहले ही कियाम कर लेते हैं।

यह बात देखने में आई है कि बाज एजेन्ट हजरात अपने हाजियोंको आधी रात से पहले ही मिना खेमा में ले जाते हैं हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बूढ़े और औरतों को मुजदल्फा से मिना जाने की इजाजत दी थी वह भी आधी रात मुजदल्फा में गुज़ारने के बाद। अफसोस और फिक्र की बात है कि इस मौका पर रजाकार और इंतिजामिया के अफराद भी हुज्जाज की रहनुमाई के लिए नजर नहीं आते, हालांकि वकूफ मुजदल्फा के वाजिब होने की वजह से इस जगह पर हुज्जाज की रहनुमाई के लिए अच्छी खासी तादाद में रजाकार और इंतिजामिया के अफराद की जरूरत है। अगरचे मिना पहुंचने के बाद रजाकार और इंतिजामिया के अफराद खूब दिलचसपी से हुज्जाज की खिदमत करते नजर आते हैं। जो हुज्जा-ए-किराम ट्रेन के जरिया अरफात से मुजदल्फा आते हैं वह मैदाने मुजदल्फा में दाखिल हो जाते हैं मगर वक्त की कमी की वजह से हुज्जा-ए-किराम की अच्छी खासी तादाद ट्रेन के बजाये गाड़ियों से या पैदल अरफात से मुजदल्फा आती है। गाड़ियों से आने वाले हुज्जा-ए-किराम को भी दुशवारियों का सामना करना पड़ता है। अरफात से पैदल चल कर आने वाले हुज्जा-ए-किराम काफी थक जाते हैं और फिर उनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता लिहाजा वह मुजदल्फा की हदूद से पहले ही आराम करते हैं और फिर बाद में इतना भीड़ हो जाता है कि एक कदम रखने की भी गुंजाइश नहीं होती यानी फिर अगर हाजी आगे बढ़ना भी चाहे तो आगे नहीं जा सकता। लिहाजा तमाम आजमीने हज मुजदल्फा पहुंच कर अपने वकूफ मुजदल्फा को सही तरीका से अंजाम दें वरना दम लाजिम आयेगा।

मुजदल्फा पहुंच कर यह काम करें

1) ईशा के वक्त मगरिब और ईशा की नमाजें मिला कर अदा करें। तरीका यह है कि जब ईशा का वक्त हो जाए तो पहले आजान और इकामत के साथ मगरिब के तीन फर्ज पढ़ें, मगरिब की सुन्नतें न पढ़े बल्कि फौरन ईशा के फर्ज अदा करें, मुसाफिर हों तो दो रकात और मुकीम हो तो चार रकात फर्ज अदा करें। ईशा की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें मगर मगरिब और ईशा के फर्जों के दरमयान सुन्नत या नफल न पढ़ें। मगरिब और ईशा को एकटठा पढ़ने के लिए जमाअत शर्त नहीं, ख्वाह जमाअत से पढ़ें या तन्हा दोनों को ईशा के वक्त में ही अदा करें।

2) अल्लाह तआला का जिक्र करें, तल्बिया पढ़ें, तिलावत करें, तौबा व इस्तिगफार करें और दुआएं मांगें। यह रात मुबारक रात है, अल्लाह तआला फरमाता है (जब तुम अरफात से वापस हो कर मुजदल्फा आओ तो यहां मशअरे हराम के पास अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो, सूरह बकरा 198)। रात में कुछ देर सो भी लें, क्योंकि सोना हदीस से साबित है।

3) सुबह सवेरे फजर की सुन्नत और फर्ज अदा करें, फजर की नमाज के बाद खड़े हो कर किबला रूख हो कर दोनों हाथ उठा कर रोरो कर दुआएं मांगें। यही मुजदल्फा का वकूफ है जो वाजिब है।

4) मुजदल्फा से मिना जाते वक्त बड़े चने के बराबर कंकड़ियाँ लें लेकिन तमाम कंकड़ियों का मुजदल्फा ही से उठाना जरूरी नहीं बल्कि मिना से भी उठा सकते हैं।

(चंद वजाहतें)

मुजदल्फा के तमाम मैदान में जहां चाहें वकूफ कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने मशअरे हराम के करीब वकूफ किया है (जहां आज कल मस्जिद है) जबकि मुजदल्फा सारे का सारा वकूफ की जगह है।

अगर कोई शख्स मुजदल्फा में सुबह सादिक के करीब पहुंचा और नमाजे फजर मुजदल्फा में अदा कर ली तो उसको वकूफ सही होगा उस पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं। लेकिन जानबूझ कर इतनी देर से मुजदल्फा पहुंचना मकरूह है।

अगर कोई शख्स किसी उज्र के बेगैर फजर की नमाज से पहले मुजदल्फा से मिना चला जाए तो उस पर दम वाजिब हो जाता है।

रात मुजदल्फा में गुजार कर सुबह की नमाज पढ़ना और उसके बाद वकूफ करना वाजिब है। मगर औरतें, बीमार और कमजोर लोग आधी रात मुजदल्फा में गुजारने के बाद मिना जा सकते हैं, उन पर कोई दम वाजिब न होगा।

अरफात से मुजदल्फा जाते हुए रास्ता में सिर्फ मगरिब और ईशा दोनों का पढ़ना सही नहीं है, बल्कि मुजदल्फा पहुंच कर ही ईशा के वक्त में दोनों नमाजें अदा करें।

मुजदल्फा पहुंच कर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ने से पहले कंकड़ियां उठाना सही नहीं है बल्कि मुजदल्फा पहुंच कर सबसे पहले ईशा के वक्त में दोनों नमाजें अदा करें।

बहुत से हुज्जाज-ए-किराम मुजदल्फा में 10 जिलहिज्जा की फजर की नमाज पढ़ने में जल्दबाजी से काम लेते हैं और किबला रूख होने में इहतियात से काम नहीं लेते जिससे फजर की नमाज नहींहोती,

लिहाजा फजर की नमाज वक्त दाखिल होने के बाद ही पढ़ें नीज किबला का रूख जानने वालों से मालूम करें।
मुजदल्फा में फजर की नमाज के बाद अरफात के मैदान की तरह हाथ उठा कर किबला रूख हो कर खुब दुआऐं मांगी जाती हैं मगर अक्सर हुज्जाज-ए-किराम इस अहम वक्त के वकूफ को छोड़ देते हैं। इन दोनों जगह की तंगी की वजह से मुजदल्फा में भी खीमे लगे हुए हैं जिनमें हुज्जाज-ए-किराम की एक तादाद मिना की बजाये कियाम करती है। 10, 11, और 12 जिलहिज्जा को रात मिना में गुजारना सुन्नत है वाजिब नहीं, लिहाजा अगर खीमा मुजदल्फा में मिला है तो कियाम मिना के दिनों में वहां रात गुजारी जा सकती है।
जिन हुज्जाज-ए-किराम को मुजदल्फा में खीमा मिलता है तो वह अरफात से वापसी पर अपने खीमा में रात गुजार लेते हं, शरअन इसकी गुंजाइश तो है लेकिन अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में खुले मैदान में राते गुजारें तो बेहतर है।

हरमे मक्की या हरमे मदनी में मौत

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा ब्यान करते हैं कि एक शख्स मैदाने अरफात में रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था अपनी ऊटनी से गिर पड़ा और उसकी गरदन टूट गई और वह मर गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पानी और बैरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो, इसको इसी के दोनों कपड़ों में कफन दो, न खुशबु लगाओ और न सर ढ़ाको इसलिए कि अल्लाह तआला इसे कयामत में इस हाल उठाएगा कि यह लब्बैक पुकारता होगा। (सही बुखारी व सही मुस्लिम)

अल्लाह तआला मुहरिम को तलबिया पढ़ते हुए कयामत के दिन उठायेंगे ताकि जाहिरी हालत से ही इसका हाजी होना मालूम हो जाये जैसे शहीद को इस हालत में उठाया जाएगा कि उसका खून उसकी रगों से बह रहा होगा। दूसरे आहादीस की रौशनी में यह बात कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स उमरह का एहराम बांधे हुए हो और उसका इंतिकाल हो जाये तो उसे भी यह फजीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह।

हजरत अबु हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हज को जाये और रास्ता में इंतिकाल कर जाये, उसके लिए कयामत तक हज का सवाब लिखा जायेगा और जो शख्स उमरह के लिए जाये और रास्ता में इंतिकाल कर जाये तो उसको कयामत तक उमरह क सवाब मिलता रहेगा। (इबने माजा)

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दो हरमों (यानी मक्का और मदीना) में से किसी एक में मरेगा तो कयामत के दिन अमन वालों में उठाया जायेगा। और जो सवाब की नियत से मदीना में मेरी ज्यारत करने आयेगा वह कयामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। (शोअबुल ईमान लिल बैहकी) इस हदीस की सनद पर बाज उलमा ने कलाम किया है। लेकिन जुमा के रोज मगरिब से पहले बाबरकत घड़ी में क्रेन हादसा में इंतिकाल करने वाले हजरात इंशाअल्लाह कयामत के दिन अमन व सुकून में होंगे और वह जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल करेंगे।

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मदीना में मर सकता है (यानी यहां आ कर मौत तक कयाम कर सकता है) उसे जरूर मदीना में मरना चाहिए क्योंकि मैं उस शख्स के लिए शिफारिश करूंगा जो मदीना में मरेगा। (तिरमीजी)

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुसूसी तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوٰۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडियोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख़्तलिफ पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज़्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारिवारिक मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधिकार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और ज़िक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR